खण्ड-470, अंक-3
गुरूवार, 23 माघ, शक संवत् 1930
(12 फरवरी, 2009 ई0)

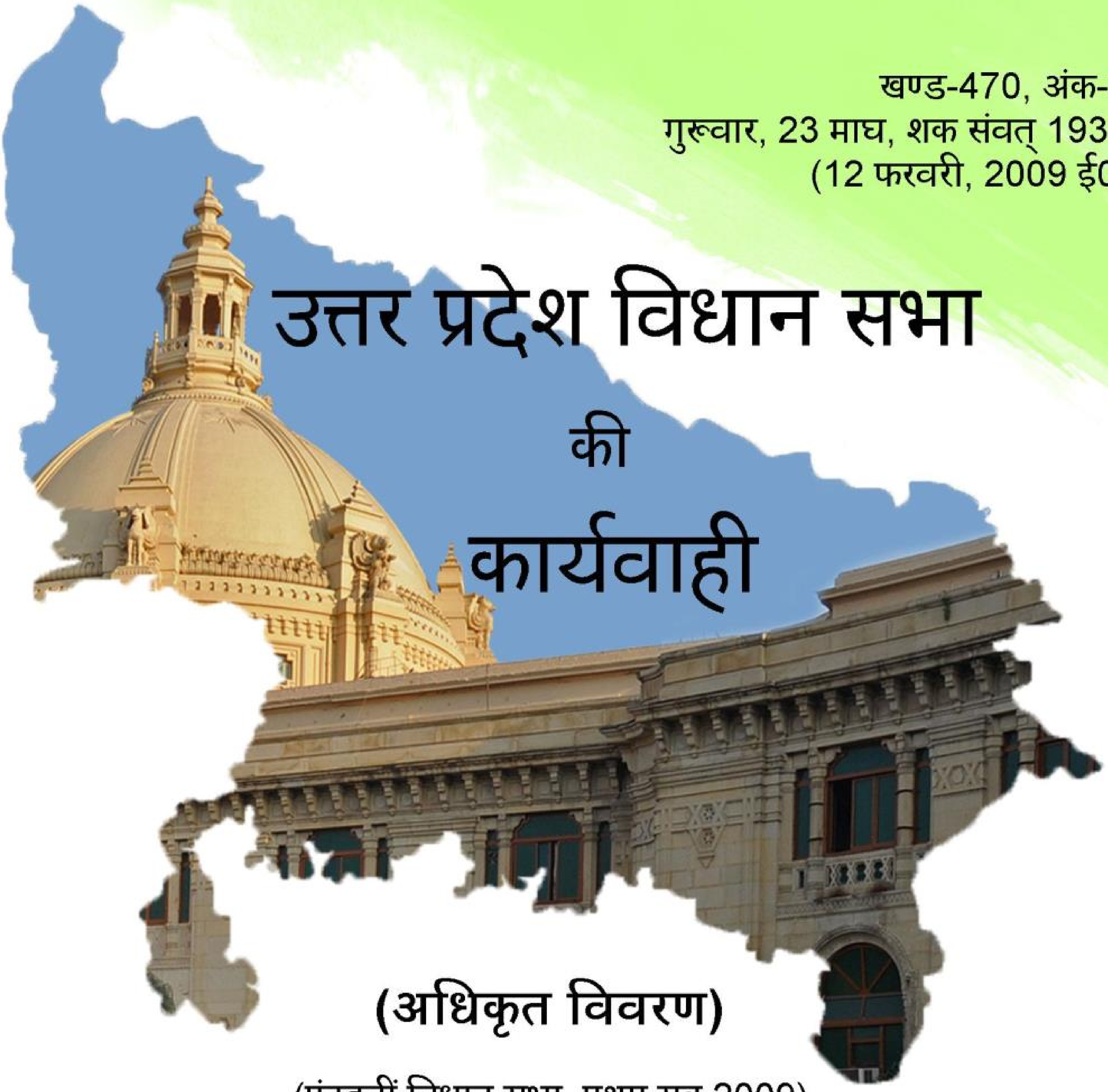

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2009)

खण्ड 470 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ–ञ
औरैय्या में अधिशासी अभियन्ता श्री मनोज गुप्ता की हत्या विषयक नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ..... (जारी)	1-8
प्रश्नोत्तर	8-95
औरैय्या में अधिशासी अभियन्ता श्री मनोज गुप्ता की हत्या विषयक नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	95
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री ओम प्रकाश गुप्ता, राम दुलारे, प्रताप सिंह, किशन लाल दिलेर, महमूद हसन खां, राम लाल वर्मा, जगदीश अवस्थी, औसान सिंह, राम कृष्ण उपाध्याय, राम जनम, विजय कुमार त्रिपाठी, राम शरण दास, रमा शंकर कौशिक, श्रीमती कान्ति सिंह विसेन, श्री विपन बिहारी तिवारी, चौधरी मुनव्वर हसन, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री धर्मराज सिंह, श्री काली चरण टण्डन, श्री निसार अहमद अंसारी तथा डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा के निधन पर शोकोद्गार	96-103
औरैय्या के अधिशासी अभियन्ता श्री मनोज गुप्ता की हत्या विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित सूचना	103-119
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	119-120
इलाहाबाद में नजूल, राजकीय आस्थान, नगर निगम व ए0डी0ए0 की भूमि पर स्थित सभी मलिन बस्ती वासियों एवं सागर पेशा वासियों को वास्तविक आय के अनुसार सर्व जनहिताय मलिन बस्ती (स्लम एरिया) मालिकाना योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121
जनपद बागपत में लोक निर्माण विभाग द्वारा डा0 वाई0 रोड बरार से छपरौली वाया सूप मुकन्दपुर मार्ग में अधिगृहीत की गई किसानों की भूमि का वर्तमान बाजारी भाव से मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र की नगरीय सीमा में अविकसित कालोनियों के विद्युतीकरण हेतु धन उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद मुजफ्फरनगर के यमुना तटीय क्षेत्रों में सितम्बर, 2008 में यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम वासियों को क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी के अस्सी मुहल्ले में लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पर प्रेरणादायी स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रतापगढ़ की पट्टी क्षेत्रान्तर्गत फेज 3, 4, 5 में निर्मित सभी सड़कों की क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
शाहजहांपुर के दक्षिण गर्रा फटक या बरेली मोड़ के पास एक बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
आजमगढ़ के तरवां विकास खण्ड अन्तर्गत जुआं सम्पर्क मार्ग, लोनी नदी पर पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	124-125
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित सूचनायें	125
गृह पुलिस अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1998 छः/पु-2-208-1100 (139)-2008, दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 ..... (सदन के पटल पर रखी गई)	125
श्री मदन चौहान को सदन से बाहर जाने के निर्देश	125
राज्य लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 .... (सदन के पटल पर रखी गई)	126
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन .(सदन के पटल पर रखा गया)	126
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन .... (सदन के पटल पर रखे गये) ...	126
परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-752/30-2008-135-89, दिनांक 31 मार्च, 2008 .... (सदन के पटल पर रखी गई) ...	126
श्री लवकुश, भू0पू0 परिचालक, शाहजहांपुर डिपों को समस्त देयों का भुगतान तथा सेवा में बहाल किये जाने की सुनवाई के उपरान्त की संस्तुति दिनांक 21 नवम्बर, 2007 का अनुपालन न किये जाने विषयक उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रकरण .... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	126-127

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखों एवं सम्परीक्षा के वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 के प्रतिवेदन .... (सदन के पटल पर रखे गये)	127
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन .. . (सदन के पटल पर रखे गये)	127
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2006-07 वार्षिक लेखे (सदन के पटल पर रखे गये)	127
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त वित्त लेखे वर्ष 2007-08, उ0प्र0 सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2007-2008 उ0प्र0 सरकार (सदन के पटल पर रखे गये)	127
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) 31 मार्च, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	128
आज की कार्य-सूची की मद संख्या-16 से 30 तक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों का स्थगन	128
उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्ध विधेयक, 2009...(पुरःस्थापित) ...	128
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009...(पुरःस्थापित)	129
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009...(पुरःस्थापित)	129
सोसायटी रजिर्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009...(पुरःस्थापित) ...	129-130
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009...(पुरःस्थापित) ...	130
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	130-131
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव .... (जारी) ...	131-134
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	134-135
नत्थियां	136-141

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-326

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरु प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झाँसी
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू. राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
नितिन अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनीज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, कटेरिया श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद तावीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिव गणेश, लोधी श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री	फिरोजाबाद
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, "बन्दी" श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सी0 वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	बन्दीली
सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट--सहकारिता मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

औरैय्या में अधिशासी अभियन्ता श्री मनोज गुप्ता की हत्या विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(विपक्ष के कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप लोग बैठ जायं। कम से कम इतना तो देखिये कि नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं तो आप लोग बैठ जायं।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हम सदन में कोई विघ्न ऐसा नहीं डालना चाहते जो सदन न चले लेकिन गम्भीर मामला यह है कि 23/24 दिसम्बर की रात को मनोज गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी0डब्लू0डी0 की हत्या सत्ता पक्ष के विधायक ने की। वह हत्या क्यों की ? उससे मांग की गई कि 10 लाख रुपया दीजिये।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, पहले प्रश्न काल हो जाय। आपने क्या स्वीकार कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष-

स्वीकार नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष जी, एक मिनट.....

श्री मुलायम सिंह यादव-

उसने 5 लाख रुपया दे भी दिया और रात को 12 बजे के आस पास मांग थी कि 5 लाख और दीजिये।.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ठीक है। एक बात हम भी कहना चाहते है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल और क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

उसी महत्वपूर्ण सवाल पर हम कहना चाहते हैं। सभी दल के लोगों ने सूचना दी है 311 में।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसीलिये माननीय अध्यक्ष, हम आपसे कहना चाहते हैं कि रात में जाकर के बहुजन समाज पार्टी का विधायक गुण्डों के साथ हत्या करता है।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के खड़े होने पर विपक्ष के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, नियम-311 में सभी दलों के नेताओं ने सूचना दी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव-

सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि हत्या करने वाले, ऐसा होता रहा है सदन में, इतना महत्वपूर्ण सवाल है। वह धाराएं लगा दीं जो धाराएं उसे नहीं लगानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष-

हमारी भी सुनें नेता प्रतिपक्ष जी। इसके लिये मैं प्राथमिकता पर सुनूंगा। मैं सुनने के लिये तैयार हूं। हमारी भी सुनें। मैं इसको लिया हूं सुनने के लिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

बी0एस0पी0 के विधायक, उसी दिन आदेश कर दिया और पीलीभीत के जेल में डाल दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हत्यारों के खिलाफ सजा होगी कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

वह तो आप कहेंगे तो सरकार को बाद में जो करना होगा कहेगी। आपका मैं सुनूंगा, मैं सुनने के लिये तैयार हूं। लेकिन आप मेरी बात भी तो सुन लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, मैं इस गम्भीर सवाल पर नहीं बैठ सकता। मैं आपका उल्लंघन कर रहा हूं, माफ कीजियेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर हत्यारों के खिलाफ जो कार्यवाही इस सरकार ने की है। जो हत्यारों के ही लोग रहे हों, जिनका काम ही अपराध करना है। वो उनकी बात क्या उठायेंगे ? मान्यवर, अगर कार्यवाही किया है तो इस सरकार ने कार्यवाही किया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

आपकी सरकार हत्यारों की सरकार है। आधी सरकार हत्यारों से भरी हुई है। एक सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं, यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी बैठ जायं। मैं तो सुनने के लिये तैयार हूं। आप लोग सुनाना नहीं चाहते हैं। नियम-56 में सुनने के लिये तय कर लिया है, आप लोग सुनाना ही नहीं चाहते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गम्भीर विषय है, एक तरफ सुनाना भी नहीं चाहते हैं। मैं तो सुनना चाहता हूं। मैं तो सुनने के लिये तैयार हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप कार्यवाही में देख लीजिये। ऐसा हुआ है। परम्परा है। इतना महत्वपूर्ण सवाल और क्या हो सकता है ? बी0एस0पी0 का विधायक जो हत्या करता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसीलिये प्राथमिकता पर लिया है। नियम-56 में लिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपको बड़ा लम्बा अनुभव है, इस सदन में। 311 में नहीं। महत्वपूर्ण घटनायें आप लाये हैं पिछली बार भी आप लाये थे मैंने कहा था कि नियम-56 में सुनूंगा। आप मान गये थे पिछली बार। मैंने कहा था कि 56 में सुन लेंगे। प्रश्न काल के बाद निधन के निर्देश के बाद ले लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ऐसा होता रहा है परम्पराओं के आधार पर। परम्परा न टूटें। नियम और कानून सब कुछ नहीं होता। परम्पराएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्नकाल के बाद, निधन के निर्देश के बाद ले लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

परम्परा नियम कानून से महत्वपूर्ण है। नियम कानून से कुछ नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

यह आपके निर्णय के विरुद्ध है, आपके निर्णय की अवहेलना है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मान्यवर, जो लोग स्वयं आकंठ डूबे हों वह दूसरे पर क्या आरोप लगायेंगे। मान्यवर, यह सरकार कानून व्यवस्था का पालन करने वाली है और कानून के मामले में कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ इस सरकार ने कार्यवाही की है।

(शोर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

नियम कानून से महत्वपूर्ण परम्परा है। यह पढ़े-लिखे हैं परम्परायें नियम और कानून से उच्च हैं। परम्पराओं के आधार पर सदन चलता है। संविधान चलता है। परम्परायें नहीं टूटनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपको पूरा अधिकार है आप जब चाहें जितना समय लें। आपके समय में हम कटौती नहीं कर सकते हैं। नेता सदन हों चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, आपके समय में मैं कटौती नहीं करूंगा। आप यह नहीं कह सकते हैं कि समय नहीं दे रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रख दी।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आप बैठें, हम नेता प्रतिपक्ष से निवेदन कर लें उसके बाद आप जो व्यवस्था उठाना चाहें उठा लें, हम कहां मना कर रहे हैं ? कहां आपकी बात टाल रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं नेता प्रतिपक्ष से कह रहा हूं कि नियम-311 में सभी दलों की नोटिस आ गई है। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मैंने उसको चयनित कर लिया, कि प्रथम नम्बर पर मैं इसी

सूचना को सुनूंगा। आप सब सहयोग करते हैं मैं आपका समादर करता हूं कि आपने सहयोग किया है। कोई टिपिकल पोजीशन आई तो सदन को आपने संभाल लिया। कोई अहम विषय आया है तो आपने सुना है आपको हमने भी सुना है इसलिए हमने कहा कि प्रश्नकाल होने दीजिए फिर नियम-56 में आपकी सूचना ले रहा हूं। प्रथम नम्बर पर आप सुना दीजिएगा। तिवारी जी, आप बतायें क्या कर रहे हैं ?

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी जो कह रहे हैं यह सच कह रहे हैं यह जो सच कह रहे हैं, उसमें आप नियम-311 पढ़ लें। नियम-311 में यह प्राविधान नहीं है कि इसको किस समय लिया जाए। यह 11.00 बजे अगर नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है तो हम उनकी बात से सहमत हैं इसको इसी समय लिया जाना चाहिए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई घटना नहीं हो सकती है। मेरा यह कहना है कि नियम-311 एक बार आप पढ़ लें। आपको ऐसे भी कंठस्थ होगा मेरा यह कहना है इसे आप ले रहे हैं नेता विरोधी दल का सिर्फ इतना कहना है कि यह महत्वपूर्ण है और मान्यवर, महत्वपूर्ण कांग्रेस भी मानती है। ऐसी नृशंस और विभत्स हत्या सत्तापक्ष के विधायक ने की,

(शोर)

नियम-311 में है कि -'कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चत की जाएगी।'

(शोर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-314 में व्यवस्था है कि -"अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।" आपका विनिश्चय हो जाने के बाद कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। जहां तक 311 का प्रश्न है आज तक एक भी दृष्टान्त ऐसा नहीं है जहां पर इस तरह से शुरू में सुना गया हो। माननीय नेता विरोधी दल परम्पराओं की बात कर रहे हैं मेरी भी जानकारी है इस तरह का एक भी दृष्टान्त नहीं है जब 11 बजे नियम-311 की किसी सूचना पर चर्चा करा दी गई हो। या उस पर सुनने के लिए कार्यवाही की गई हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने एक विनिश्चय कर दिया उस विनिश्चय के आधार पर हमारा भी पक्ष चाहता है कि आप उस पर ग्राह्यता पर सुनें। उस पर हमें उत्तर देने का अवसर दें इसलिए मैं मान्यवर चाहूंगा कि जो आपका विनिश्चय हुआ है उस पर कार्यवाही हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री नियाज हसन जी इस सदन के स्पीकर थे, श्री अक्षयवर मल जी की पुलिस लाठीचार्ज में हत्या हो गई थी, हमारी सरकार थी और उस समय नियाज हसन साहब ने 11.00 बजे से 311 को लागू किया था, अगर यह न हुआ हो तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा वरना संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी कही हुई बात पर माफी मांगें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 311 कभी स्वीकार नहीं हुआ है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, स्वीकार हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, 311 स्वीकार हुआ है या नहीं स्वीकार हुआ है, यह अलग प्रकरण है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि 311 कभी स्वीकार नहीं हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रमुख सचिव को निर्देश दें कि नियाज हसन साहब के कार्यकाल में श्री अक्षयवर मल जी की हत्या विधान सभा के सामने प्रदर्शन करते हुए हुई थी और 311 के अन्तर्गत श्री मुलायम सिंह जी ने वह प्रश्न उठाया था और इसी सदन में 11.00 बजे से चर्चा हुई थी, मैं मंत्री के रूप में उस घटना का साक्षी हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी को या तो जानकारी नहीं है या जानबूझ कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। आप सदन को स्थगित करके उस सूचना को मंगा लीजिए, वरना संसदीय कार्य मंत्री जी से कहिए कि वह अपने कहे के लिए सदन से माफी मांगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया है कि 56 में मैं इसे प्राथमिकता पर सुन लूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि हम सदन में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। लेकिन इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि सत्तापक्ष के विधायक ने, मनोज कुमार गुप्ता को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर था, रुपये मांगने पर और उन्हें न देने पर उसकी हत्या कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष-

जब इस पर सुना जायेगा, उस समय आप अपनी पूरी बात कह लीजिएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

उनके भाई जिला पंचायत सदस्य हैं, और उनके एक भाई छोटे, इन तीनों पर गम्भीर आरोप हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष, मैं आपके अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर रहा हूं, मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल होने दें, प्रश्नकाल के बाद, निधन के निदेश के तुरन्त बाद मैं सबसे पहले आपकी बात को सुनूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, यह गलतबयानी करें और आप उनका समर्थन करें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, समर्थन नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि प्रश्नकाल हो जाने दें और निधन के निदेश के बाद आपकी बात सबसे पहले सुनेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप गलतबयानी करके चापलूसी करें, यह हम नहीं कर सकते।

श्री लालजी वर्मा-

यहां चापलूसी करने कोई नहीं आया है, पक्ष रखने आया है, जो लोग सत्य सुनना नहीं चाहते, उनकी आदत नहीं है।

(कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

मैं निधन के निदेश के बाद सुन लूंगा, मैं तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, हत्या के बाद औरैय्या बन्द रहा, इतना महत्वपूर्ण सवाल हम नहीं उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मैं कहां कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण नहीं है ?

श्री लाल जी वर्मा-

सरकार ने तो कानून का राज स्थापित करने का काम किया है और पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जब इतनी कठोर कार्यवाही की गई हो। यह हमारी सरकार ने करके दिखाया है। जब इनकी सरकार थी तो एस0पी0 की पिटाई करने के बाद भी कोई एफ0आई0आर0 नहीं होती थी, इंजीनियर की पिटाई करने के बाद भी कोई एफ0आई0आर0 नहीं होती थी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं कि आप लोग बैठिये। जब नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हों तो आप लोग न खड़े हुआ करें, कुछ परम्पराओं को तो निभायें। कुछ सदन की गरिमा को बढ़ाइये। जब नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो कोई माननीय सदस्य मत खड़े होइये। जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हों तो उन्हें आप सुन लीजिए। यह बात मैं सभी से कहूंगा। आधा घण्टा बीत गया। इतनी हमारी भी बात सुन लीजिए। महत्वपूर्ण विषय है। उसकी गम्भीरता है।

इसलिए मैंने इसका चयन किया कि सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष से बुलवाउंगा। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण अवसर होता है। सभी दलों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि नोकझोंक में आधा घण्टा खत्म कर दिये और आधा-पौन घण्टा रह गया है। मैंने कहा है कि पहले नम्बर पर इसको सुनूंगा तब अच्छे माहौल में उस घटना पर अपने विचार यहां पर रखें। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, 1 घण्टा और 5 मिनट शेष हैं और आप कह रहे हैं आधा-पौन घण्टा शेष है। मुझे लगता है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप सदन चलाइये लेकिन मैं 5 मिनट बोलना चाहता हूं। आप मुझे इसके लिए अनुमति दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन इसके बाद सभी दलों के नेता बोलेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अगर और दलों के नेता बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं ? यह बोलें या न बोलें।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, आप सभी दलों के संरक्षक हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन मैं भी कर लूं। मान्यवर, आज निधन के निदेश भी हैं। इसलिए निधन के निदेश के उपरान्त ही आपने जो विनिश्चय किया है, उसके बाद ही इसको सुनें।

श्री अध्यक्ष-

निधन के निदेश के बाद ही सुनेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

तो यह महत्वपूर्ण कहां रहा ? आपने कहा कि ऐसा हुआ ही नहीं। तिवारी जी ने कह भी दिया है। या तो यह इस्तीफा दें देंगे या वह इस्तीफा दे दें।

श्री अध्यक्ष-

जब आप सदन में रहेंगे तो कोई इस्तीफा नहीं देगा ? सब सदन में रहेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। मान्यवर, यह परम्परा रही है और परम्परा का उदाहरण भी दिया है। आपको मदद करने का अवसर भी दे दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष का विधायक हत्या करे और उसके विरुद्ध कार्यवाही न हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि कार्यवाही न हो। मान्यवर, इससे बड़ी कार्यवाही क्या हो सकती है, सारे देश के सामने उदाहरण है ?

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित हो गयी।)

(नेता विरोधी दल द्वारा तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग पर अड़े रहने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया। व्यवधान के कारण अध्यक्ष ने 11 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 48 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पोलियों रोग के सबसे खतरनाक वायरस पी-1 पर नियंत्रण की योजना

**1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में पोलियो मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि पोलियो रोग के सबसे खतरनाक वायरस टाइप-पी-1 के भी सैकड़ों मामले अब तक प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो इस पर नियंत्रण हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

प्रदेश में वर्ष 2007 में 43 जनपदों में कुल 341 पोलियों के केस पाये गये थे तथा वर्ष 2008 में प्रदेश के 45 जनपदों में कुल 302 पोलियों के केस पाये गये हैं।

प्रदेश में वर्ष 2006 में वायरस पी-1 का संक्रमण प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तथा अन्य जनपदों में फैलने के कारण पी-1 के संक्रमण का समाप्त करने हेतु एम0ओ0पी0वी0-1 के कई चक्र चलाये गये जिससे वर्ष 2007 में प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में संक्रमण लगभग समाप्त हो गया था परन्तु बिहार से पी-1 के केस के जनपद बदायूं में माह मई, 2008 में आयातित होने के कारण यह संक्रमण पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में फैला।

जी नहीं, वर्ष 2008 में पोलियो रोग के सबसे खतरनाक वायरस पी-1 के कुल 60 केस प्रकाश में आये। इनमें से 58 केस प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से तथा जनपद हरदोई एवं जनपद मिर्जापुर से एक-एक केस पाये गये हैं।

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

इस खतरनाक वायरस पी-1 के संक्रमण को समाप्त करने हेतु आई0ई0ए0जी0 (भारत विशेषज्ञ सलाहकार समूह) के निर्देशानुसार प्रभावित जनपदों एवं उनके आस-पास के जनपदों एवं में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियानों के अतिरिक्त वर्ष 2008 में विशेष अभियान चलाये गये जिसमें सम्पूर्ण प्रदेश में पी-1 वायरस को लक्षित करते हुए एम0ओ0पी0वी0-1 के पांच अभियान, पी-3 वायरस हेतु एम0ओ0पी0वी0-3 के दो अभियान तथा साथ ही साथ माप-अप के अन्तर्गत पी-1 से प्रभावित जनपदों एवं आस-पास के जनपदों में एम0ओ0पी0वी0-1 के अन्तर्गत तीन अभियान चलाये गये, जिससे प्रदेश में पी-1 का संक्रमण समाप्ति की ओर अग्रसर है, तथा पोलियो संक्रमण की समाप्ति हेतु उपर्युक्तानुसार निरन्तर कार्यवाही प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार-

प्रश्न नहीं उठता।

संसद द्वारा पारित "मेंटीनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ पेटेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स ऐक्ट" को प्रदेश में लागू करने की मांग

**2-डा0 अनिल चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2007 में संसद में पारित "मेंटीनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ पेटेन्टस एण्ड सीनियर सिटीजिन्स एक्ट" प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत कर अधिसूचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस एक्ट की भावना के अनुरूप "मेन्टीनेन्स ट्रिब्यूनल" के गठन एवं प्रत्येक जनपद में "ओल्डर एज होम" स्थापित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*डा0 अजय तोमर-

1-[1ले सोमवार के नियम-38(2) के ता0 प्र0 सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तारांकित प्रश्न

कृषि विकास दर का निर्धारित लक्ष्य

*1-श्री हुकुम सिंह-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2007-08 में क्या सरकार कृषि विकास दर का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पायी है ? यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त न करने के मुख्य कारण क्या रहे एवं भविष्य में उक्त कारणों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

जी नहीं। वर्ष 2007-08 हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं सम्बर्गीय क्षेत्र के लिए 5.7 प्रतिशत की कृषि विकास दर निर्धारित की गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग के अनन्तिम आंकलन के अनुसार 3.8 प्रतिशत कृषि विकास दर प्राप्त होने की सम्भावना है जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना में मात्र 2.0 प्रतिशत विकास दर ही प्राप्त हो सकी।

उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त न होने के कृषि विभाग से सम्बन्धित मुख्य कारण निम्नवत् है :-

सामान्य से कम वर्षा होने के कारण आच्छादन में कमी एवं जलवायु में बदलाव।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यान्चल क्षेत्र में पिछले चार वर्षों से लगातार सूखा।

गिरता हुआ मृदा स्वास्थ्य।

विकारग्रस्त भूमि का होना।

कृषि योग्य भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग।

भविष्य में उक्त कारणों को दूर करने एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कृषि विकास दर प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग द्वारा निम्न योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं:-

- किसान हित योजना का प्रारम्भ
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई हेतु सम्यक जल उपयोग की योजना।
- कृषि तकनीकी प्रबन्ध अभिकरण (आत्मा) का संचालन।
- प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक किसान विद्यालय की स्थापना की गयी।
- बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली तथा कुशल जल प्रबन्धन का व्यापक प्रचार-प्रसार।

प्रदेश में स्थित राजकीय पालीटेक्निकों एवं आई0टी0आई0 संस्थाओं को निजी क्षेत्र में देने की योजना की जानकारी

*2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित राजकीय पालीटेक्निकों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0) को निजी क्षेत्र में देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता में नयी तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के अतिरिक्त वर्तमान में स्थापित राजकीय पालीटेक्निक एवं आई0टी0आई0 संस्थाओं का निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता में अवस्थापना उन्नयन एवं विकास का नीतिगत निर्णय लिया गया है। निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता में स्थापित नयी संस्थाओं एवं चयनित राजकीय पालीटेक्निक एवं आई0टी0आई0 संस्थाओं का उच्चीकरण प्रबन्धन एवं संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शिप माडल

इसलिए मैंने इसका चयन किया कि सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष से बुलवाउंगा। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण अवसर होता है। सभी दलों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि नोकझोंक में आधा घण्टा खत्म कर दिये और आधा-पौन घण्टा रह गया है। मैंने कहा है कि पहले नम्बर पर इसको सुनूंगा तब अच्छे माहौल में उस घटना पर अपने विचार यहां पर रखें। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, 1 घण्टा और 5 मिनट शेष हैं और आप कह रहे हैं आधा-पौन घण्टा शेष है। मुझे लगता है कि आप गस्से में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप सदन चलाइये लेकिन मैं 5 मिनट बोलना चाहता हूं। आप मुझे इसके लिए अनुमति दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन इसके बाद सभी दलों के नेता बोलेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अगर और दलों के नेता बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं ? यह बोलें या न बोलें।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी, आप सभी दलों के संरक्षक हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन मैं भी कर लूं। मान्यवर, आज निधन के निदेश भी हैं। इसलिए निधन के निदेश के उपरान्त ही आपने जो विनिश्चय किया है, उसके बाद ही इसको सुनें।

श्री अध्यक्ष-

निधन के निदेश के बाद ही सुनेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

तो यह महत्वपूर्ण कहां रहा ? आपने कहा कि ऐसा हुआ ही नहीं। तिवारी जी ने कह भी दिया है। या तो यह इस्तीफा दें देंगे या वह इस्तीफा दे दें।

श्री अध्यक्ष-

जब आप सदन में रहेंगे तो कोई इस्तीफा नहीं देगा ? सब सदन में रहेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। मान्यवर, यह परम्परा रही है और परम्परा का उदाहरण भी दिया है। आपको मदद करने का अवसर भी दे दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष का विधायक हत्या करे और उसके विरुद्ध कार्यवाही न हो।

उद्यान मंत्री (श्री नरायन सिंह)-

किसानों को उनकी आलू की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु शासन द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। आलू क्रय केन्द्र यथासमय खोले जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कालेजों की फीस निश्चित करने की मांग

*5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कालेजों में छात्र एवं छात्राओं से सरकारी फीस के अतिरिक्त भारी मात्रा में डोनेशन लिया जा रहा है जिसके कारण गरीब बच्चे एम0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एड0, बी0टेक0 आदि में दाखिले नहीं ले पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फीस की कोई निश्चित सीमा तय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट कालेजों में छात्र एवं छात्राओं से फीस के अतिरिक्त डोनेशन लेने की अधिकृत पुष्टि नहीं है। यदि किसी संस्था द्वारा छात्र से इस शुल्क के अतिरिक्त डोनेशन लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो संस्था के विरुद्ध जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

बी0सी0ए0 एवं बी0एड0 पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार शासनादेश संख्या-3536/सत्तर-2-2008-16 (70)/2005 टीसी, दिनांक 10-10-2008 तथा शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/2002, दिनांक 2-7-2003 के अनुसार ए0आई0सी0टी0ई0 के परिक्षेत्र के बाहर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु शुल्क सीमा रु0 15,000/प्रति छात्र प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेन्ट कालेजों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा निजी क्षेत्र के व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं के शुल्क निर्धारण हेतु समिति के गठन का प्राविधान किया गया था। फीस निर्धारण हेतु उ0 प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के कार्य पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश होने के कारण शासन स्तर से कार्यालय ज्ञाप संख्या-3190/सोलह-1-2008-1 (24)/2004, दिनांक 11-8-2008 द्वारा सत्र 2008-09 के लिए इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेन्ट संस्थाओं की संस्थावार औपबन्धिक फीस का निर्धारण किया गया था जिसकी सूचना प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा सभी संस्थाओं को दी गयी है तथा जनसाधारण को सूचित करने हेतु उ0 प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी इसका प्रकाशन किया गया है। शासन स्तर से निर्धारित औपबन्धित शुल्क के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया है कि जिन संस्थाओं की फीस रु0 63,400/-से कम निर्धारित की गयी है उनके द्वारा रु0 63,400/-फीस लिया जा सकेगा जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित अंतिम शुल्क के

अर्थात होगा यदि संस्थाओं द्वारा ली गयी उक्त फीस, फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक होगी तो अतिरिक्त धनराशि छात्र को लौटायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दहेज उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी बनाने की कार्य योजना

*6-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार दहेज उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 यथा संशोधित नियमावली 2004 के प्राविधान के अनुसार प्रभावी कार्यवाही की जाती है अतः अधिनियम एवं नियमावली के समानान्तर कार्य योजना बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को निःशुल्क/अनुदानित मूल्य पर सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर व ड्रिप इरिगेशन संयंत्र उपलब्ध करने का विचार

*7-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डार्क घोषित (अतिदोहित/क्रिटिकल) विकास खण्डों में भूगर्भ जल स्तर नियंत्रण हेतु क्या सरकार किसानों को निःशुल्क/अनुदानित मूल्य पर सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर व ड्रिप इरिगेशन संयंत्र देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

कृषि विभाग द्वारा संचालित आइसोपाम योजनान्तर्गत किसानों को निःशुल्क मूल्य पर सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरिगेशन संयंत्र देने का मद स्वीकृत नहीं है। उक्त योजना में किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम रू0 7500 तक) स्प्रिंकलर संयंत्र उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता एवं खाद्य सामग्री के वितरण की जानकारी

*8-श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के कारण वर्ष 2008 में प्रदेश में कितनी जन एवं धन की क्षति हुई है तथा कौन-कौन जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ? इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों की राहत हेतु क्या कोई आर्थिक सहायता एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

बाढ़ प्रभावित जनपदों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार वर्ष 2008 में बाढ़ के कारण प्रदेश के कुल 31 जनपदों में 634 जनहानि तथा कुल 34107.09 लाख की धनहानि हुई है।

बहराइच, शाहजहांपुर, बरेली, महाराजगंज, रामपुर, हरदोई, आजमगढ़, कन्नौज, खीरी, गोरखपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, सीतापुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, बलरामपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलिया, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, संतकबीरनगर, मऊ, कानपुर नगर, अम्बेडकर नगर एवं बिजनौर।

जी हां।

बाढ़ पीड़ितों को शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007, दिनांक 31-7-07 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा सम्बन्धित मदों में सहायता दिये जाने हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार सहायता राशि वितरित की गयी है। बाढ़ पीड़ितों में यथा आवश्यक खाद्य सामग्री के रूप में गेहूं, चावल, नमक, लईया, चना, आटा, आलू, बिस्कुट, सरसों का तेल, दूध खाने के पैकेट, गुड़, पुष्टाहार के साथ-साथ अन्य राहत सामग्री के रूप में किरोसिन तेल, मोमबत्ती, माचिस, पालीथीन, पशु, चारा, बरतन, कपड़े आदि का वितरण किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा मल्लाह, कहार, कश्यप, प्रजापति, बिन्द आदि जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की मांग

*9-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा मल्लाह, केवट, बिन्द, कुम्हार, प्रजापति, भट, राजभर को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को दिनांक 04-03-08 को संस्तुति सहित प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा भर/राजभर, कुम्हार (प्रजापति), कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, धीवर, बिन्द, बाथम, तुरहा, गोड, मांझी, मछुआ आदि समुदायों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रेषित संस्तुतियों के क्रम में भारत के महापंजीयक की टिप्पणियों का हवाला देते हुए उपर्युक्त समुदायों में से प्रत्येक के बारे में निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत जातीय सूचना मांगी गयी है।

पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता की नीति

*10-श्री मदन चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिजनों के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

भारत सरकार द्वारा जारी सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स के अन्तर्गत दैवी आपदा, भूकम्प, बाढ़, बादल फटने, अग्निकाण्ड, सूखा, हिमस्खलन, भू-स्खलन, कीट आक्रमण, ओलावृष्टि, चक्रवात एवं सुनामी से मृत व्यक्ति के आश्रित/परिवार को आपदा राहत निधि से राहत सहायता अनुमन्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद निस्तारण की जानकारी

*11-श्री मदन भैया-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के पहले गुरुवार के तारां0 प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीक्षित एवार्ड के अनुरूप हरियाणा सीमा विवाद सुलझा लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक सुलझा लिया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

उ0 प्र0 हरियाणा सीमा विवाद जैसे जटिल एवं गम्भीर मुद्दों के निस्तारण हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है। उक्त सीमा-विवाद को शीघ्रता से सुलझाने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयासरत है।

दैवीय आपदा से होने वाले अग्निकाण्ड के प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की मांग

*12-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रायः मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीनों में प्राकृतिक कारणों/दैवीय आपदा के कारण लगने वाली आग से नष्ट रिहायशी, कच्चे-पक्के घर, जानवर व जनहानि के लिये सरकार द्वारा तात्कालिक सहायता देने के क्या-क्या मानक निर्धारित हैं ? क्या सरकार समय परिस्थिति तथा मंहगाई को देखते हुए इस सहायता राशि को बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

दैवीय आपदा से होने वाले अग्निकाण्ड की घटनाओं से नष्ट रिहायशी मकानों, पशुओं व जनहानि (एक्सीडेन्टल फायर) के घटित होने पर आपदा राहत निधि से शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइडलाइन्स द्वारा विभिन्न मदों में सहायता हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। उक्त मानक मदों की राहत राशि में बढ़ोत्तरी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार सीमा से नहीं आती अपितु भारत सरकार द्वारा ही बढ़ायी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी की निघासन एवं पलिया तहसील में बाढ़ से हुई मृत्यु से आश्रितों को अनुग्रह राशि दिये जाने की मांग

*13-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पलिया तहसील एवं निघासन तहसील जनपद खीरी में कितने व्यक्तियों की इस वर्ष बाढ़ से मृत्यु हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बाढ़ से पीड़ित कितने परिवारों को अनुग्रह राशि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2008-09 में आई बाढ़ से तहसील पलिया में 11 एवं तहसील निघासन में 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

उपरोक्त तहसील के सभी मृतक आश्रितों को एक-एक लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दुग्ध की मांग के सापेक्ष पर्याप्त दुग्ध उत्पादन की जानकारी

*14-डा0 अजय तोमर-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में दुग्ध की मांग के सापेक्ष पर्याप्त दुग्ध उत्पादन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र को सहायता देने की कोई कार्य योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

जी हां।

इण्डियन कौन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च की रिकमन्डेशन के अनुसार 220 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता के आधार पर प्रदेश में 413.683 लाख किलोग्राम प्रतिदिन उपभोग हेतु दूध की अनुमानित आवश्यकता है। पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किये गये सर्वेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2006-07) के अनुसार प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 495.74 लाख किलोग्राम प्रतिदिन है। इस प्रकार से प्रदेश में दुग्ध की मांग के सापेक्ष 82,057 लाख किलोग्राम प्रतिदिन आवश्यकता से अधिक दूध का उत्पादन हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सब्जी उत्पादक कृषकों को सब्सिडी देने की मांग

*15-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सब्जी उत्पादक कृषकों को खाद, बीज, पानी पर सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी ? क्या इसके लिये सरकार कोई कार्य योजना बनाकर सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की समस्याओं का निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

प्रदेश में सब्जी उत्पादक कृषकों को खाद एवं बीज पर उद्यान विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सब्सिडी दी जा रही है। पानी पर सब्सिडी देने की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निर्मित जल स्रोत कृषकों के स्वामित्व में ही रहते हैं।

किसानों की समस्याओं के निदान हेतु पूर्व से ही योजनायें क्रियान्वित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*16-श्री सतीश महाना-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के बावजूद गोकशी की घटनायें संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो उसको रोकने के लिये क्या कोई प्रभावी कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश गो वध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। समय-समय पर जारी शासनादेशों के द्वारा अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

*17-श्री राम बिशुन आजाद-

[2सरे मंगलवार के ता0प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर में निषाद समुदाय के आर्थिक उत्थान हेतु संचालित योजनायें

*18-श्री अनूप सण्डा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सुल्तानपुर में निषाद समुदाय के आर्थिक उत्थान के लिये किसी कार्य योजना के लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री अवधेश कुमार वर्मा)

निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में सम्मिलित है और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें भी प्राप्त होता है। पृथक से कोई विशेष कार्य योजना लागू किया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुपोषण से बच्चों को बचाने की योजना

*19-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिये क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसीलिये प्राथमिकता पर लिया है। नियम-56 में लिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपको बड़ा लम्बा अनुभव है, इस सदन में। 311 में नहीं। महत्वपूर्ण घटनायें आप लाये हैं पिछली बार भी आप लाये थे मैंने कहा था कि नियम-56 में सुनूंगा। आप मान गये थे पिछली बार। मैंने कहा था कि 56 में सुन लेंगे। प्रश्न काल के बाद निधन के निर्देश के बाद ले लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ऐसा होता रहा है परम्पराओं के आधार पर। परम्परा न टूटें। नियम और कानून सब कुछ नहीं होता। परम्पराएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्नकाल के बाद, निधन के निर्देश के बाद ले लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

परम्परा नियम कानून से महत्वपूर्ण है। नियम कानून से कुछ नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

यह आपके निर्णय के विरुद्ध है, आपके निर्णय की अवहेलना है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मान्यवर, जो लोग स्वयं आकंठ डूबे हों वह दूसरे पर क्या आरोप लगायेंगे। मान्यवर, यह सरकार कानून व्यवस्था का पालन करने वाली है और कानून के मामले में कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ इस सरकार ने कार्यवाही की है।

(शोर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

नियम कानून से महत्वपूर्ण परम्परा है। यह पढ़े-लिखे हैं परम्परायें नियम और कानून से उच्च हैं। परम्पराओं के आधार पर सदन चलता है। संविधान चलता है। परम्परायें नहीं टूटनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आपको पूरा अधिकार है आप जब चाहें जितना समय लें। आपके समय में हम कटौती नहीं कर सकते हैं। नेता सदन हों चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, आपके समय में मैं कटौती नहीं करूंगा। आप यह नहीं कह सकते हैं कि समय नहीं दे रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रख दी।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आप बैठें, हम नेता प्रतिपक्ष से निवेदन कर लें उसके बाद आप जो व्यवस्था उठाना चाहें उठा लें, हम कहां मना कर रहे हैं। कहां आपकी बात टाल रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं नेता प्रतिपक्ष से कह रहा हूं कि नियम-311 में सभी दलों की नोटिस आ गई है। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मैंने उसको चयनित कर लिया, कि प्रथम नम्बर पर मैं इसी

जनपद महाराजगंज के परतावल उप नगर में तहसील की मांग

2-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 में जनपद महराजगंज के परतावल उप नगर में तहसील बनाने का निर्णय शासन ने किया था और सभी औपचारिकता पूर्ण करने, मण्डी समिति के भवन में नये तहसील का कार्य शुरू करने के साथ तहसीलदार की भी नियुक्ति कर दी गई थी ? यदि हां, तो तहसील का कार्य रोक दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

जब परतावल तहसील का सृजन ही नहीं हुआ तो शासन द्वारा इससे सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण करने, पदों पर नियुक्ति करने अथवा तहसील का कार्य रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिलों में गोड़ जाति धुरिया नामक जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा जुलाई, 2007 में प्रदेश के 57 जिलों में गोड़ जाति धुरिया नामक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने हेतु गणना एवं सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो जनपद प्रतापगढ़ की तहसीलदार और तहसील पट्टी के किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी जनसंख्या पाई गई है ? क्या सरकार उक्त गणना एवं सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

गोड़ जाति जो कहार की उप जाति है एवं धूरिया जाति का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ लगाने की मांग

4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने हेतु मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में क्या एस्ट्रोटर्फ लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरठ मल्टी परपज स्टेडियम है जिसमें विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जाते हैं। एस्ट्रोटर्फ पर हाकी को छोड़कर अन्य खेल का आयोजन संभव नहीं होता है अतः एस्ट्रोटर्फ के लिए अलग मैदान की आवश्यकता होती है। श्री कैलाश प्रकाश स्टेडियम मेरठ में एस्ट्रोटर्फ हेतु अलग मैदान उपलब्ध नहीं है जिसके कारण वहां एस्ट्रोटर्फ लगाया जाना संभव नहीं है।

जनपद मेरठ के बागपत बड़ौत में सी0डी0 पी0ओ0 कार्यालय भवन का देय किराया भवन मालिक को भुगतान करने की मांग

5-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार का पत्र सं0 444-45 दि0 24 जून, 2008 जो जिला परियोजना अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार, बागपत को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सी0डी0पी0ओ0 कार्यालय भवन, बड़ौत (बागपत) का देय किराया, भवन मालिक को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

जहां तक सी0डी0पी0ओ0 कार्यालय, बड़ौत (बागपत) के भवन किराये के भुगतान का प्रश्न है, उक्त भवन के किराये की स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 9-2-09 को जारी कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने की मांग

6-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले जानमाल के नुकसान की भरपाई हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता का वर्तमान में विवरण क्या है तथा क्या सरकार इसे बढ़ाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से होने वाले जान माल के नुकसान की भरपाई हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता का विवरण भारत सरकार के पत्र सं0-32-34/2005-एन0डी0एम0-0-1, दिनांक 27-8-2007 द्वारा जारी गाइडलाइन्स में दिया गया है।

गाइडलाइन्स में उल्लिखित सहायता राशि बढ़ाने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर है।

इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा के शंकरगढ़ विकास खण्ड को सूखा ग्रस्त घोषित करने की मांग

7-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा का शंकरगढ़ विकास खण्ड सूखा ग्रस्त घोषित है ? क्या इस क्षेत्र में सूखा राहत कोष से पेयजल की समस्या के निस्तारण हेतु ब्लास्टिंग कूपों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित न होने के कारण/दैवी आपदा से आच्छादित न होने के कारण ब्लास्टिंग कूपों के निर्माण हेतु आपदा राहत निधि से धनराशि स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम सदरपुर के श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव के चक की पैमाइश करने की जानकारी

8-श्री कुबेर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, ग्राम सदरपुर थाना-अकबरपुर, जिला-अम्बेडकर नगर के ग्राम स्थित चक संख्या-494 रकवा 1.294 हेक्टेयर की मौके पर पैमाइश कराने हेतु जिलाधिकारी-अम्बेडकर नगर को दिनांक 12-9-07 को प्रार्थना-पत्र दिया था, जिस पर जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर ने उप जिलाधिकारी, अकबरपुर को पैमाइश कराने के सम्बन्ध में आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या भू-स्वामी के चक संख्या-494 रकबा 1.294 हेक्टेयर की मौके पर पैमाइश करा दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त पैमाइश कब तक करा दी जायेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव के प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-9-07 पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, अकबरपुर को अपने पूर्व आदेश दिनांक 20-7-2006 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये थे, पैमाइश करने के आदेश नहीं।

आवेदक द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी के न्यायालय में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र न देने के कारण उसके निजी भूमि की पैमाइश नहीं कराई गई।

उप जिलाधिकारी के न्यायालय में धारा 41 भू-राजस्व अधिनियम का प्रार्थना-पत्र देने पर पैमाइश की कार्यवाही सम्भव होगी।

प्रदेश में नये उद्योग लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने की योजना

9-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में बड़े उद्योगपतियों को नये उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दूर की जा सके ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 बनाई गयी है। पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु निम्न योजनायें संचालित हैं :-

1-भूमि की खरीदारी पर स्टैम्प शुल्क से छूट तथा रियायती दरों पर सब-रजिस्ट्रार के यहां पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है।

2-अदा किये गये व्यापार कर के समतुल्य ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

3-अवस्थापना परियोजनाओं के त्वरित औद्योगिकीकरण की दृष्टि से मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किये जाने, वृहद परियोजनाओं को बढ़ावा देने एवं इनके समुचित अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक पृथक विभाग ''अवस्थापना विकास विभाग'' का गठन किया गया है साथ ही अवस्थापना के विकास के लिए पांच अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राथमिकतायें भी निर्धारित की हैं। यथा-कृषकों को सशक्तीकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, नगरीय पुनरुत्थान, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क अवस्थापना है।

4-राज्य सरकार की सहायता से निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाईयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना सुविधाओं, सर्विस सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित इकाईयों आदि में सर्वसमाज के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सकारात्मक कार्यवाही स्वीकृत किये जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया है।

5-ग्रेटर नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेस-वे का प्लान बनाया गया है। एक्सप्रेस-वे ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर बुलन्दशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, इलाहाबाद एवं वाराणसी होते हुए बलिया तक बनाया जाएगा। इन विश्व स्तरीय सड़कों से राज्य में उद्योगों एवं व्यापार की उन्नति के लिए सुदृढ़ अवस्थापना तैयार होगी। इसके लिए टेण्डर को अंतिम रूप देकर डेवलपर का चयन कर परियोजना की स्थापना की नींव रख दी गयी है। इस प्रकार निजी निवेशकों की अधिकाधिक सहायता लेकर अवस्थापना विकास हेतु स्पष्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति के अन्तर्गत परियोजना का शुभारम्भ किया गया है।

प्रदेश में डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी

10-श्री उदयभान करवरिया-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में वृहद् स्तर पर उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का पालन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2008-09 में किया गया था तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपदों में कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस योजना की वित्तीय स्वीकृतियां अभी तक जारी नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त वित्तीय स्वीकृतियां कब तक जारी हो जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर दुग्ध स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों हेतु 50 प्रतिशत शासन के समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं 50 प्रतिशत बैंक ऋण की सहायता से दो, चार, छः, आठ एवं दस उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की मिनी डेरी इकाइयों की स्थापना कर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रू0 200.00 करोड़ का प्राविधान बजट में करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

समाज कल्याण विभाग के चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट में प्राविधानित रू0 200.00 करोड़ की धनराशि को समाज कल्याण विभाग द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली निर्माण हेतु पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित कर दिये जाने के फलस्वरूप दुग्ध विकास विभाग द्वारा योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ दिये जाने की मांग

11-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कुल कितनी विधवा पेंशन धारक हैं ? क्या यह सच है कि जितनी विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही हैं उससे कहीं ज्यादा लाभ से वंचित हैं ? क्या इस वित्तीय वर्ष में सर्वे करा कर सभी विधवाओं को पेंशन का लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद इलाहाबाद में कुल 32344 पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन धारक हैं।

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपद इलाहाबाद का सर्वे कराया गया, सर्वे के उपरान्त कुल 5017 पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलायें पेंशन हेतु पात्र पाई गई, जिन्हें पेंशन के वितरण हेतु आवश्यकता के अनुरूप शासन स्तर से रु0 1,80,61,200.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के प्रत्येक खण्ड के बी0पी0एल0 धारक वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की जानकारी

12-श्री उदयभान करवरिया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रत्येक विकास खण्ड में वृद्धावस्था पेंशन कितने लोगों को प्राप्त है ? क्या सरकार द्वारा सभी वृद्धों को पेंशन लाभ प्रदान करने हेतु क्या कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद इलाहाबाद के प्रत्येक विकास खण्ड में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	फूलपुर	3520
2	बहादुरपुर	7472
3	बहरिया	4828
4	हंडिया	5954
5	धमूपुर	5202
6	मेजा	5970
7	प्रतापपुर	5487
8	सोरांव	4193

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	लाभार्थियों की संख्या
9	जसरा	4547
10	मेजा	5959
11	उरूवा	5931
12	माण्डा	4689
13	सोरांव	3690
14	होलागढ़	4334
15	मऊ आइमा	4218
16	कौड़िहार	7613
17	कोरांव	9653
18	करछना	9853
19	कोंधियारा	7578
20	चाका	4957
	योग :	**115648**

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 जनगणना वर्ष 2002 के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई। बी0पी0एल0 सूची में अंकित 60 वर्ष से 65 आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को रुपये 300/- मासिक वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-11013/1/2007/एन0एस0ए0पी0, दिनांक 23-09-2007 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-09-07 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-158 भा0स0/26-2-2007, दिनांक 8-11-2007 द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम परिवर्तित करते हुए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किया गया है जिसके अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में दर्ज वृद्धजनों को पेंशन का लाभ देय है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी रुपये 200/- तथा प्रदेश सरकार द्वारा रुपये 100/- अर्थात् कुल रुपये 300/- मासिक पेंशन दी जाती है। शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों को चयनित करने के लिये नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 का मानक निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर के तहसील गौरीगंज तथा ग्राम बाजगढ़ी के श्री राजा सिंह एवं श्री शिव सिंह पुत्र रामनाथ सिंह के राजस्व भूमि की खतौनी काटकर दूसरे के नाम किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

13-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजा सिंह एवं शिव सिंह पुत्र रामनाथ सिंह ग्राम बाजगढ़ी, तहसील गौरीगंज सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र, जो फर्जी मुकदमें की पत्रावली फर्जी सम्मन तामिल कर खतौनी काट कर दूसरे के नाम करने के सम्बन्ध में है, प्रश्नकर्ता का

दिनांक 10-4-06 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-4-06 को नहीं वरन् दिनांक 10-4-2008 को प्राप्त हुआ।

शिकायती-पत्र की जांच उप जिलाधिकारी गौरीगंज से कराई गई। जांच से विदित हुआ कि शिकायती-पत्र में उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में मूल खातेदार श्री शिव कुमार सिंह की मृत्यु के पश्चात् श्री राजा सिंह व श्री शिव सिंह ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर तहसीलदार गौरीगंज के न्यायालय में सन् 1998 में दाखिल खारिज का वाद प्रस्तुत किया था जिस पर मृतक खातेदार की पुत्री श्रीमती शान्ति देवी ने आपत्ति की थी। उभय पक्षों की सुनवाई के बाद तहसीलदार गौरीगंज ने दिनांक 3-3-2008 को गुणदोष पर वाद का निस्तारण कर दिया। इसके बाद ही श्रीमती शान्ति देवी ने दिनांक 14-3-08 को भूमि का बैनामा श्रीमती इशरत जहां के नाम कर दिया था तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध उप जिलाधिकारी, गौरीगंज के न्यायालय में अपील हुई। अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30-5-2008 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 3-3-2008 को निरस्त करते हुए वाद गुण दोष पर पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार के न्यायालय में प्रति प्रेषित किया जा चुका है। वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना-पत्र पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित ग्राम ऐथी के गाटा संख्या 2377, 2378, 2387 में अवैध कब्जा कर मकान बना लेने सम्बन्धित-पत्र पर कृत कार्यवाही

14. श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राम प्रकाश पुत्र किशनलाल ग्राम बाबूगंज मजरे ऐथी थाना व तहसील गौरीगंज सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 20-1-08 तथा तहसील दिवस दिनांक 25-3-08 को दिया गया प्रार्थना-पत्र, जिनमें ग्राम ऐथी के गाटा सं0-2377, 78-87, जो ग्राम समाज के खाते मे दर्ज है, पर अवैध कब्जा कर मकान बना लेने व बाधित आम रास्ते को खोलवाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र पर उप जिलाधिकारी गौरीगंज ने दिनांक 21-1-08 को सीमांकन करने व अवैध कब्जा हटाने का आदेश तहसीलदार को दे दिया है ? यदि हां, तो उक्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से कराई गई। ग्राम ऐथी के गाटा संख्या 2377, 2378, 2387 सरकारी अभिलेखों में श्रेणी-5-1 ग्राम सभा के खाते में नवीन परती के रूप में अंकित तथा सुल्तानपुर से रायबरेली मार्ग पर स्थित है। श्री मिश्रिलाल पुत्र माताफेर व देवनादीन

पुत्र शिवभूषण द्वारा 25 वर्ष पूर्व से मकान बने है। दोनों के मध्य 03 फुट चौड़ा गलीनुमा रास्ता है। श्री देवतादीन द्वारा गली में छप्पर रखकर बांस बल्ली वह टीन शेड रखकर तथा ईंट सीमेंट की पानी टंकी रखकर रास्ते को बाधित किया गया था जिसे दिनांक 05-11-2008 को पुलिस बल के सहयोग से अवरोध को हटाया दिया गया है।

श्री मिश्री लाल द्वारा पुराने मकान के पीछे नया निर्माण किया गया था जिसकी बेदखली का वाद 122बी के अन्तर्गत वाद संख्या 338 तहसीलदार न्यायालय में योजित किया गया है। सम्बन्धित वाद वास्ते आपत्ति प्रतिवादी दिनांक 02-3-2009 की तिथि निर्धारित है।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना के तालाबों से अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाने की मांग

15-श्री हुकुम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील कैराना जनपद-मुजफ्फरनगर में 1 अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2008 तक कितने तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त तहसील के अनेक तालाबों पर अवैध कब्जे/ अतिक्रमण जारी है जिससे ग्रामीण अंचलों में भूगर्भ जल स्तर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर अतिक्रमित तालाबों का सर्वेक्षण कराने के उपरान्त तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना में 01 अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2008 तक 134 तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया।

तहसील कैराना के कुछ तालाबों पर पुरानी पक्की आबादी के रूप मे अवैध अतिक्रमण है। वर्तमान में कोई नया अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है।

मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर ग्राम खानपुर के श्री बुद्धा पुत्र श्री वल्ली एवं श्री मंगल पुत्र अता हुसैन को वृद्धावस्था पेंशन देने की जानकारी

16-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के तीन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आपका आदेश संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम0/182236/2008, दिनांक 10-06-2008 प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित श्री बुद्धा पुत्र श्री बल्ली, निवासी ग्राम खानपुर देहा, पोस्ट कुरसंडा, शाहजहांपुर, 2-श्री नवाब अली पुत्र श्री वाजिद अली, निवासी ग्राम खानपुर देहा, पोस्ट कुरसंडा, शाहजहांपुर, 3-श्री मंगल पुत्र अता हुसैन, निवासी खानपुर देहा, शाहजहांपुर के वृद्धावस्था पेंशन विषयक आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण से प्राप्त आख्यानुसार श्री नवाब अली पुत्र वाजिद अली का नाम बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में होने के कारण उन्हें वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर वर्ष (2008-09) में रू0 3600/- का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्री बुद्धा पुत्र श्री बल्ली तथा श्री मंगल पुत्र अता हुसैन का नाम बी0पी0एल0 सूची में न होने के कारण उन्हें वृद्धावस्था पेंशन देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दूसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग

18-श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी फार्म हाउस में एक कुन्तल धान पैदा करने में कितना लागत मूल्य आता है ? क्या सरकार द्वारा किसानों को धान के लाभकारी मूल्य दिलाने की कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

कृषि विभाग के सरकारी फार्म हाउस पर धान बीज पैदा करने पर रू0 1196/- प्रति कुन्तल औसत लागत आती है।

प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य परामर्शदात्री परिषद् द्वारा भारत सरकार को फसलों के सहायक मूल्य संस्तुत किये जाते हैं जिसका संज्ञान लेकर भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। प्रदेश स्तर पर फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कश्यप, कुम्हार, प्रजापति आदि को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार की संस्तुति

19-श्री कुबेर सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2008 में किन-किन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लेकर भारत सरकार को संस्तुति की गई ? क्या सरकार उन जातियों का ब्योरा (नाम सहित) सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 4 मार्च, 2008 एवं 29 मार्च, 2008 द्वारा (1) कहार, कश्यप (2) केवट, मल्लाह, निषाद (3) कुम्हार, प्रजापति, (4) धीवर (5) बिन्द (6) भर, राजभर (7) धीमर (8) बाथम (9) तुरहा (10) गोंड (11) माझी (12) मछुवा एवं (1) लोनिया, (2) नोनिया (3) लोनिया-चौहान जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार को संस्तुति की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0 व यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग

20-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल के लिये उ0प्र0 के किसानों को डी0ए0पी0 व यूरिया खाद की कितनी आवश्यकता है ? क्या सरकार लक्ष्य के अनुरूप किसानों को डी0ए0पी0 व यूरिया खाद उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

भारत सरकार के कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जोनल कांफ्रेंस में रबी 2008-2009 में कृषकों को वितरण के लिये उत्तर प्रदेश हेतु 10.50 लाख मी0टन डी0ए0पी0 एवं 30.00 लाख मी0टन यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश के किसानों को लक्ष्य के अनुरूप खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में रबी 2008-2009 में दिनांक 31 जनवरी, 2009 तक प्रदेश में यूरिया एवं डी0ए0पी0 की आवश्यकता क्रमशः 24.00 लाख मी0टन एवं 9.14 लाख मी0टन के विरुद्ध उपलब्धता क्रमशः 23.39 लाख मी0टन एवं 9.88 लाख मी0टन रही जिसमें से कृषकों को क्रमशः 20.55 लाख मी0टन एवं 8.93 लाख मी0टन का वितरण हो चुका है। फास्फेटिक उर्वरकों में ही एन0पी0के0 काम्पलेक्स भी कृषकों में काफी लोकप्रिय है तथा वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग अधिक लाभकारी भी है। रबी में दिनांक 31 जनवरी, 2009 तक 5.00 लाख मी0टन लक्ष्य के विरुद्ध इसकी उपलब्धता 5.77 लाख मी0टन एवं वितरण 4.89 लाख मी0टन हुआ। उल्लेखनीय है कि फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता के लिये प्रदेश पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में है। आशा है कि भारत सरकार के सहयोग से कृषकों को ससमय उर्वरक उपलब्धता में कोई समस्या नहीं होगी।

प्रासंगिक नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-फूलबेहड़ ग्राम बालूडीहा में दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त करने की मांग

21-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद- लखीमपुर खीरी में ग्राम बालू डीहा वि0खं0 फूलबेहड़ में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत बनाई गई अनुसूचित जाति के लोगों

की दुकानों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं, स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत संचालित ग्रामीण क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिये जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम बालूडीहा विकास खण्ड-फूलबेहड़ में दुकानों का निर्माण नहीं कराया गया। जब निर्माण कार्य ही नहीं हुआ तो दबंगों द्वारा अवैध कब्जे का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मितौली को तहसील बनाने का प्रस्ताव

22-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मितौली को जिले की सातवीं तहसील बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस तहसील में कौन-कौन से परगनाओं को शामिल किया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

मितौली को तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ संदर्भित है। समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील को जिला बनाये जाने का विचार

23-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए क्या सरकार मोहम्मदी तहसील को जिला बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मोहम्मदी को जिला बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद सुल्तानपुर के सदर तहसील के ग्राम धरमैतेपुर के चकमार्ग के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग

24-श्री मदन भैया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के सदर तहसील के ग्राम धरमैतेपुर में स्थित चक मार्ग सं0 146 पर अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बा प्रसाद शर्मा द्वारा दि0 11-10-07 को दिया गया आवेदन-पत्र उप जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र यद्यपि प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी चकमार्ग संख्या 146 स्थित ग्राम धरमैतेपुर की पैमाइश कर मौके पर खाली करा दिया गया है।

आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के ग्राम सरसा के श्री भगौती सिंह पुत्र स्व0 माता प्रसाद सिंह की भूमि की पैमाइश की मांग

25-श्री मदन भैया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय के आदेश संख्या-143/वी0आई0पी0/मं0रा0वि0/08, दिनांक 10-3-08 के अनुपालन में श्री भगौती सिंह पुत्र स्व0 श्री माता प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम सरसा तह0 राम सनेही घाट जिला बाराबंकी की भूमि की पैमाइश करा दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

रिट याचिका संख्या-188 (कन्सा0)/1994 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-2-1994 द्वारा भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रभावी है जिसके कारण पैमाइश नहीं की जा सकी है।

26-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के ग्राम दरेहटा के श्री सालिकराम पुत्र स्व0 बवई की भूमि का सीमांकन

27-श्री उदयराज यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम सभा दरेहटा के सालिकराम पुत्र स्व0 बचई को गाटा सं0 959 रकबा 0.240 हे0 भूमि कृषि हेतु आवंटित की गई है और अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक कब्जा दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील पुरवा जनपद-उन्नाव के ग्राम दरेहटा परगना मौरावां के आवंटी श्री सालिकराम पुत्र स्व0 बचई को गाटा सं0 959 रकबा 0.240 हे0 भूमि कृषि हेतु आवंटित की गई है। आवंटी सालिकराम पुत्र स्व0 बचई निवासी दरेहटा का आवंटित भूमि संख्या-959 रकबा 0.240 हे0 भूमि पर कब्जा पूर्व से है। पुनः दिनांक 01-02-2009 को मौके पर सीमांकन करा दिया गया है।

प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् भी अभिलेखों में की गई प्रविष्टि को संशोधित करने में चकबन्दी अधिनियम की धारा 49 का उल्लंघन करने सम्बन्धी वाद की जानकारी

28-श्री सुधीर कुमार-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त, आकार पत्र-45 में

श्रेणी-1 'क' संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अधिकार प्राप्त, चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-49 में कोई भी दीवानी या माल न्यायालय भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सन्दर्भित प्रकरण में उक्त प्राविधान का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राविधानों का अतिक्रमण कर किये गये प्रश्नगत आदेश को वापस लेकर विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

विधिक प्रश्न है। कुटरचित एवं छल छद्म के आधार पर अभिलेखों में की गई प्रविष्टि को संशोधित करने में धारा 49 चकबन्दी अधिनियम बाधक नहीं है।

जी नहीं।

धारा 33/39 भू-राजस्व अधिनियम के बाद में उप जिलाधिकारी, सदर के निर्णय दिनांक 06-08-2002 के विरुद्ध राजस्व परिषद में निगरानी सं0-154 श्रीमती ऊषादेवी बनाम राज्य सरकार विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 01-05-2009 की तिथि नियत है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना के तालाबों से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

29-श्री हुकुम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील कैराना, जनपद मुजफ्फरनगर में अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2008 तक कितने तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया ? क्या यह सही है कि तहसील कैराना के अनेक तालाबों पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण जारी हैं जिससे ग्रामीण अंचलों में भूगर्भ जल स्तर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार प्रदेश स्तर के अधिकारियों की टीम बनाकर अतिक्रमित तालाबों का सर्वेक्षण कराने के उपरान्त तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना में 01 अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2008 तक 134 तालाबों से अतिक्रमण हटाया गया।

तहसील कैराना के कुछ तालाबों पर पुरानी पक्की आबादी के रूप में अवैध अतिक्रमण वर्तमान में कोई नया अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है।

मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम अटसलिया के श्री राम केवल दास पुत्र दुलारे दास को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की मांग

30-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम केवल दास पुत्र दुलारे दास ग्राम अटसलिया, पो0 रौजा, ब्लाक भावलखेड़ा, तहसील-सदर, जनपद शाहजहांपुर को वृद्धावस्था

पेंशन दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आपका आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/182339/2008, दिनांक 10-6-2008 प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

श्री राम केवल दास पुत्र श्री दुलारे दास, ग्राम-अटसलिया, पोस्ट-रौजा, ब्लाक-भावलखेड़ा, तहसील-सदर, जनपद-शाहजहांपुर के वृद्धावस्था पेंशन विषयक आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक का नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में न होने के कारण उन्हें वृद्धावस्था पेंशन देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रामा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र, ग्राम-अटसलिया, जनपद शाहजहांपुर को वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही

31-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रामादेवी पत्नी, राजेन्द्र ग्राम-अटसलिया, पो0 रौजा, ब्लाक भावलखेड़ा, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर आपका पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम/182340/2008, दिनांक 10-6-2008 प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

श्री रामा देवी पत्नी राजेन्द्र ग्राम-अटसलिया, पो0 रौजा, ब्लाक भावलखेड़ा, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर को वृद्धावस्था पेंशन विषयक आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक का नाम बी0पी0एल0 का सर्वे सूची 2002 में न होने के कारण उन्हें वृद्धावस्था पेंशन देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर ग्राम पटीट के स्व0 श्री नर्सिंग वर्मा पुत्र धनराज वर्मा के आश्रितों को सहायता दिये जाने की मांग

32-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम पटीट के स्व0 श्री नर्सिंग वर्मा पुत्र धनराज वर्मा की अचानक दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को कृषक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत सहायता देने हेतु जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा अपने पत्रांक सं0-3390/ सास-(कृ0दू0बी0यो0)-भूलेख, दिनांक 22-5-2008 में उप जिलाधिकारी, मनकापुर को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को सहायता दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

दिनांक 20-6-2008 को आवश्यक साक्ष्य भेजा गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

33-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत सदर तहसील के राजस्व ग्राम कटैय्या पड़री की गौशाला सोसाइटी की दर्ज भूमि तथा रजिस्ट्रेशन

34-श्री रियाज अहमद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की सदर तहसील, के राजस्व ग्राम कटैय्या पड़री की मजरा भरा पचपेड़ा में गौशाला सोसाइटी के नाम कुल कितनी भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ? उस सोसाइटी का पूरा नाम क्या है ? क्या वह सोसाइटी इस समय चिट फण्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार बरेली के यहां पंजीकृत सोसाइटी है ? यदि हां, तो उसका रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है तथा पंजीकृत रजिस्ट्रेशन कब तक वैध है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद पीलीभीत की सदर तहसील पीलीभीत के लेखपाल क्षेत्र कटैय्या पड़री के राजस्व ग्राम भरा पंचपेड़ा में खतौनी के अनुसार खाता संख्या-1 बरेली गौशाला सोसाइटी प्रबन्धकर्ता रोशन लाल पुत्र कन्हैया लाल निवासी-बरेली के नाम 109.522 हे0 भूमि बर्तार श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

सोसाइटी का पूरा नाम बरेली गौशाला सोसाइटी है।

यह सोसाइटी वर्ष 1916 में पंजीकरण संख्या-1-294 पर दिनांक 16-9-1916 को पंजीकृत हुई थी। इस सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स द्वारा दिनांक 10-12-1984 को निरस्त कर दिया गया वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार फर्म एवं चिट्स के अभिलेखों में इस नाम की कोई सोसाइटी पंजीकृत नहीं है। इस सोसाइटी द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत प्रबन्धन समिति की मान्यता हेतु मा0 उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इलाहाबाद में याचिका योजित की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

एम0जी0 पालीटेक्निक, हाथरस में आडिट में पाई गई अनियमितताओं के दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

35-डा0 अनिल चौधरी-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त नियंत्रक प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 कानपुर का जिलाधिकारी, महामायानगर को सम्बोधित पत्रांक-594/निरीक्षण, दिनांक 22-4-2008 जिसमें विभागीय आडिट में आई अति गम्भीर त्रुटियों पर अग्रिम कार्यवाही कर शासकीय धन के दुरुपयोग को रोकने के सम्बन्ध में है, पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्र दिनांक 17-1-2009 के द्वारा जिलाधिकारी, महामायानगर जो एम0जी0 पालीटेक्निक, हाथरस के प्राधिकृत नियंत्रक है, को आडिट आपत्तियों के माध्यम से पाई गई अनियमितताओं के लिये दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु निदेशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस0 पी0 वार्ष्णेय, पूर्व सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

36-श्री उदयराज यादव-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन के आदेश, दिनांक 24 जुलाई, 2008 के अनुपालन में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, गोमती नगर, लखनऊ का पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 08 जो श्री एस0पी0 वार्ष्णेय, पूर्व सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, जो निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 कानपुर श्री एस0एस0 राम को जांच हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट क्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? जांच के अनुसार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी नहीं।

शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-7-2008 जो रिट याचिका संख्या-834 (एस0बी0)/2008 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 7-7-2008 को पारित आदेशों के अनुपालन में श्री हरिओम वर्मा को सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक है की प्रति सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित नहीं की गई। सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र दिनांक 15-9-08 निदेशक को जांच के लिये नहीं प्राप्त हुआ, अपितु श्री एस0पी0 वार्ष्णेय, सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर की गई तैनाती के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी, तो उन्हें निदेशालय के पत्र दिनांक 10-10-2008 द्वारा उपलब्ध करा दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर के छात्रों का उत्पीड़न के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र की जांच

37-श्री उदयराज यादव-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी राजकीय पालीटेक्निक जगदीशपुर, जनपद-सुल्तानपुर के छात्रों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा पद का दुरुपयोग, जालसाजी, भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन का दुरुपयोग आदि की गम्भीर

शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन यादव, सांसद, फैजाबाद का पत्र दिनांक 17-8-08 माननीय मुख्य मंत्री जी को एवं श्री फरीद महफूज किदवई, विधायक, मसौली, जनपद बाराबंकी का पत्र दिनांक 21-6-08 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 कानपुर तथा माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

श्री मित्रसेन यादव, मा0 सांसद, फैजाबाद का पत्र दिनांक 17-8-08 नहीं अपितु पत्र दिनांक 27-8-08 प्राप्त हुआ है, जो मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है एवं श्री फरीद महफूज किदवई, मा0 विधायक, मसौली, जनपद बाराबंकी के पत्र दिनांक 21-6-08 प्राप्त हुए हैं।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र अन्य शिकायती-पत्रों के साथ जांच हेतु संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-सी0एम0-138/सीलह-2-2008, दिनांक 19-1-2009 द्वारा भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री छोटे लाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, गृह विभाग, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच

38-श्री उदयराज यादव-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 पी0 वार्ष्णेय, पूर्व सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा जनसाधारण, पद का दुरुपयोग, गम्भीर अनियमिततायें किये जाने एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री छोटे लाल, सेवानिवृत्त, वरिष्ठ सहायक, गृह विभाग, उ0 प्र0 सचिवालय, लखनऊ का दिनांक 7-8-08 एवं दिनांक 25-8-08 को पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी है ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

श्री छोटे लाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, गृह विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, गोमती नगर से कराई गई। जांचोपरान्त पाया गया कि श्री एस0पी0 वार्ष्णेय की पुत्री ने श्री छोटेलाल के पुत्र से अपनी मर्जी से आर्य समाज मन्दिर में शादी कर ली थी। इसी प्रकरण को लेकर दोनों पक्षों में मनमुटाव है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अलग-अलग अभियोग पंजीकृत कराये गये, जिनमें विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है।

जनपद आगरा में अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं के बिलों का भुगतान

39-श्री वी0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा में अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता 2004 (दिनांक 16-12-04 से 19-12-04 के मध्य) में टेन्टेज लाईटिंग

फेस क्लावर कार्यक्रम हेतु टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत रू0 15,50,000/-की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या आपूर्तिकर्ता फर्म को उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं। दिनांक 16-12-04 से 19-12-04 तक आगरा में आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता भाग 2 में विभिन्न व्यवस्थायें (टेण्ट हाउस लाइट हाउस) हेतु मे0 सनी टेण्ट एण्ड लाइट हाउस को जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0अ0 अधिकारी, आगरा द्वारा कार्यालय आदेश दिया गया था जिसके बिलों की धनराशि का योग रू0 13,82,200/- होता है।

आपूर्तिकर्ता फर्म को रू0 5.00 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2003-04 में किया जा चुका है।

प्रकरण पर कुछ गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें जांच की कार्यवाही प्रवृत्त है। जांच समाप्त होने के उपरान्त अवशेष धनराशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म को कर दिया जायेगा।

लखनऊ के के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन में विभिन्न व्यवस्थाओं के भुगतान की मांग

40- श्री वी0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11 दिसम्बर, 2004 को लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार वितरण समारोह हेतु के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में निर्धारित दरों पर टेन्ट, फर्नीचर आदि की आपूर्ति हेतु रू0 4,51,059/-की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता (फर्म) को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

दिनांक 11 दिसम्बर, 2004 को के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन में रू0 4.51,059/- के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति तत्कालीन निदेशक द्वारा दिनांक 28-11-2005 को प्रदान की गई।

सम्बन्धित फर्म को तत्समय रू0 75,000/- का भुगतान कर दिया गया था। अवशेष धनराशि रू0 37,659/- के देयक कालातीत हो जाने के कारण इनके भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

जनपद बस्ती में मेसर्स लक्ष्मी पालीमर्स प्रा0लि0 से ऋण के सापेक्ष वसूल की गई धनराशि

41- श्री इमरान मसूद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के दूसरे गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के उत्तर के सम्बन्ध में पिकप द्वारा जनपद बस्ती में मे0 लक्ष्मी पालीमर्स प्रा0 लि0 के स्वीकृत रू0 45.00 लाख के ऋण के सापेक्ष अब तक कुल

कितनी धनराशि का ऋण वसूला जा चुका है और अवशेष ऋण वसूलने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कम्पनी के गारण्टर्स कौन-कौन हैं तथा कम्पनी के डिफाल्ट होने पर गारन्टर्स से ऋण वसूलने के लिये जिला प्रशासन, बस्ती द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त कम्पनी के समस्त गारण्टर्स से ऋण वसूली के लिये आर0सी0 जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

मे0 लक्ष्मी पार्लामर्स प्रा0लि0 को रु0 44.60 लाख का ऋण वितरित किया गया है। जिसके विरुद्ध मूलधन के रूप में रु0 11.44 लाख की वसूली की जा चुकी है। कम्पनी के गारन्टर्स श्री आत्मा राम गुप्ता, श्रीमती शुस्मिता, श्री अखिलेश नारायण सिंह एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता है जो जनपद बस्ती के निवासी है। शेष ऋण की वसूली के लिये कम्पनी के गारन्टर्स के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2001 को जारी किया गया है।

गारन्टर्स से ऋण के लिये वसूली प्रमाण-पत्र को प्रभावी बनाये जाने के लिये पिकप प्रबन्ध द्वारा दिनांक 25-2-05, 09-3-05, 13-12-06, 22-11-07 एवं दिनांक 4-12-07 को जिला प्रशासन बस्ती से बकाया व्ययों की वसूली हेतु अनुस्मारक भेजा गया है। जिला प्रशासन, बस्ती द्वारा वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस (महामायानगर) में नवसृजित दुग्ध संघ को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने की अनुमति की मांग

42-डा0 अनिल चौधरी-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक संख्या-3004/रालोद/विमंडल/विस/08 दिनांक 19-8-08, जो जनपद हाथरस (महामायानगर) में नवसृजित दुग्ध संघ द्वारा स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने की अनुमति के सम्बन्ध में है आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या नवसृजित दुग्ध संघ को व्यवसाय करने हेतु शासन से अनुमति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

दुग्ध संघ अलीगढ़ द्वारा हाथरस दुग्ध संघ का संचालन किया जा रहा है, किन्तु वर्तमान में अलीगढ़ दुग्ध संघ की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नवसृजित हाथरस दुग्ध संघ को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाना सम्भव नहीं है। दुग्ध संघ अलीगढ़ की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर हाथरस दुग्ध संघ को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित गोष्ठियां तथा व्यय धनराशि की जानकारी

43-श्री अब्दुल बारिस खां-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मुजफ्फरनगर में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में कितनी कृषक गोष्ठियां किन किन ग्रामों में आयोजित की गयी हैं तथा इनके आयोजन में कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद मुजफ्फरनगर में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में 307 ग्रामों में 307 गोष्ठियां एवं वर्ष 2007-2008 में 348 ग्रामों में 348 गोष्ठियां आयोजित की गई हैं। (ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय में मा0 सदस्य द्वारा अवलोकित की जा सकती है)

उक्त अवधि में गोष्ठियों के आयोजन पर रु0 22,02,421/- की धनराशि व्यय हुई है।

जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाकों में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग

44-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के किन-किन ब्लाकों में चकबन्दी का कार्य चल रहा है ? क्या चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक चरथावल, बघरा, पुरकाजी, जानसठ, धौरना, बुढ़ाना, कांधला, शामली, थानाभवन, कैराना व शाहपुर कुल 11 ब्लाकों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित है।

चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु 5 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील शामली में मत्स्य पालन हेतु तालाबों का पट्टा

45-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के तहसील शामली के अन्तर्गत वर्ष 2006 से दिनांक 31-3-08 तक किन-किन व्यक्तियों को तालाब की भूमि का मत्स्य पालन हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया है ? क्या सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति की पात्रता का सत्यापन कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील शामली के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 31-03-2008 तक 26 व्यक्तियों को तालाब की भूमि का मत्स्य पालन हेतु आवंटन का पट्टा उप जिलाधिकारी, शामली द्वारा स्वीकृत किया गया है। (सूची संलग्न है)

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 136-137 पर)

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों में पशु चिकित्सालय तथा चिकित्सा उपकेन्द्र बनाने की मांग

46-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मुजफ्फरनगर के ग्राम कंडी, भैसाना, ईस्लामपुर, हिण्ड, बुण्टा, हसनपुर लुहारी, पिण्डौरा, मालपुरी में पशु चिकित्सालय अथवा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

ग्राम हसनपुर लूहारी एवं मालैण्डी में पूर्व से पशु चिकित्सालय स्वीकृत है।

ग्राम-बुण्टा एवं पिण्डौरा में पशु सेवा केन्द्र खोले जा सकते हैं।

ग्राम-कैंडी, गैसानी ईस्लामपुर एवं हिण्ड में पशु चिकित्सालय अथवा पशु सेवा केन्द्र नहीं खोले जा सकते हैं।

ग्राम-कैंडी, गैसानी इस्माइलपुर एवं हिण्ड की निकटस्थ कार्यरत संस्था से दूरी मात्र 2-3 कि0मी0 है जोकि दो संस्थाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के निर्धारित मानक के सापेक्ष कम है।

47-श्री जोखू लाल यादव-

[1ले सोमवार के अना0प्र0सं0-173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रेटर नोएडा में वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की नीति

48-श्री मदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोएडा में वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की क्या नीति है तथा वर्तमान में किस दर से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ?

सुश्री मायावती-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में महायोजना के अनुसार सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894, भू-अर्जन नियम संग्रह तथा सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-11 की उपधारा-1 सपठित धारा-55 के प्राविधानों में निर्मित उत्तर प्रदेश भू-अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा तथा अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997 के प्राविधानों में करार हेतु वर्तमान में 15 प्रतिशत पुनर्वास बोनस सहित रू0 850/- प्रति वर्ग मीटर प्रतिकर की दर निर्धारित है।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम बहेलिया में ग्राम समाज की भूमि/जलाशय के रूप में अंकित भूमि में हेराफेरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

49-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ, तहसील-मलिहाबाद के ग्राम बहेलिया की सन् 1383 फसली खतौनी क्र0सं0-130 में अंकित गाटा संख्या-200,43,44, 1स, 1720 ग्राम समाज/जलाशय के रूप में अंकित भूमि वर्तमान में किन व्यक्तियों का नाम अंकित है ? क्या सरकार समस्त भूमि को सन् 1383 फसली खतौनी के अनुसार स्वरूप प्रदान कर हेराफेरी में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम बहेलिया परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ की खतौनी सन् 1383 फसली से 1388 में अंकित गाटा संख्या-200, 43, 44, 01स ग्राम समाज एवं जलाशय के रूप में

है, जो कि वर्तमान खतौनी 1416-1421 फसली में खाता संख्या 280 व 281 पर गाटा संख्या 25ब तथा 2अ एवं 2ब एवं 448स बंजर/जलाशय के पुराने स्वरूप में ही दर्ज है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद के स्तर से जांचोपरान्त राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज/जलाशय के मूलरूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 03-11-07 को पारित किया गया है एवं तत्कालीन लेखपाल सहित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मु0अ0सं0-96/2008 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा0दं0वि0 थाना मलिहाबाद में पंजीकृत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम सिरगामऊ में तालाब के रूप में अंकित भूमि के स्वरूप में परिवर्तन कर खाताधारकों के नाम अंकित किये जाने की जांच

50-श्री सुधीर कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के ग्राम सिरगामऊ के आकार पत्र 41 की नयी गाटा संख्या- 1333 क तथा आकार पत्र 45 खाता खतौनी संख्या-608 की गाटा संख्या-893 क तालाब के रूप में अंकित है ? क्या यह सच है कि उक्त तालाब के स्वरूप में परिवर्तन कर वर्तमान खाता धारकों के नाम अंकित किया गया है ? क्या सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जारी शासनादेश के अनुपालन में उक्त समस्त भूमि पुनः तालाब के रूप में परिवर्तित कराकर व्यय धनराशि की वसूली वर्तमान खाता धारकों से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

गाटा संख्या-1333क चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 17-3-2007 अन्तर्गत आदेश डी0डी0सी0, उन्नाव संदर्भ संख्या-101 अं0 धारा 48(3) चकबन्दी अधिनियम ता0फै0 01-02-07 को मूल नवैयत तालाब में दर्ज की जा चुकी है। गाटा सं0 893क उपजिलाधिकारी, सदर के आदेश दिनांक 01-11-07 के द्वारा मूल नवैयत तालाब में दर्ज की जा चुकी है।

उक्त गाटा संख्यायें न्यायालय के आदेश से खाता धारकों के नाम आयी थी। अतः वसूली का कोई आधार नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण वर्षा से हुई क्षति पर सहायता राशि देने पर विचार

51-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष 2008 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण बरसात से आम आदमी एवं कृषकों को भारी क्षति हुई है ? क्या सरकार सर्वेक्षण करवाकर हुई क्षति पर राहत हेतु सहायता राशि देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा जारी आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के द्वारा सम्बन्धित मदों में निर्धारित मानकों के अनुसार मृत व्यक्तियों के आश्रित/परिवार को अनुमन्य राहत सहायता का वितरण कराया गया है। सर्वेक्षण कराकर क्षतिग्रस्त मकानों हेतु अनुमन्य गृह अनुदान वितरित किया गया है एवं 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसलों की क्षति पर कृषि निवेश अनुदान सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वितरित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में निरुद्ध बच्चों की संख्या व क्षमता

52-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, आगरा में कितने बच्चे निरुद्ध हैं तथा इसकी कुल क्षमता कितनी है ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 3-2-09 को संख्या में कुल 71 किशोर निरुद्ध हैं।

इसकी कुल क्षमता 75 संवासियों की है।

जनपद लखीमपुर खीरी के आर0ए0यू0के0 इण्टर कालेज, कफारा खीरी के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित करने की मांग

53-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के आर0ए0यू0के0 इण्टर कालेज, कफारा, खीरी में वर्ष 2007-08 में कक्षा 1 से 8 तक पिछड़े वर्ग के कितने बच्चों को वजीफा भेजा गया है ? वजीफा अब तक न बांटने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा बच्चों को छात्रवृत्ति कब तक वितरित करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी के आर0ए0यू0के0 इण्टर कालेज, कफारा में वर्ष 2007-08 में कक्षा-1 से 8 तक के कुल 138 छात्रों को छात्रवृत्ति भेजी गई है। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये उपभोग प्रमाण-पत्र के अनुसार दिनांक 15-12-2007 को उपरोक्त बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 की ज्येष्ठता सूची के क्रम सं0-59 पर दर्ज कर्मचारी द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों का निस्तारण

54-श्री लालजी यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक ए0सी0/3979/ अभि0/अन्तिम ज्येष्ठता सूची, दिनांक 22-1-2001 द्वारा उ0 प्र0 अधीनस्थ कृषि

सेवा वर्ग-3 की ज्येष्ठता सूची जारी की गई है ? यदि हां, तो उक्त सूची के क्रम संख्या-59 पर उल्लिखित कर्मचारी को प्रोन्नति का लाभ न देकर दूसरी सूची बनाकर प्रोन्नत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या क्रमांक संख्या-59 पर दर्ज कर्मचारी द्वारा इस त्रुटि को दूर करने का प्रत्यावेदन विभाग को दिनांक 29-5-07, 1-6-07, 14-6-07, 25-1-08, 10-4-08 को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्नगत प्रत्यावेदनों का निस्तारण कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के आदेश सं0 ए0सी0 (30)/अभि0 वर्ग-3/2552, दिनांक 18-9-08 द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद महानगर (शहरी क्षेत्र) में आक्यूपेंसी टेनेन्सी भूमि का क्षेत्रफल एवं कब्जे की जानकारी

55-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर में आक्यूपेंसी टेनेन्सी के वर्ग 6 (क), 6 (ख) तथा 6 (ग) के अन्तर्गत कितनी भूमि है तथा इन भूमियों के कब्जे किन-किन लोगों/संस्थानों के पास है ? क्या यह कब्जे उनको लिखित विलेख द्वारा या अन्य किसी नीति से दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

इलाहाबाद महानगर (शहरी क्षेत्र) में आक्यूपेंसी टेनेन्सी के वर्ग 6(क), 6(ख) तथा 6(ग) के अन्तर्गत राजकीय आस्थान की कुल भूमि का क्षेत्रफल 1176.841 हे0 है। इन भूमियों के कब्जे जिन लोगों/संस्थानों के पास हैं उनसे सम्बन्धित विवरण मा0 अध्यक्ष विधान सभा एवं मा0 राजस्व मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

यह कब्जे नार्थ वेस्टर्न प्रॉविंसेन्स लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1873 के अन्तर्गत एवं गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 एवं इस अधिनियम के उत्तर प्रदेश संशोधन, 1960 के अन्तर्गत दिये गये हैं।

गोण्डा मुख्यालय में स्थापित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री गंगा बाबू पूर्व विधायक के नाम पर करने का विचार

56-श्री राम विशुन आजाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के गोण्डा मुख्यालय पर स्थापित राजकीय आश्रय पद्धति विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री गंगा बाबू पूर्व विधायक के नाम पर करने पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के आर0ए0यू0 के इण्टर कालेज, कफारा में अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के वितरण की जानकारी

57-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के आर0ए0यू0के इण्टर कालेज, कफारा खीरी में वर्ष 2007-08 में कक्षा 1 से 8 तक सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति के कितने बच्चों को वजीफा भेजा गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि वजीफा न बांटने के क्या कारण है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

आर0ए0यू0के0 इण्टर कालेज, कफारा लखीमपुर खीरी में वर्ष 2007-2008 की कक्षा 1 से 8 तक सामान्य वर्ग के कुल 37 छात्रों हेतु रु0 15240/- तथा अनुसूचित जाति के कुल 83 छात्रों हेतु रु0 31200/- छात्रवृत्ति की धनराशि ग्राम पंचायत कफारा के ग्राम निधि के छात्रवृत्ति के खाते में प्रेषित की गई है।

सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति की प्रेषित धनराशि शत प्रतिशत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों में वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आवंटित धनराशि तथा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता

58-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 व 2007-08 में किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना धन आवंटित किया गया तथा उनमें से कितनी योजनाएं अभी भी अपूर्ण हैं ? क्या यह सही है कि कराये गये कार्य गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? क्या सरकार कार्यों की गुणवत्ता की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में संचालित योजनाओं में आवंटित धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष	आवंटित धनराशि
1	भूमि सेना योजना	06-07	9,06,300.00
2	किसान हित योजना	07-08	18,05,000.00
3	नाबार्ड 12 योजना	07-08	26,24,300.00
4	भूमि सेना योजना	07-08	3,31,000.00
किसान हित योजना का कार्य अपूर्ण है।			

कराये गये समस्त कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार है।

औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किसान हित योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों हेतु आवंटित धनराशि एवं गुणवत्ता

59-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में भूमि संरक्षण विभाग, गोण्डा द्वारा किसान हित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 व 2007-08 में किन-किन ब्लाकों में किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना धन आवंटित किया गया तथा उनमें कितनी योजनायें पूर्ण और कितनी अपूर्ण हैं ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मजदूरों से कार्य न करवाकर ठेकेदारी प्रथा से कराया गया है जिसकी गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में किसान हित योजना संचालित नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2007-08 में किसान हित योजना के अन्तर्गत ब्लाकवार आवंटित धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	आवंटित धनराशि (रु0 में)	
		2006-07	2007-08
1	बभनजोत	--	4205000
2	झंझरी	--	780000
3	इटियाथोक	--	1300000
4	मुजेहना	--	820000
5	रुपईडीह	--	2626300

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	आवंटित धनराशि (रु0 में)	
		2006-07	2007-08
6	हलधरमऊ	--	830000
7	ननकापुर	--	1055000
8	छपिया	--	450000
9	बेलसर	--	215000
10	परसपुर	--	250000
	योग :	--	**12531300**

पूर्ण/अपूर्ण योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	पूर्ण योजनायें	अपूर्ण योजनायें
2006-07	भूमि सेना राष्ट्रीय जलागम, नाबार्ड-11	--
2007-08	नाबार्ड-12	किसान हित नाबार्ड-11, कुशल जल प्रबन्धन, राष्ट्रीय जलागम योजना।

कार्य केवल श्रमिकों/लाभार्थी कृषकों से ही कराया गया है। ठेकेदारी प्रथा से नहीं। कराये गये समस्त कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप सुनिश्चित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर एवं तरबगंज के अत्यधिक जलवृष्टि से कृषकों को क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग

60-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर एवं तरबगंज में अत्यधिक जलवृष्टि से किसानों की फसलें एवं लोगों के धर क्षतिग्रस्त हुये हैं ? क्या सरकार सर्वे करवाकर उनको क्षतिपूर्ति दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। तहसील तरबगंज में सर्वेक्षण के बाद 39625 मामलों में 248.728 लाख रुपये की सहायता कृषि फसलों की क्षति के रूप में दिया गया है। बाढ़/अतिवृष्टि से तहसील मनकापुर में 112 मामलों में 1945 लाख तथा तहसील तरबगंज में 7902 पात्र व्यक्तियों में 107.745 लाख रुपये गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया है।

सर्वेक्षणोपरान्त ही भारत सरकार की गाइडलाइंस में अंकित व्यवस्था के आलोक में उपर्युक्तानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

61-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम बेहटा जंगल के प्राथमिक विद्यालय राम भरोसे लाल मेमोरियल शिक्षा निकेतन में छात्रवृत्ति हड़पने हेतु फर्जी रिकार्ड बनाने वालों के विरुद्ध जांच

62-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम बेहटा जंगल (ब्लाक कलान) के प्राथमिक विद्यालय श्री राम भरोसे लाल मेमोरियल शिक्षा निकेतन में जनवरी, 2008 में छात्रवृत्ति हड़पने के उद्देश्य से 291 छात्रों के फर्जी पंजीकरण तथा फर्जी रिकार्ड तैयार करने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी द्वारा इस मामले में स्थानीय बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग के स्थानीय सुपरवाइजर द्वारा जांच कराकर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दिनांक 13-5-2008 को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

उक्त विद्यालय के प्रबन्धक तथा प्रधान अध्यापक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर तथा गाजियाबाद की जेलों में कैदियों के खाने हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप सब्जी की व्यवस्था

63-श्री सुन्दर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बुलन्दशहर तथा जनपद-गाजियाबाद की जेलों में बन्द कैदियों को पिछले छः माह से खाने के साथ किसी प्रकार की सब्जी न देने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त जेलों में सब्जी आदि की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

जिला कारागार बुलन्दशहर तथा गाजियाबाद में निरुद्ध बन्दियों हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप सब्जी की पर्याप्त व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की जिला कारागार में बन्दियों की संख्या के अनुसार बजट का प्राविधान किये जाने की मांग

64-श्री सुन्दर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बुलन्दशहर की जिला कारागार में बंदियों की क्षमता लगभग साढ़े छः सौ है जबकि वर्तमान में जिला कारागार में लगभग 1500 कैदी बन्द है ? क्या यह भी सही है कि बंदियों के खाने के लिये बजट का प्राविधान क्षमता के अनुरूप नहीं है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 का बजट खत्म हो चुका है जिससे बन्दी भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं ? क्या सरकार बंदियों की संख्या के अनुसार बजट का प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जिला कारागार बुलन्दशहर की बन्दी क्षमता 840 के सापेक्ष 13 दिसम्बर, 2008 तक कुल 1482 बन्दी निरुद्ध हैं।

जी नहीं। कारागार में भोजन मद में बजट की कमी नहीं है।

बजट का प्राविधान बन्दियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की कारागारों में बन्दियों को रखने की क्षमता की जानकारी

65-श्री सुन्दर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कारागारों मे बन्दी रखने की कुल कितनी क्षमता है ? क्या प्रदेश के सभी कारागारों में क्षमता से अधिक बन्दी बन्द हैं ? क्या बंदियों की नित्य बदलती संख्या के हिसाब से कारागारों में भोजन आदि के लिये बजट की व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश की कारागारों में बन्दियों को रखने की वास्तविक क्षमता 41758 है।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

66-श्री मदन चौहान-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे पिछड़े वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की क्या नीति है ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों जिनकी वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 19,884/- तथा शहरी क्षेत्र में रुपये 25,546/- तक है, को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु रुपये 10,000/- अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजना में निराश्रित विधवाओं, अपंगों, भूमिहीन एवं दैवीय आपदा से ग्रसित लोगों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने में प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा अनुदान प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर दिये जाने की व्यवस्था है। शादी अनुदान केवल एक परिवार की दो पुत्रियों को ही दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के चयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें जनपद में मा0 सांसदगण एवं मा0 विधायकगण के नामित प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किये गये हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित आलू का समर्थन मूल्य

67-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009 के लिये आलू का समर्थन मूल्य सरकार कब तक घोषित करेगी ?

श्री नरायन सिंह-

वर्ष 2009 के लिये आलू का समर्थन क्रय मूल्य शासन द्वारा घोषित कर दिया गया है।

उ0प्र0 गोसेवा आयोग द्वारा गोशालाओं को आर्थिक सहायता

68-श्री रियाज अहमद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौशाला सोसायटी, बरेली को गोसदन आयोग से प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ? किसी सोसायटी को गो सदन आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के माप दण्ड क्या हैं ? क्या बरेली गोशाला सोसायटी वह मापदण्ड पूरे करती है ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

उ0प्र0 गोसेवा आयोग में धन उपलब्ध होने पर अंशदान के रूप में गोशालाओं की आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है।

उ0प्र0 गोशाला अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत पंजीकृत गोशालाओं को ही अनुदान दिया जाता है।

जी हां।

जनपद लखनऊ की पालीटेक्निक, कानपुर रोड में सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से चार वर्षीय डिप्लोमा का शैक्षिक सत्र प्रारम्भ करने की जानकारी

69-श्री लालजी यादव-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-1738 प्रा0 वि0-3-2003-12/96, दिनांक 23-8-2003 द्वारा राजकीय पालीटेक्निक, फैजाबाद रोड, लखनऊ में शैक्षिक सत्र, 2003-2004 से

मैकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चार वर्षीय अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ पालीटेक्निक, कानपुर रोड, लखनऊ में भी सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से चार वर्षीय अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

जी हां, लखनऊ पालीटेक्निक कानपुर रोड, लखनऊ में सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड से चार वर्षीय अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में पशु चिकित्सालय व पशु प्रजनन केन्द्र खोलने की मांग

70-श्री लालजी यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में वर्ष 2007-08 व 2008-09 में कितने नये पशु चिकित्सालय व पशु प्रजनन केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं ? उक्त केन्द्र कहां-कहां पर तथा कब तक बनाये जाने हेतु प्रस्तावित हैं ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

वर्ष 2007-08 में सिद्धार्थनगर में कोई पशु चिकित्सालय व पशु प्रजनन केन्द्र स्वीकृत नहीं हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत सिद्धार्थनगर में एक पशु चिकित्सालय का प्रस्ताव है। पशु प्रजनन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम भंवारी, विकास खण्ड बांसी में स्वीकृति उपरान्त बनाया जाना प्रस्तावित है।

जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर के ग्राम सभा खजुरी करौता के गाटा सं0-181 व 236 पर लोगों द्वारा अवैध कब्जे की जानकारी

71-श्री लालजी यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया के तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी करौता के गाटा सं0-181 व गाटा सं0-236 पर लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटाते हुए कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

गाटा संख्या-181 चक मार्ग है जिस पर खड़ंजा बना है और इस पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। गाटा संख्या-236 पर मौके पर बाग के रूप में है जिस पर भू-स्वामी श्री दीपराज पुत्र सिंहासन काबिज हैं। इस भूमि पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

72-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

महिला कल्याण निदेशालय के अधीन चलने वाले अनाथालय, राजकीय बालगृहों की दुर्दशा की जांच

73-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण निदेशालय के अधीन चलने वाले अनाथालय, राजकीय बालगृहों की दुर्दशा की सी0बी0आई0 जांच विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 23-1-2008 एवं 15-6-2008, जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

निदेशालय के अधिकारियों की संयुक्त जांच कमेटी बनाकर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली के बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र में उपमण्डी स्थल रिच्छा के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य पर दिये जाने की मांग

74-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद के बहेड़ी विधान सभा अन्तर्गत उपमण्डी स्थल रिच्छा के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के स्वामी कृषकों को दिये गये मुआवजे की धनराशि सरकारी मूल्य की दर से भी कम मूल्य पर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या मूल्य निर्धारण में की गई अनियमितताओं की सरकार जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं। अर्जित भूमि का मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिनियम/शासनादेशों के अनुरूप भू-स्वामियों को बाजार मूल्य के आधार पर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी वर्गों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु [illegible] अनुदान दिये जाने की सरकार की कार्य योजना

75-श्री जोखू लाल यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी वर्गों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक अनुदान दिये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना

है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विगत वित्तीय वर्ष 2007-2008 में जनपद-इलाहाबाद में पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु उक्त धनराशि वितरित की गयी ? उक्त वर्ग के लोगों की पुत्रियों को शादी हेतु आर्थिक अनुदान, जनपद इलाहाबाद हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? उसका वितरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884/- तक तथा शहरी क्षेत्र में रु0 25546/- तक है, को पुत्रियों की शादी हेतु निर्धारित पात्रतानुसार रु0 10,000/- की सहायता दिये जाने की योजना है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु रु0 20,000/- की सहायता दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 में जनपद इलाहाबाद के लिये पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं परिजनों के इलाज हेतु रु0 15.74 लाख एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं परिजनों के इलाज हेतु 74.10 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी।

प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ी जाति के 06 व्यक्तियों एवं सामान्य वर्ग के 08 व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपद इलाहाबाद हेतु पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं परिजनों के इलाज हेतु अनुदान मद में रु0 54.90 लाख एवं सामान्य वर्ग के पुत्रियों की शादी परिजनों के इलाज हेतु अनुदान मद में रु0 89.05 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

पिछड़ी जाति हेतु उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 53.40 लाख एवं सामान्य वर्ग हेतु उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रुपये 10.05 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इस मद में धनराशि का वितरण पात्र व्यक्तियों की उपलब्धता पर किया जाता है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम सभाओं के पास वर्ष 2005 से मई 2008 तक आरक्षित भूमि की जानकारी

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ की ग्राम सभाओं के पास वर्ष 2005 तक कितनी आरक्षित भूमि थी और मई, 2008 तक कितनी आरक्षित भूमि शेष बची है ? आरक्षित भूमि में कमी होने के क्या कारण हैं ? क्या आरक्षित भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभाओं के पास वर्ष 2005 तक कुल 53554/7202.305 हे0 आरक्षित भूमि थी और मई, 2008 तक उक्त सभी आरक्षित भूमि उपलब्ध है।

आरक्षित भूमि में कोई कमी नहीं हुई है।

आरक्षित भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अगौता, विकास खण्ड तथा बी0बी0 नगर विकास खण्ड में बने पशु चिकित्सालयों में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की मांग

77-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में विधान सभा क्षेत्र अगौता विकास खण्ड अगौता के ग्राम औलीना तथा बी0बी0 नगर विकास खण्ड के ग्राम अर्लीपुर चित्सौना, परतापुर लाडपुर पशु चिकित्सालयों के भवन करीब दो वर्षों से अधिक समय से बने हुए हैं ? यदि हां, तो आज तक डाक्टर व स्टाफ की तैनाती न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उपरोक्त पशु चिकित्सालयों में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की तैनाती मानक के अनुसार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

नये पदों का सृजन न होने के कारण तैनाती नहीं हो पा रही है।

जी हां।

नये पदों के सृजन होने पर स्टाफ की मानक के अनुसार तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के शास्त्री नगर की श्रीमती शशि प्रभा को समाज कल्याण विभाग द्वारा मुकदमें की पैरवी हेतु देय धनराशि की जानकारी

78-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शशि प्रभा, मकान नं0 494/2, शास्त्री नगर, कानपुर द्वारा दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में मु0अ0सं 87/95 धारा 498ए/323/504/506 आई0 पी0 सी0 दिनांक 3-9-1995 एवं मु0नं0 119/95 धारा 454/380 आई0पी0सी0 दिनांक 17-11-95 थाना-सीसामऊ, कानपुर में दर्ज मुकदमें की पैरवी हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा मात्र रु0 1200/- दिया गया था ? क्या यह सही है कि इस प्रकार के मुकदमें की पैरवी हेतु

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष उक्त धनराशि दिये जाने का प्राविधान है ? क्या सरकार उक्त भुगतान न करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए श्रीमती शशि प्रभा को शेष धनराशि का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी नहीं। श्रीमती शशि प्रभा को तत्समय प्रचलित दर के अनुसार रु0 1200/- एक मुश्त भुगतान किया जा चुका है। मुकदमें की पैरवी में मात्र एक बार एकमुश्त धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। अब मुकदमें की पैरवी हेतु दोबारा श्रीमती शशि प्रभा को कानूनी सहायता के रूप में धनराशि दिये जाने का प्राविधान नहीं है। अतः श्रीमती शशि प्रभा को उक्त पैरवी हेतु अब कोई धनराशि दिया जाना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चित्रकूट धाम मण्डल के कतिपय जनपदों में तहसील दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

79-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद-बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट में जून, 2008 से अक्टूबर, 2008 तक में तहसील दिवसों में कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितनों का निस्तारण शेष हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि जिलाधिकारी के वार को छोड़कर शेष तहसील दिवसों में तहसील स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति समाप्त कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त तीन माह में तहसील मुख्यालय पर उपस्थित रहने पर भी तहसील दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट में जून, 2008 से अक्टूबर, 2008 तक प्राप्त प्रार्थना-पत्र के निस्तारण/अनिस्तारण की स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद का नाम	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	निस्तारित प्रार्थना-पत्रों की संख्या	निस्तारण हेतु शेष प्रार्थना-पत्रों की संख्या
बांदा	6541	6541	--
हमीरपुर	4734	4722	12
महोबा	3732	3732	--
चित्रकूट	9111	9111	--

जी नहीं।

तहसील दिवसों में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर व बिना किसी औचित्य के अनुपस्थित पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाती है तथा उनकी उपस्थिति पर सतर्क निगरानी रखी जाती है। दृष्टान्तस्वरूप माह जून में दिनांक 10-6-08 को तहसील कर्वी में आयोजित तहसील दिवस में अनुपस्थित श्री राम केवल सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, रसिन व श्री भूषण प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी, ऐंचवारा जनपद चित्रकूट को तहसील दिवस में अनुपस्थित रहने सम्बन्धी इनके कृत्य की घोर भर्त्सना करते हुए आगामी देय एक वेतन वृद्धि अस्थाई रूप से रोक दी गई है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी बांदा द्वारा तहसील बबेरू के तहसील दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों का अनुपस्थिति की तिथियों का वेतन रोके जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रदेश के पिछड़ी जाति के समस्त छात्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भांति छात्रवृत्ति की योजना

80-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पिछड़ी जाति के समस्त छात्रों को अनु0 जाति/अनु0 जनजाति की भांति छात्रवृत्ति देने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जी हां, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 से पिछड़े वर्ग के समस्त पात्र छात्र/ छात्राओं को अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के छात्रों की भांति समान दर एवं शर्तों पर छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-पूर्वदशम् छात्रवृत्ति-

क्र0सं0	कक्षा	छात्रवृत्ति की मासिक दर	पात्रता हेतु माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय सीमा	वर्ष में देयता
1	1 से 5	रु0 25/-	सभी छात्र/छात्राओं को	12 माह
2	6 से 8	रु0 40/-	सभी छात्र/छात्राओं को	12 माह
3	9 से 10	रु0 60/-	रु0 30,000/- वार्षिक	12 माह

2-दशमोत्तर छात्रवृत्ति-

पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु0 1.00 लाख तक है, को निम्नलिखित मासिक दरों के अनुसार वर्ष में 10 माह हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	छात्रवृत्ति की मासिक दरें	
		दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
1	समूह-1 (तकनीकी एवं व्यवसायिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	रु0 330/-	रु0 740/-

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	छात्रवृत्ति की मासिक दरें	
		दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
2	समूह-2 (अन्य व्यवसायिक तथा तकनीकी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम-एम0फिल0, पी0एच0डी0, पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान स्नातकोत्तर/स्नातक डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम)	रु0 330/-	रु0 510/-
3	समूह-3 (स्नातक या इससे अधिक डिग्री के सभी अन्य पाठ्यक्रम जो समूह-1 तथा समूह-2 में शामिल नहीं किये गये हैं)	रु0 185/-	रु0 355/-
4	समूह-4 (समूह-2 व समूह-3 में शामिल न किये गये 10+2 पद्धति में कक्षा 11, 12 एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम। आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम)	रु0 140/-	रु0 235/-

लखनऊ के क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

81-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में आबकारी विभाग की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ को अब तक स्थानान्तरित न किये जाने का औचित्य क्या है ? उक्त अधिकारियों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री लोक निर्माण, सिंचाई (नलकूप एवं लघु डाल नहर को छोड़कर) आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

वर्तमान में क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ के पद पर श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित दिनांक 02-07-2008 से ही कार्यरत है। स्थानान्तरण नीति दिनांक 15 मई, 2008 के अनुसार श्री दीक्षित स्थानान्तरण की परिधि में नहीं आते है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बी0 टेक0 कक्षा में प्रवेश हेतु एन0 आर0 आई0 कोटा एवं उससे अर्जित विदेशी मुद्रा की जानकारी

82-श्री जोखू लाल यादव-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0 टेक0 कक्षा में प्रवेश हेतु एन0आर0आई0 कोटा कितने प्रतिशत निर्धारित है ? सरकार को इसके सापेक्ष कितनी विदेशी मुद्रा वर्तमान सत्र में अर्जित हुई है ? एन0 आर0 आई0 के अभ्यर्थी न मिलने की दशा में उनके स्थान पर किन छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा तथा इसके लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है ?

श्री सदल प्रसाद-

सरकार द्वारा डिग्री स्तरीय शासकीय अनुदानित इंजीनियरिंग कालेजों में बी0टेक0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्वीकृत क्षमता का 05 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार बी0टेक0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 15 प्रतिशत एन0 आर0 आई0 कोटा निर्धारित है।

इसके सापेक्ष शासकीय अनुदानित इंजीनियरिंग कालेज में लिये गये प्रवेश के अनुसार वर्ष 2008 में माह अगस्त 2008 के डालर के समतुल्य भारतीय मुद्रा की दर लगभग रु0 43.10 के अनुसार कुल 190000 यू0एस0 डालर (कुल रुपए 8189000 लगभग) की धनराशि प्राप्त हुई है।

सरकार द्वारा डिग्री स्तरीय शासकीय अनुदानित इंजीनियरिंग कालेजों में बी0टेक0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन0आर0आई0 के अभ्यर्थी न मिलने पर राज्य प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की मेरिट से काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेजों में निर्धारित 15 प्रतिशत सीटों पर एन0 आर0 आई0 अभ्यर्थी न मिलने पर मैनेजमेंट कोटे के अनुसार प्रवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं शैक्षिक अर्हताधारी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था है।

83-श्री जोखू लाल यादव-[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में किसानों को डी0 ए0 पी0 व यूरिया का वितरण

84-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू बुआई सत्र में आगरा जनपद को कितनी डी0ए0पी0 व यूरिया की मात्रा आवंटित की गयी है ? क्या यह मात्रा मांग के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो मांग के अनुरूप खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

रबी 2008-2009 हेतु आगरा जनपद के किसानों के लिए 83000 मी0टन यूरिया एवं 24000 मी0 टन डी0ए0पी0 उपलब्ध कराने का लक्ष्य आवंटित है।

जी हां।

रबी 2008-2009 में दिनांक 31 जनवरी, 2009 तक जनपद आगरा में यूरिया एवं डी0ए0पी0 की आवश्यकता क्रमशः 50.400 मी0टन एवं 20.380 मी0टन के सापेक्ष उपलब्धता क्रमशः 51.270 मी0टन एवं 26.765 मी0टन रही, जिसमें से कृषकों को क्रमशः 47.485 मी0टन एवं 24.426 मी0टन का वितरण हो चुका है।

85-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में बीज भण्डार की मांग

86-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग द्वारा संचालित खाद, बीज केन्द्र, सादुल्लानगर, जनपद-बलरामपुर कई वर्ष पहले तोड़ दिया गया है ? क्या यह सही है कि सादुल्लानगर के विकास खण्ड रेहरा बाजार, जहां खाद, बीज केन्द्र हैं, उसकी दूरी लगभग

18 कि0मी0 है ? यदि हां, तो क्या सरकार सादुल्लानगर बाजार में अतिरिक्त खाद, बीज केन्द्र खुलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की विक्री नहीं की जा रही है वरन् प्रदेश में उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियां एवं निजी विक्रय केन्द्रों द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सादुल्लानगर बीज भण्डार विशेष पैकेज योजनान्तर्गत विकास खण्ड रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर में संचालित था। वर्ष 1990-1991 में विशेष पैकेज योजना के समाप्त होने के फलस्वरूप यह बीज भण्डार बंद कर दिया गया। वर्तमान में शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में एक बीज भण्डार कार्यरत रहना है, जिसके अनुसार रेहरा बाजार विकास खण्ड में एक बीज भण्डार कार्यरत है।

लखनऊ स्थित कृषि भवन मुख्यालय, कृषि विभाग के अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति

87-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कृषि भवन मुख्यालय व लखनऊ स्थित कृषि विभाग के अन्य कार्यालयों में कितने ऐसे क्लास-2 व क्लास-3 के अधिकारी व कर्मचारी तैनात हैं, जो स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं ? क्या सरकार इन अधिकारियों व कर्मचारियों को लखनऊ मुख्यालय के अन्य जनपदों में स्थानान्तरण करने व अन्य जनपदों के अधिकारियों व कर्मचारियों को लखनऊ मुख्यालय स्थित कृषि भवन व अन्य कार्यालयों में तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

लखनऊ स्थित कृषि भवन (मुख्यालय) व लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में श्रेणी-2 का कोई ऐसा अधिकारी वर्तमान में कार्यरत नहीं है, जो 2008-09 में निर्गत स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आता हो।

मुख्यालय (कृषि भवन) में श्रेणी-2 के पदों पर कार्यरत 55 लेखाकार एवं लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में 02 लेखाकार कार्यरत हैं, जो स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील गोण्डा के लेखपाल श्री हरीश सिंह के स्थानान्तरण की मांग

88-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-गोण्डा की गोण्डा तहसील में श्री हरीश सिंह, लेखपाल लगभग 15 वर्षों से एक ही क्षेत्र पर तैनात हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी

यह भी बतायेंगे कि उक्त तैनाती प्रदेश की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत है ? यदि नहीं, तो क्या इनका स्थानान्तरण किसी अन्य तहसील में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

श्री हरीश कुमार सिंह, लेखपाल दिनांक 30-9-83 से तहसील गोण्डा में कार्यरत है। बीच-बीच में अन्य क्षेत्रों पर इसी तहसील में कार्यरत थे। क्षेत्र उर्जैनी कला पर दिनांक 14-7-87 से 16-11-92 तक व 6-5-94 से 20-1-98 तक तथा दिनांक 8-12-98 से अब तक कार्यरत है।

नहीं। समय से स्थानान्तरण न करने के कारण सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को सचेत किया गया। श्री हरीश कुमार सिंह, लेखपाल तहसील गोण्डा का स्थानान्तरण मुख्य राजस्व अधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 6-2-2009 द्वारा तहसील-तरबगंज के लिए किया जा चुका है जिन्हें तहसीलदार, गोण्डा के कार्यालय दिनांक 06 फरवरी, 2009 द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है।

जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम बालू डीहा वि0 खण्ड फूलबेहड़ में अनुसूचित जाति के लोगों को दुकानों के आवंटन की जानकारी

89-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में ग्राम-बालू डीहा वि0 खण्ड फूलबेहड़ में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दुकानें आवंटित कर दी गई हैं ? यदि हां, तो इन दुकानों से कितने अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं, स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत संचालित ग्रामीण क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-बालूडीहा विकास खण्ड-फूलबेहड़ में दुकानों का निर्माण नहीं कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में तैनात सी0डी0पी0ओ0 सुश्री साधना श्रीवास्तव द्वारा पुष्टाहार में अनियमियता किये जाने सम्बन्धी-पत्र पर कृत कार्यवाही

90-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-6-2008 जो विकास खण्ड रेहरा बाजार जनपद-बलरामपुर में तैनात सी0डी0पी0ओ0 साधना श्रीवास्तव द्वारा पुष्टाहार में अनियमितता किये जाने की जांच के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-06-08 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अपितु दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है।

सुश्री साधना श्रीवास्तव, सी0डी0पी0ओ0 बलरामपुर के विरुद्ध प्राप्त दिनांक रहित पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की अपर परियोजना प्रबन्धक से करायी गयी है। जांच आख्या में कार्य प्रणाली ठीक न होना बताया गया। इस सम्बन्ध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जेट्रोफा के पौधे लगाये जाने की नीति

91-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जेट्रोफा के पौधे लगाये जाने तथा इसके प्रशिक्षण पर वर्ष 2007-08 में कितना धन खर्च किया गया ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

राज्य सेक्टर की "जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहन" योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में जेट्रोफा के पौधे लगाये जाने पर कोई व्यय नहीं किया गया। इस योजना मे जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम था, जिसमें रु0 67.50 लाख व्यय किया गया।

जी हां। जनपदवार व्यय विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 138-139 पर।)

जनपद गोण्डा व बलरामपुर में अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग

92-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा व बलरामपुर में अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं को वर्ष 2007-08 में छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है तथा कितने छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति शेष है ? उनको कब तक छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 में 113812 छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र नियत तिथि तक प्राप्त हुए थे जिन्हें कम्प्यूटर में फीड कराकर छात्रवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/संस्थाओं/छात्रों के खातों में स्थानान्तरित किया गया। उक्त समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण कराया जा चुका है। जनपद स्तर पर वर्ष 2007-08 में कोई आवेदन-पत्र अवशेष नहीं है।

जनपद बलरामपुर में वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु कुल 41312 आवेदन-फार्म नियत तिथि तक प्राप्त हुए थे, जिन्हें कम्प्यूटर में फीड कराकर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/संस्थाओं/छात्रों के खातों मे स्थानान्तरित किया गया। उक्त समस्त छात्र छात्राओं की

छात्रवृत्ति का वितरण कराया जा चुका है। जनपद स्तर पर वर्ष 2007-08 के कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल में आलू पर आधारित इकाई लगाने की योजना

93-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या उद्यान मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि क्या आगरा मण्डल में आलू पर आधारित इकाई लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी नहीं। सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग द्वारा आगरा मण्डल में आलू पर आधारित कोई इकाई लगाने की योजना नहीं है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादकों/निवेशकों को इकाई लगाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

जनपद मुजफ्फरनगर की शामली व कैराना तहसील में पात्रता के आधार पर कृषि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन

94-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की शामली तथा कैराना तहसील में वर्ष 2007-08 में कितने व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर कृषि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली में वर्ष 2007-2008 में 76 व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर 11.740 हे0 भूमि का कृषि पट्टों का आवंटन किया गया एवं 325 पात्र व्यक्तियों को 3036 हे0 भूमि का आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है तथा तहसील केराना में वर्ष 2007-08 में कृषि भूमि के 180 पात्र व्यक्तियों को 31.703 हे0 भूमि एवं आवास स्थल हेतु 172 पात्र आवंटियों को 2.106 हे0 भूमि का आवंटन किया गया है।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन के पात्र व्यक्तियों को कृषि एवं आवासीय पट्टो के आवंटन की जानकारी

95-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन ब्लाक में वर्ष 2007-08 में कुल कितने व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर कृषि/आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील श्यामली के ब्लाक थाना भवन में वर्ष 2007-08 में पात्रता के आधार पर 17 व्यक्तियों को 2.8430 हे0 भूमि का कृषि पट्टों का आवंटन किया गया है तथा 144 व्यक्तियों को 1.6660 हे0 भूमि का आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है।

मुजफ्फरनगर के थाना भवन व ऊन ब्लाक के पात्र व्यक्तियों को आवासीय व कृषि भूमि का आवंटन

96-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन व ऊन ब्लाक में वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति के कितने व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर कृषि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि थाना भवन-ऊन ब्लाक में कितने पात्र व्यक्ति/परिवार पट्टों के आवंटन से वंचित रह गये हैं ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर के थानाभवन ब्लाक में वर्ष 2007-08 में पात्रता के आधार पर अनुसूचित जाति के 17 व्यक्तियों को 2.8430 हे0 भूमि का कृषि पट्टों का आवंटन किया गया है तथा थानाभवन ब्लाक में अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति निवासरत नहीं है। पिछड़ी व सामान्य जाति के किसी व्यक्ति को वर्ष 2007-08 में कृषि पट्टों का आवंटन नहीं किया गया है।

129 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1.521 हे0 भूमि के आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है तथा पिछड़ी जाति के 15 व्यक्तियों को 0.1450 हे0 भूमि के आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है। सामान्य जाति के किसी व्यक्ति को वर्ष 2007-08 में आवासीय आवंटन नहीं किया गया है।

ब्लाक ऊन में कृषि भूमि आवंटन में अनुसूचित जाति के 30 व्यक्तियों व पिछड़ी जाति के 85 कुल 115 पात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन किया गया है। आवास स्थल आवंटन में अनुसूचित जाति के 84 पिछड़ी जाति के 188 व सामान्य जाति के 16 व्यक्तियों को कुल 288 पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टों का आवंटन किया गया है।

तहसील श्यामली के थानाभवन व ऊन ब्लाकों में उक्त आवंटित परिवारों के अलावा पात्र व्यक्तियों की जांच करायी जा रही है, भूमि की उपलब्धता होने पर वंचित रह गये व्यक्तियों को कृषि एवं आवासीय पट्टों का आवंटन किया जायेगा।

जनपद मुजफ्फरनगर के ऊन व थानाभवन के अन्तर्गत आने वाले तालाबों का मत्स्य पालन हेतु आवंटन

97-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक ऊन व थाना-भवन के अन्तर्गत कितने तालाब आते हैं व उन तालाबों के पट्टे किन-किन समुदाय के लोगों को दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक ऊन के अन्तर्गत कुल 85 तालाब पाये गये हैं जिसमें से 70 तालाब मछली पालन हेतु उपयुक्त पाये गये हैं। इसमें से 67 तालाबों का मत्स्य पालन हेतु आवंटन किया गया है। शेष 03 तालाबों का नियमानुसार शिविर आयोजित कर मछुआ समुदाय के पात्र व्यक्तियों में वरीयता क्रम के अनुसार आवंटन किया जायेगा।

ब्लाक थानाभवन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में शासनादेश दिनांक 17-10-95 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 07-11-98 से 06-08-02 के मध्य वरीयतानुसार मछुआ समुदाय के 03 व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन किया गया है। उसके पश्चात् मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार दिनांक 07-08-02 से 28-09-05 के मध्य सार्वजनिक नीलामी के आधार पर मछुआ समुदाय व अन्य समुदाय के 33 व्यक्तियों का मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन किया गया है एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सम्पूर्ण पीठ के निर्णयानुसार दिनांक 29-09-05 से दिनांक 05-11-08 के मध्य शासनादेश दिनांक 17-10-95 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर मछुआ समुदाय के 16 व्यक्तियों को वरीयता के अनुसार तालाबों का मत्स्य पालन हेतु आवंटन किया गया। इस प्रकार कुल 52 तालाबों का मत्स्य पालन हेतु आवंटन किया जा चुका है। शेष 13 तालाबों को नियमानुसार शिविर आयोजित कर मछुआ समुदाय के पात्र व्यक्तियों में वरीयता क्रम के अनुसार आवंटन किया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद की नैनी जेल में सजा पूर्ण कर चुके कैदियों की रिहाई की मांग

98-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जेलों में निरुद्ध सजा याफ्ता कैदियों जिनकी सजा की अवधि समाप्त हो गयी है, उन्हें जेल से रिहा करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि सेन्ट्रल जेल नैनी, इलाहाबाद में इस प्रकार के कुल कितने कैदी है ? उनका विवरण क्या है ? उन्हें कब तक रिहा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश के विभिन्न जेलों में निरुद्ध सजा याफ्ता कैदियों जिनकी सजा की अवधि समाप्त हो गयी है, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कारागार, नैनी में ऐसा कोई भी सजा याफ्ता बन्दी निरुद्ध नहीं है, जिसके सजा पूर्ण होने पर रिहा न किया गया हो।

विवरण शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आगरा के फतेहाबाद विकास खण्ड में नकली खाद व बीज के मामले

99-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के फतेहाबाद वि0ख0 क्षेत्र में 2008 में 31-10-08 तक नकली खाद व बीज के कितने मामले पाये गये ? उन पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री साधना श्रीवास्तव, सी0डी0पी0ओ0 बलरामपुर के विरुद्ध प्राप्त दिनांक रहित पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की अपर परियोजना प्रबन्धक से करायी गयी है। जांच आख्या में कार्य प्रणाली ठीक न होना बताया गया। इस सम्बन्ध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जेट्रोफा के पौधे लगाये जाने की नीति

91-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जेट्रोफा के पौधे लगाये जाने तथा इसके प्रशिक्षण पर वर्ष 2007-08 में कितना धन खर्च किया गया ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

राज्य सेक्टर की "जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहन" योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में जेट्रोफा के पौधे लगाये जाने पर कोई व्यय नहीं किया गया। इस योजना में जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम था, जिसमें रू0 67.50 लाख व्यय किया गया।

जी हां। जनपदवार व्यय विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 138-139 पर।)

जनपद गोण्डा व बलरामपुर में अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग

92-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा व बलरामपुर में अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं को वर्ष 2007-08 में छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया जा चुका है तथा कितने छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति शेष है ? उनको कब तक छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 में 113812 छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र नियत तिथि तक प्राप्त हुए थे जिन्हें कम्प्यूटर में फीड कराकर छात्रवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/संस्थाओं/छात्रों के खातों में स्थानान्तरित किया गया। उक्त समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण कराया जा चुका है। जनपद स्तर पर वर्ष 2007-08 में कोई आवेदन-पत्र अवशेष नहीं है।

जनपद बलरामपुर में वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु कुल 41312 आवेदन-फार्म नियत तिथि तक प्राप्त हुए थे, जिन्हें कम्प्यूटर में फीड कराकर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/संस्थाओं/छात्रों के खातों में स्थानान्तरित किया गया। उक्त समस्त छात्र छात्राओं की

से ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान मण्डी परिषद् से दिये जाने की व्यवस्था थी, जिसको बढ़ाकर क्रमशः रु0 1.50 प्रति कि0ग्रा0 तथा रु0 0.50 प्रति कि0ग्रा0 कर दिया गया है।

मण्डी परिषद् द्वारा कृषि उत्पादकों का निर्यात नहीं किया जाता है बल्कि मण्डी परिषद् की भूमिका प्रोत्साहक (फैसिलिटेटर) के रूप में होती है।

वर्ष 2008 में फर्रूखाबाद एवं फतेहाबाद के आलू उत्पादक सदस्यों को आलू निर्यात के आर्डर प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-12-2008 तक फर्रूखाबाद से 323 मी0टन तथा फतेहबाद से 212 मी0टन आलू निर्यात किया जा चुका है।

जनपद बरेली की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) हेतु भूमि का हस्तान्तरण

103-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत सत्र 2007-08 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) स्वीकृत हुआ है ? क्या यह सही है कि नगर पालिका परिषद्, बहेड़ी के बोर्ड ने बहुमत से पालिका की 50 बीघा जमीन में अपनी सहमति जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से शासन को भेजी थी ? यदि हां, तो क्या प्राथमिकता के आधार पर भूमि चयन कर संस्थान का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जनपद बरेली की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत सत्र 2007-08 से नहीं बल्कि वित्तीय वर्ष 2006-07 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) स्वीकृत हुआ है।

जी नहीं। नगर पालिका परिषद् बहेड़ी द्वारा केवल 02 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव किया है। भूमि संस्थान के पक्ष में हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है अपितु जिलाधिकारी बरेली के स्तर पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही लम्बित है।

जिलाधिकारी बरेली द्वारा भूमि संस्थान के नाम हस्तान्तरित करने के उपरान्त भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी बरेली को निदेशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में डी0ए0पी0 खाद की मांग

104-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में वर्तमान में डी0ए0पी0 खाद की कितनी मांग है और उसके सापेक्ष कितनी उपलब्धता है ? क्या सरकार बुन्देलखण्ड में डी0ए0पी0 खाद की मांग के अनुसार पूर्ति कराने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

बुन्देलखण्ड में वर्तमान रबी 2008-09 में वितरण हेतु 66.300 मी0टन डी0ए0पी0 उर्वरक उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 31 जनवरी, 2009

तक 70.911 मी0टन डी0ए0पी0 उर्वरक उपलब्ध हो चुकी है जिसमें से 67.731 मी0टन का वितरण हो चुका है।

शासन द्वारा बुन्देलखण्ड को विशेष प्राथमिकता पर लक्ष्य से अधिक डी0ए0पी0 उर्वरक उपलब्ध करायी गयी।

प्रासंगिक नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावितों को आवास एवं मुआवजा दिये जाने की मांग

105-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में दि0 24-9-2008 को अप्रत्याशित रूप से आयी भयंकर बाढ़ से कितनी फसलों को नुकसान हुआ तथा कुल कितने लोग बेघर हो गये ? उनमें से कितनों को आवास उपलब्ध कराये गये तथा कितने लोगों को किस दर से कितना मुआवजा दिया गया ? क्या सरकार जनहित में सभी ऐसे पात्रों को आवास उपलब्ध करायेगी, जिनके घर बाढ़ में ध्वस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 24-9-2008 को अप्रत्याशित रूप से आयी भयंकर बाढ़ में 20479 हे0 क्षेत्रफल में फसलों को नुकसान हुआ तथा कोई व्यक्ति बेघर नहीं हुआ।

दिनांक 24-09-2008 को जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ के पश्चात् बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावितों के 251 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, जिनमें 1538 आवासों की मांग की गयी है। जांच में अब तक पात्र पाये गये 196 व्यक्तियों को इंदिरा आवास आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-जी0आई0-134/1-11-07-46/97 दिनांक 31-7-2007 से संलग्न भारत सरकार की गाइडलाइन्स में उल्लिखित मानक दरों के अनुसार बाढ़/अतिवृष्टि से पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों को रु0 10,000/-, अत्याधिक क्षतिग्रस्त पक्के मकानों हेतु रु0 5,000/-, कच्चे मकानों हेतु रु0 25,00/- प्रति मकान की दर से एवं आंशिक क्षतिग्रस्त/नष्ट मकानों हेतु रु0 1500/- तथा क्षतिग्रस्त/ नष्ट झोपड़ी हेतु रु0 2,000/ प्रति मकान/झोपड़ी की दर से कुल रु0 5,45,88,500/-गृह अनुदान वितरित किया गया।

जी हां।

अवशेष प्रार्थना पत्र की जांच के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के दुग्ध संघ में सचिव एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में पत्र

106-डा0 अजय तोमर-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी को भेजे गये प्रश्नकर्ता के पत्र कम्प्यूटर संख्या सी-10180780 पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम0 180/80/ 2008

द्वारा प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास को दिनांक 19-05-08 भेजा गया था, तथा जो जनपद बागपत के दुग्ध संघ में सचिव एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, बागपत में दुग्ध संघ गंगोल मेरठ की ओर से निम्नलिखित स्टाफ की तैनाती की गयी है :-

1-डा0 अशोक वात्यान, प्रबन्धक ग्रेड-3 (एएच)/प्रभारी बागपत क्षेत्र।

2-डा0 पी0 के0 अग्रवाल, प्रबन्धक ग्रेड-4 (एएच)/प्रभारी डा0 अम्बेडकर स्वरोजगार योजना।

3-श्री सत्यवीर सिंह पवार, क्षेत्र पर्यवेक्षक।

4-श्री सत्यवीर सिंह तोमर, क्षेत्र पर्यवेक्षक।

5-श्री के0 पी0 यादव, क्षेत्र पर्यवेक्षक।

6-श्री ए0के0 कटियार, क्षेत्र पर्यवेक्षक।

दुग्ध संघ के क्रिया-कलापों सम्बन्धी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार वर्तमान में प्रभारी दुग्ध संघ, मेरठ के पास है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर रौजा आई0 टी0 आई0 के भवन तथा हास्टल के जीर्ण-शीर्ण दशा के सुधारने की कार्य योजना

107-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर का रौजा आई0टी0आई0 का भवन तथा हास्टल जीर्ण-शीर्ण है क्या शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की भी कमी है एवं ट्रेनीज के लिये शिक्षण काम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी पर्याप्त नहीं है ? क्या सरकार शाहजहांपुर रौजा आई0टी0आई0 की दशा सुधारने हेतु कोई समयबद्ध कार्य-योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां।

जी हां। शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की कमी है किन्तु ट्रेनीज के लिए शिक्षण काम में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर्याप्त है।

जी हां। शाहजहांपुर रोजा आई0टी0आई0 की दशा सुधारने हेतु पूर्व से ही कार्य-योजना बनायी गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहजहांपुर के भवन का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्टाफ की कमी को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। संस्थान को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत उर्च्चीकृत किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा

रुपये 250 करोड़ की ब्याज मुक्त धनराशि अवमुक्त की गयी है। राज्य सरकार तथा रोजा पावर कम्पनी प्रा0लि0 शाहजहांपुर के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार रोजा पावर कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा विस्थापितों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहजहांपुर की कुल सीटों के 20 प्रतिशत पर विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कराये जाने तथा रोजा पावर कम्पनी प्रा0लि0 शाहजहांपुर आई0टी0आई0 द्वारा संस्थान सी0ओ0ई0 के रूप में उच्चीकृत करने हेतु चरणवद्ध तरीके से सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश के नये शीतगृहों की स्थापना एवं विस्तारीकरण हेतु सब्सिडी दिये जाने की जानकारी

108-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये शीतगृह बनाने एवं पुराने शीतगृहों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में कितने प्रतिशत सब्सीडी दिये जाने का प्राविधान है ? क्या आलू सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के सुरक्षित भण्डारण हेतु सरकार कम से कम लागत मूल्य का 50 प्रतिशत सब्सीडी दिये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

प्रदेश में नये शीतगृह निर्माण कराने एवं पुराने शीतगृहों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य औद्योनिक मिशन योजनान्तर्गत निम्नलिखित सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान है :--

नये शीतगृहों की स्थापना एवं विस्तारीकरण हेतु जिनकी क्षमता 10-5000 मी0टन तक तथा निर्माण लागत रु0 200 करोड़ से अधिक न हो, परियोजना लागत का 25 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड सब्सिडी अधिकतम 50 लाख राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त देय है।

आलू सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के सुरक्षित भण्डारण हेतु कम से कम लागत मूल्य का 50 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही सब्सिडी देय है।

जनपद बागपत के ब्लाक बडौत में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत हाट कुक प्लान की अनियमितता की जांच की मांग

109-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-10-08 जो जनपद बागपत के ब्लाक बड़ौत में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत हाट कुक प्लान की अनियमितता के जांच के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी सहित पूर्ण राज्य में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की योजना

110-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है ? यदि हां, तो यह योजना किन नियमों के तहत लागू है और वाराणसी सहित पूर्ण राज्य में कितने लाभार्थियों को योजना के तहत पेंशन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे0-11013/1/2007/एनएसएसी, दिनांक 23-09-2007 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-09-2007 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-158मास/26-2-2007, दिनांक 08-11-2007 द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का नाम परिवर्तित करते हुये "इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन" किया गया है, जिसके अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में दर्ज वृद्धजनों को पेंशन का लाभ देय है, इस योजना में जनपद वाराणसी में 55720 सहित पूरे प्रदेश में माह जनवरी, 2009 तक 2846093 व्यक्तियों को पेंशन दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के आर0ए0यू0के0 इण्टर कालेज कफारा खीरी में छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग

111-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के आर0 ए0 यू0 के0 इण्टर कालेज, कफारा खीरी में वर्ष 2007-08 में कक्षा 9 से 12 तक कितने बच्चों की छात्रवृत्ति उनके खातों में भेजी गयी ? क्या उपरोक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या पात्र अनुसूचित वर्ग तथा सामान्य वर्ग के बच्चों की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

आर0ए0यू0के0 इण्टर कालेज, कफारा लखीमपुर खीरी में वर्ष 2007-2008 की कक्षा 9 से 12 तक सामान्य वर्ग के कुल 47 छात्रों हेतु रु0 45,400/ तथा अनुसूचित जाति के कुल 42 छात्रों हेतु रु0 37040/ छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के बैंक खातों में प्रेषित की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित वर्ग तथा सामान्य वर्ग के छात्रों की विद्यालय से प्राप्त मांग के अनुसार समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की विधवाओं को पेंशन दिये जाने की मांग

112-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में 31 मार्च, 2007 तक कितनी विधवाएं पेंशन प्राप्त कर रही हैं ? वर्ष 2007-08 में कितनी नयी विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है ? लक्ष्य के सापेक्ष कितने पात्रों का अब तक चयन किया जा चुका है ?

सुश्री मायावती-

जनपद बागपत में 31 मार्च, 2007 तक 8706 पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलायें पेंशन प्राप्त कर रही हैं।

वर्ष 2007-08 में 917 पति की मृत्युपरान्त निराश्रित नवीन महिलाओं को पेंशन स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

लक्ष्य के सापेक्ष 917 पात्रों का अब तक चयन किया जा चुका है।

जनपद झांसी के ग्राम मिछौर में स्थित उ0 प्र0 राज्य दुग्ध परिषद् द्वारा दुग्ध क्रय तथा बिक्री की जानकारी

113-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मिछौर, जनपद-झांसी में स्थित उ0 प्र0 राज्य दुग्ध परिषद् के दुग्ध अवशीतन केन्द्र से भारी मात्रा में दुग्ध म0 प्र0 में भेज दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि दुग्ध संघ, झांसी द्वारा दुग्ध समितियों से दूध को क्रय कर शहर में तरल दूध बिक्री करने के उपरान्त अवशेष दूध बल्क में, अन्य दुग्ध संघों की भांति नकद भुगतान पर विक्रय किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में तहसील दिवस में प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण

114-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-2008 में जनपद-झांसी में तहसील दिवस पर कितनी शिकायतें प्राप्त की गयीं तथा प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद झांसी में वर्ष 2007-08 में आयोजित तहसील दिवसों में कुल 15758 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनके सापेक्ष कुल 15606 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया गया तथा अवशेष 152 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण वर्ष 2008-09 में किया जा चुका है। निस्तारण हेतु अब कोई प्रार्थना-पत्र अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् प्राविधिक शिक्षा बासमंडी चौराहा, लखनऊ द्वारा प्रवेश परीक्षा फार्मों की छपाई बिक्री से प्राप्त धनराशि

115-श्री मदन भैया-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 बासमंडी चौराहा लखनऊ द्वारा शिक्षा सत्र 2005-06, 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 के लिए एस0सी0/एस0टी0 तथा सामान्य जाति के वित्तीय वर्ष वार कितने-कितने प्रवेश परीक्षा फार्मों की छपाई हुई ? उक्त फार्मों की बिक्री वर्ष 2005-06 से लेकर 2008 तक की अवधि में वर्ष वार कितने धन की प्राप्ति हुई तथा उससे प्राप्त मदवार कितनी धनराशि व्यय हुई ? अवशेष धनराशि के जमा करने का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री सदल प्रसाद-

वांछित सूचना मदवार व्यय व बचत विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 140-141 पर)

प्रदेश के जनपदों में मिनी स्टेडियम हेतु स्वीकृत धनराशि

116-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जनपदों में वर्ष 2005-06 में मिनी स्टेडियम हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बांदा के ग्राम दुरेड़ी में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक के अनुसार कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

वर्ष 2005-06 में प्रदेश के निम्नांकित जनपदों में मिनी स्टेडियम हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि स्वीकृत की गयी थी :-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0सं0	स्थान/जनपद	स्वीकृत धनराशि
1	बछरावां, रायबरेली	31.48
2	मैनागावा खेड़ा, उन्नाव	21.07
3	मुसाईखेड़ा, उन्नाव	21.07

क्र0सं0	स्थान/जनपद	स्वीकृत धनराशि
4	इमलीपोखर, सोनभद्र	21.07
5	करीमनगर, हरदोई	21.07
6	टेराकला, बाराबंकी	21.07
7	ककरी, बाराबंकी	21.07
8	पैढ़त, फिरोजाबाद	21.07
9	फतेहपुर, मऊ	21.07
10	कोटिला, हरदोई	21.07
11	सलेमपुर, लखनऊ	12.17
12	उग, उन्नाव	21.07
13	पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी	21.07

जी नहीं, जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार ग्राम-दुरेड़ी में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के अनुसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता, कार्य मानक के अनुसार पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण स्टेडियम दुरेड़ी का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण हो चुका है तथा मात्र विद्युत कनेक्शन शेष हैं।

जनपद खीरी के पलिया व निघासन तहसील के बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा की मांग

117-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के पलिया व निघासन तहसील में इस वर्ष आयी बाढ़ से सभी गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं जिससे धान व गन्ने की खड़ी फसल व मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फसल व क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा किसानों को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2008-09 में आयी बाढ़ से जनपद खीरी के तहसील पलिया के 95 ग्राम व तहसील निघासन के 92 ग्राम प्रभावित हुए हैं जिससे धान व गन्ने की खड़ी फसल व मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

भारत सरकार की आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स में अनुमन्य राहत सहायता के रूप में तहसील पलिया में 8703 प्रभावित कृषकों को रु0 2,33,07,844/-कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है। इसी प्रकार अतिग्रस्त मकानों के लिये 9973 व्यक्तियों को रु0 1,50,43,500/-एवं तहसील निघासन में धान की फसल के प्रभावित 4140 कृषकों को

रु0 74,72000/-कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है एवं 9538 क्षतिग्रस्त मकान स्वामियों को रु0 1,77,85,000/-गृह अनुदान राहत सहायता वितरित की गयी है।

उपर्युक्त अनुसार सहायता वितरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

118-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रायबरेली के ग्राम परसीपुर के श्री अनीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा उनकी जमीन का कब्जा दिये जाने की मांग

119-श्री सुधीर कुमार-

119-क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनीश कुमार श्रीवास्तव, ग्राम-परसीपुर, तहसील-ऊंचाहार जनपद-रायबरेली ने दिनांक 7-10-08 को तहसील दिवस पर उनकी जमीन पर छोटे लाल उर्फ मानसिंह द्वारा जबरन कब्जा किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र एस0डी0एम0, ऊंचाहार को दिया था ? यदि हां, तो क्या श्री अनीश कुमार श्रीवास्तव को उक्त जमीन का कब्जा वापस दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।

शिकायती-पत्र की जांच से विदित हुआ कि आवेदक की निजी भूमि विपक्षी श्री छोटे लाल उर्फ मानसिंह के मकान से सन्निकट है जिसे विपक्षी अपना निकास व सहन बताते हैं जांच आख्या के आधार पर आवेदक को तहसीलदार ऊंचाहार के पत्र दिनांक 4-11-2008 द्वारा सूचित किया गया है कि धारा-41 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार प्रार्थना-पत्र देकर विवादित भूमि की पैमाइश करा सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम पंचायत बकसरा में कार्यकत्री पद पर कार्यरत श्रीमती माया देवी की नियुक्ति की जांच

120-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम पंचायत बकसरा में श्रीमती माया देवी पत्नी श्री विजय कुमार की नियुक्ति सहायिका के पद पर वर्ष 2001 में तत्पश्चात् पुनः आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद पर बक्सरा आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकत्री के पद पर दिनांक 27-10-04 को नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार विभागीय अधिकारियों द्वारा अन्य अभ्यर्थियों का चयन न करके एक ही परिवार के सदस्यों को लाभ दिये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोण्डा से प्राप्त आख्या के अनुसार पूर्व में ग्राम पंचायत बकसरा के अन्य केन्द्र पर श्रीमती माया देवी की देवरानी श्रीमती सोनमता देवी, सहायिका के रूप में कार्यरत थी, जिन्होंने वर्ष 2007 में अपना त्याग-पत्र दे दिया। श्रीमती माया देवी एवं श्रीमती सोनमता देवी दोनों के परिवार अलग-अलग हैं, जिससे कि एक ही परिवार के सदस्यों को लाभ दिये जाने की पुष्टि नहीं होती है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत पतिजिया बुजुर्ग के राजस्व ग्राम के पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टा देने की मांग

121-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पतिजिया बुजुर्ग के राजस्व ग्राम असनहरा में जिन व्यक्तियों को गाटा सं0-10/0-3, 68/0-03, 114/0-03, 129/0-08 132, 232/0-02 का आवासीय पट्टा दिया गया है वे आवास विहीन नहीं थे ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम के पात्र अन्य व्यक्तियों को आवासीय पट्टा क्यों नहीं दिया गया ? क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद में वर्षा एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु सहायता राशि का वितरण

122-श्री इमरान मसूद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर में वर्तमान वर्ष में मूसलाधार वर्षा एवं बाढ़ से कुल कितने मकान ध्वस्त हुए ? उक्त ध्वस्त हुये मकानों को बनवाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जनपद सहारनपुर में वर्तमान वर्ष में मूसलाधार वर्षा एवं बाढ़ से कुल 527 कच्चे आवासीय मकान आंशिक एवं अत्याधिक रूप में

क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित परिवारों को सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स में दी गयी व्यवस्थानुसार सरकार की ओर से अंकन रु0 9,65,000-00 की सहायता राशि वितरित की गयी है।

भारत सरकार की सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के किसानों को कृषि भूमि का आवंटन

123-श्री इमरान मसूद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में गरीबी रेखा के नीचे के किसानों को खेती हेतु कुल कितने पट्टे वर्ष 2007-08 में आवंटित किये गये तथा इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की क्या संख्या है ? क्या उक्त आवंटित पट्टों में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप पिछड़े व सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित कोटे के अनुसार पट्टे आवंटित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद सहारनपुर में वर्ष 2007-08 में कुल 655 भूमिहीनों को 112,923 हे0 कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। गांव सभा में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि को आवंटन ज0वि0 एवं भू0व्यव0अधि0 की धारा-198 के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता क्रम में वरीयता के आधार पर पात्र व्यक्तियों को किया गया है। कुल 655 आवंटियों में से 641 अनुसूचित जाति 09 पिछड़ा वर्ग तथा 05 सामान्य वर्ग से सम्बन्धित है।

जनपद कानपुर की राजकीय उन्नायन बस्ती, कल्याणपुर की भूमि का स्वामित्व

124-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उन्नायन बस्ती, कल्याणपुर, जनपद-कानपुर की भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनर्वास योजना के अन्तर्गत उसमें रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी परिवारों को उक्त भूमि का स्वामित्व देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी नहीं।

उक्त भूमि केवल पुनर्वासित परिवारों के उपयोगार्थ आवंटित की गयी है।

बुन्देलखण्ड में बन्द औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने की नीति

125-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बुन्देलखण्ड में बन्द औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू कराये जाने की कोई कार्यनीति तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

बीमार लघु उद्योगों को पुनर्वासित करने के लिए पूर्व से ही प्रदेश में पुनर्वासन पैकेज लागू है जिसके अन्तर्गत मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर पुनर्वासन समिति गठित है जिसका कार्य निम्नानुसार है :-

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा तथा परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा संस्तुत इकाई को रूग्ण घोषित करना एवं उसके पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु वित्तीय संस्था का निर्धारण करना।

पुनर्वासन के लिए योग्य इकाईयों के पुनर्वासन पैकेज के निर्धारित अवधि में तैयार करना।

शासन द्वारा रूग्ण इकाईयों हेतु निर्धारित ऐसी सुविधाओं को प्रदान करना जिनके भविष्य के अधिकार इस समिति को प्रतिनिधानित किये गये हैं।

पुनर्वासन पैकेज को स्वीकार कर क्रियान्वित करना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में भूमि के समतलीकरण की योजना

126-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में भूमि के समतलीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र का अब तक समतलीकरण हुआ है ? यदि नहीं, तो भविष्य में यह योजना कब से लागू की जायेगी ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

हां।

431.50 हेक्टेयर।

संचालित योजनाओं के अन्तर्गत ही समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है।

127-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजस्व विभाग में कार्यरत सीजनल अमीन व सामयिक संग्रह अनुसेवकों की नियुक्ति की जानकारी

128-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग मे कार्यरत सीजनल अमीन व अन्य कर्मचारियों को स्थायी करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उ0 प्र0 संग्रह अमीन सेवा नियमावली 1974 (यथा संशोधित, 2004) तथा उ0 प्र0 संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली, 2004 के अन्तर्गत सामयिक संग्रह अमीनों एवं सामयिक संग्रह अनुसेवकों के लिए क्रमशः रिक्तियों का 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत पदों पर नियमित नियुक्ति

का प्राविधान है। सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उक्त सेवा नियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के श्री अनिल कुमार सिंह तहसीलदार द्वारा संग्रह अमीनों एवं किसानों से अवैध वसूली आदि की जानकारी

129-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 जून, 2008 जो उ0 प्र0 सामयिक संग्रह अमीन संघ जनपद-बाराबंकी द्वारा हैदरगढ़ के तहसीलदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जिलाधिकारी बाराबंकी से प्राप्त आख्या के अनुसार श्री अनिल कुमार सिंह तहसीलदार हैदरगढ़ द्वारा संग्रह अमीनों से किसानों से अवैध वसूली तथा भू-माफियाओं को जमीन पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये। तहसीलदार द्वारा कर्मचारी के साथ कोई अभद्रता किये जाने की बात भी सामने नहीं आई है।

श्री सिंह के विरुद्ध कोतवाली नगर सदर, जनपद फैजाबाद में मु0अ0सं0-3453/2007 अन्तर्गत धारा-294 भ0दं0वि0 दिनांक 29-11-07 को कायम हुआ था उक्त मुकदमें में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में दिनांक 16-1-08 को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम पगरा, किशुनदासपुर, टेकमलपुर आदि में चकबन्दी कार्य पूर्ण होने की मांग

130-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र-सदर अन्तर्गत ग्राम पगरा, टेकमलपुर किशुरदासपुर आदि में चकबन्दी प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम पगरा, किशुनदासपुर तहसील सदर तथा ग्राम टेकमलपुर तहसील निजामाबाद जनपद आजमगढ़ में दिनांक 27-6-1981 से चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित है।

कार्य योजना के अनुसार नवम्बर, 2010 तक चकबन्दी कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के ग्राम रेडीमलकपुर के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक के तैनाती की जानकारी

131-श्री इमरान मसूद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर के ग्राम रेडीमलकपुर के पशु चिकित्सा अस्पताल में पिछले 7 वर्षों से कोई भी डाक्टर तैनात नहीं है ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय कर तैयार किया गया भवन जर्जर हो गया है एवं भवन में लगा सभी सामान चोरी हो गया है ? यदि हां, तो इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन दोषी है ? सरकार इसके लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

पशु चिकित्सालय रेडीमलकपुर पर डा0 अशोक कुमार भारद्वाज अक्टूबर, 99 से दिनांक 23-7-07 तक पदस्थ रहे हैं। दिनांक 24-7-07 से नवम्बर, 2008 तक डा0 सुभाष मलिक के पास अतिरिक्त प्रभार रहा है। दिसम्बर, 2008 से डा0 अशोक कुमार गिल तैनात है।

पशुचिकित्सालय भवन में खिड़की, दरवाजे, विद्युत, शौचालय उपलब्ध है। भवन का प्लास्टर आदि खराब हो गया है जिसे ठीक कराये जाने की व्यवस्था मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सहारनपुर द्वारा की जा रही है। पशुचिकित्सालय का कोई सामान चोरी नहीं हुआ है।

किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में विधायक निधि से लगाये गये हैण्डपम्पों की उच्च स्तरीय जांच

132-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, सादुल्लानगर, जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड-रेहरा बाजार में वर्ष 2007-08 में प्रश्नकर्ता की विधायक निधि के 10 प्रतिशत सहयोग राशि से 90 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित किये जाने के आदेश यू0 पी0 स्टेट एग्रो, गोण्डा को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यू0 पी0 एग्रो द्वारा चिन्हित स्थानों पर हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लगाये गये हैण्डपम्पों की उच्चस्तरीय जांच कराकर मानक के अनुरूप पाइप न लगाने तथा चबूतरा आदि का कार्य न कराने वाले एग्रो विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डलीय अभियन्ता द्वारा की गयी जांच में किसी प्रकार की शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है। सभी हैण्ड पम्पों के चबूतरे वर्ष 2007-08 में मानक के अनुसार बनवा दिये गये थे तथा प्रयुक्त पाइप भी मानक के अनुरूप ही लगाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड रेहरा बाजार, जनपद बलरामपुर में तैनात सी0डी0पी0ओ0 (संविदा) सुश्री साधना श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोपों की जांच

133-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-6-2008 जो विकास खण्ड रेहरा बाजार जनपद-बलरामपुर में तैनात सी0डी0पी0ओ0 (संविदा) साधना श्रीवास्तव के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच किसी अधिकारी से कराये जाने विषयक था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त संविदा कर्मी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की उच्च स्तरीय जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब और जांच का परिणाम क्या रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-6-08 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अपितु दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है।

पत्र मे उल्लिखित संविदा कर्मी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की अपर परियोजना प्रबन्धक से करायी गयी है।

प्रकरण की जांच दिनांक 19-1-09 को करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में सुश्री साधना श्रीवास्तव की कार्य प्रणाली ठीक न होना बताया गया। इस सम्बन्ध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मूसेपुर खुर्द, तहसील गोला की कृषि भूमि की नीलामी के उपरान्त विक्रय प्रमाण-पत्र में हुई अनियमितता की जांच

134-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय के विधायक प्रकोष्ठ में कम्प्यूटर सं0-सी0 10179902 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-179902/2008 द्वारा प्रश्नकर्ता की कृषि भूमि ग्रा0 मूसेपुर खुर्द, तह0 गोला, जिला-लखीमपुर खीरी को कब्जा दिलाये जाने विषयक पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक कब्जा न दिलाये जाने का क्या कारण है ? उक्त भूमि का कब्जा कब तक दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जमानतदार श्री जसविन्दर सिंह के नाम दर्ज भूमि गाटा संख्या-1/1/1 क्षेत्रफल 2.125 हे0 की नीलामी दिनांक 19-7-2004 को हुई थी परन्तु नीलामी के उपरान्त विक्रय प्रमाण-पत्र में भूमि का क्षेत्रफल अनियमित रूप से बढ़ाकर 4.250 हे0 कर दिया गया। जांच से यह भी पता चला कि 1359 फसली की खतौनी में गाटा सं0-1/1क्षेत्रफल 938.24 एकड़ पानी के खाते में दर्ज है परन्तु 1360 फसली की खतौनी में काट पीट करके निजी खातेदार के नाम फर्जी खाता कायम किया गया है। इस मामले में शासन द्वारा राजस्व परिषद् को जांच सौंपी गयी है। जांच के निष्कर्षों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के राजस्व ग्राम असनहरा में राजस्व कर्मियों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को कथित रूप से आवासीय पट्टा का आवंटन

135-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर के राजस्व ग्राम असनहरा में राजस्व कर्मियों द्वारा आवास रहते हुए भी अपात्र व्यक्तियों को सड़क के किनारे की कीमती भूमि को आवासीय पट्टा दिया गया है ? क्या सरकार द्वारा सभी प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं पट्टा निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में नये तहसील भवन के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि एवं निर्माण कार्य की प्रगति

136-श्री जोखू लाल यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद की तहसील-फूलपुर में नये तहसील भवन के निर्माण हेतु कितनी धनराशि, किस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी ? उक्त निर्माण कार्य किस एजेंसी से कराया जा रहा है ? उक्त तहसील भवन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ? उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु0 25.00 लाख एवं 2008-09 में रु0 222.89 लाख कुल रु0 247.89 लाख की धनराशि आवंटित की गई।

कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पुराने तहसील भवन के टूटने की कार्यवाही में देरी के कारण निर्माण कार्य में किंचित विलम्ब हुआ किन्तु वर्तमान में निर्माण कार्य त्वरित गति से सम्पादित है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशोक कुमार शर्मा, मोहल्ला चावड वाला, सादाबाद, जनपद महामायानगर को कलेक्ट्रेट में लिपिक पद पर समायोजित करने की मांग

137-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1093/रालोद/विमदल/विस/2008, दिनांक 5-6-2008, जो श्री अशोक कुमार शर्मा, मोहल्ला चावड वाला, सादाबाद, जनपद-महामायानगर को लिपिक पद पर समायोजित करने के सम्बन्ध में है,

उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री अशोक कुमार शर्मा को समायोजित करने हेतु आदेश निर्गत हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं, बल्कि मा0 सदस्य विधान सभा डा0 अनिल चौधरी का पत्र संख्या रहित एवं दिनांक रहित प्राप्त हुआ था।

उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1980 में सीजनल सहायक वासिल बाकी नवीसो को समायोजित करने का कोई प्राविधान न होने के कारण श्री अशोक कुमार शर्मा को समायोजित किये जाने का आदेश निर्गत करना सम्भव नहीं है। श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 39584/98 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-1-1999 के क्रम में जिलाधिकारी, महामायानगर द्वारा श्री शर्मा का प्रत्यावेदन निरस्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

मे0 गोविन्द जी आइस एण्ड कोल्ड स्टोर, आवल खेड़ा, जनपद आगरा द्वारा किसानों के आलू खराब होने के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान

138-डा0 अनिल चौधरी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे0 गोविन्द जी आइस एण्ड कोल्ड स्टोर, आवल खेड़ा, जनपद-आगरा में वर्ष 2007 में किसानों का आलू क्या खराब हो गया था ? क्या जिलाधिकारी, आगरा द्वारा पत्रांक 1722, दि0 11-10-07 पर जांच समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो जांच समिति के निष्कर्ष क्या हैं ? क्या किसानों को भण्डारित आलू के प्रतिकर का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी हां।

जी हां।

समिति द्वारा कतिपय कृषकों के आलू अंकुरण होने व सड़ने की शिकायत को सही पाया गया।

जी हां।

सम्बन्धित कृषकों को प्रतिकर का भुगतान शीतगृह स्वामी से करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों को आई0 ए0 एस0/पी0 सी0 एस0 की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग सुविधा की व्यवस्था

139-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने हेतु फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह सुविधा पिछड़े वर्ग की छात्राओं को भी उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जी हां, पिछड़े वर्ग के छात्रों को आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें पिछड़े वर्ग के छात्रों (केवल लड़कों) हेतु 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है। पिछड़े वर्ग की छात्राओं हेतु अभी कोचिंग की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में सहकारी दुग्ध केन्द्रों पर दूध क्रय करने की व्यवस्था

140-श्री जोखू लाल यादव-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी दुग्ध केन्द्रों पर दुग्ध उत्पादकों का दूध क्रय करने के मानक क्या हैं ? ग्रामीण अंचलों के दुग्ध उत्पादकों के दूध का उचित मूल्य पर खरीददारी के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध क्रय हेतु दुग्ध में विद्यमान 6.50 प्रतिशत वसा तथा 9.00 प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ का मानक निर्धारित है।

ग्रामीण अंचलों के दुग्ध उत्पादकों के दूध की उचित मूल्य पर खरीददारी के लिये ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया है तथा दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध के मूल्य स्थितियों को देखते हुए दुग्ध संघ/इकाई स्तर पर यथा सम्भव, फ्लश सीजन में 14 रुपये, मेन सीजन में 16 रुपये एवं लीन सीजन में 18 रुपये प्रति लीटर निर्धारित है, परन्तु किसी भी स्थिति में लीन सीजन में दुग्ध मूल्य 16 रुपये प्रति लीटर से कम नहीं होगा।

प्रदेश के जनपदों में दर्ज पोखरों एवं तालाबों की संख्या

141-श्री राजाराम त्यागी

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 में 01 जुलाई, 1952 में जो पोखरे/तालाब, सरकारी दस्तावेजों (खसरा/खतौनी) में दर्ज थे, क्या मौके पर अब नहीं हैं ? यदि हां, तो इनमें से रायबरेली जनपद में कितने प्रकरण हैं ? क्या मा0 उच्चतम न्यायालय के 25 जुलाई, 2001 के निर्णय के अनुसार 1952 को आधार वर्ष मानकर तालाबों या पोखरों को अपने मूल स्वरूप में लाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। प्रदेश के जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आधार वर्ष खतौनी में 9,59,188 तालाब/पोखर दर्ज थे। वर्तमान में 9,15,531 तालाब अंकित हैं।

रायबरेली जनपद में 01 जुलाई, 1952 में सरकारी दस्तावेज (खसरा/खतौनी) में 27,858 तालाब 15051.501 हे0 क्षेत्रफल के दर्ज थे। मौके पर 2076 तालाबों के 402.589 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा पाया गया। इनमें से 1197 तालाबों से 306.336 हेक्टे0 क्षेत्रफल का कब्जा हटाया गया। अवशेष 881 तालाब क्षेत्रफल 96.853 हेक्टे0 से अवैध कब्जा हटाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0 की धारा-122 बी व 198(4) के अन्तर्गत वाद योजित कर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

जी हां। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2001 के अनुसार 1952 को आधार वर्ष मानकर शासनादेश संख्या-3135/1-2-2001 दिनांक 08-10-2001 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अवशेष प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में बेदखली की कार्यवाही हेतु विचारार्धीन हैं जिन पर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पर किसानों के खरीदे गये दूध बकाये के भुगतान की कार्यवाही

142-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पर दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से खरीदे गये दुग्ध का फरवरी, 2007 से जून, 2007 तक का लगभग रु0 80,00,000/- (अस्सी लाख रुपया) बकाया होने के कारण जनपद की अधिकतर दुग्ध समितियां बन्द हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या किसानों को अवशेष भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवध पाल सिंह यादव-

जी हां।

किसानों का अवशेष भुगतान किये जाने हेतु केन्द्रीय सहायता "सहकारिताओं को सहायता" के अन्तर्गत दुग्ध संघ, मुजफ्फरनगर के रिहैब्लिटेशन हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के स्तर से अन्तिम निर्णय प्रतीक्षित है।

रिहैब प्रस्ताव के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होने पर किसानों को अवशेष भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के सीनियर प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान दिये जाने की मांग

143-श्री राधेश्याम गुप्त

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व नाम जी0सी0टी0आई0), कानपुर में कितने सीनियर लेक्चरर, सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर चयन वेतनमान के लिये अर्ह हो गये हैं ? क्या सरकार उनको सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर चयन वेतनमान दे देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

संस्थान के दो वरिष्ठ प्रवक्ता चयन वेतनमान/सहायक प्रोफेसर वेतनमान/पदनाम देने के लिये अर्ह हो गये हैं।

जी हां।

चयन समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाने की मांग

144-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु मिनी स्टेडियम बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभागीय आय-व्ययक में नवीन ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु धनराशि का प्राविधान नहीं है।

145-श्री सुधीर कुमार-

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत के श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री चतरसेन शर्मा पट्टी मेहर, बड़ौत की तहसील हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रकरण

146-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 22-6-08 के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र, जो राधेश्याम शर्मा पुत्र चतरसेन शर्मा म0नं0 9/10 अग्रसेन धर्मशाला वाली गली, कोताना रोड, पट्टी मेहर, बड़ौत (बागपत) का खसरा नं0 1232, 1290 के बीच कुछ नम्बरान की भूमि को तहसील बिल्डिंग के खाते में राजस्व अभिलेख खतौनी में अप्रैल, 64 में दर्ज किये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

तहसील बड़ौत, जनपद बागपत के तहसील भवन एवं उप जिलाधिकारी न्यायालय के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सन् 1955 में हुई थी। अधिग्रहीत की गई 16,006 एकड़ भूमि सन् 1964 में ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गयी थी। प्रश्नगत भूमि तहसील चारदीवारी के भीतर है जिस पर तहसील भवन निर्मित है। अधिग्रहण से प्रभावित कुछ व्यक्तियों ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील संख्या 180/2000 कैलाशी व अन्य बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य दायर की है जो विचाराधीन है। अतः श्री राधेश्याम शर्मा के प्रार्थना-पत्र पर प्रशासनिक रूप से कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

प्रदेश में महिला कल्याण विभाग के अध्यापकों को सेवा निस्तारण का लाभ दिये जाने का प्रकरण

147-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 7704/छब्बीस-1-90-02 जी1507/89 दि0 21 जनवरी, 1991 जो हरिजन समाज कल्याण द्वारा जारी हुआ है, के द्वारा हरिजन समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग के अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों एवं संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों आदि की अधिवर्षता आयु को शैक्षिक सत्र के अन्त तक बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो क्या यही व्यवस्था महिला कल्याण विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों पर भी लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? जो अध्यापक 01 जनवरी, 09 से 31 मई, 2009 के बीच रिटायर हो रहे हैं उसके सम्बन्ध में शासन में क्या नीति निर्धारित की है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

महिला कल्याण विभाग में कतिपय अध्यापकों को मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में सेवा विस्तारण का लाभ दिया गया है, किन्तु महिला कल्याण विभाग के अध्यापकों को सेवा विस्तारण का लाभ दिये जाने का का नीतिगत प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

148-श्री जोखू लाल यादव-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बुलन्दशहर में उ0 प्र0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा-34 के अविवादित वादों का नियमानुसार निस्तारण

149-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर में उ0 प्र0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 34 के अविवादित वादों का निस्तारण समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद बुलन्दशहर में वर्तमान राजस्व वर्ष में धारा-34 भू-राजस्व अधिनियम के 5,878 अविवादित वादों में से 5,130 वादों का निस्तारण शासनादेश संख्या-2469/1-9-99-रा0-9, दिनांक 29-10-1999 द्वारा निर्धारित किया गया है। उ0 प्र0 रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के पैरा ए-367, ए-373, ए-376, ए-377 तथा ए-379 के प्राविधानों के परिपालन की विधिक बाध्यता के कारण शेष 748 वादों का निस्तारण समय सीमा के भीतर नहीं हो सका। इन प्राविधानों का सम्यक् पालन न करने से दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये तहसील, जनपद तथा मण्डल के सृजन हेतु उच्चस्तरीय समिति द्वारा बनाये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त

150-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नए तहसील, जनपद तथा मण्डल के सृजन हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई ? क्या नवीन तहसील, जनपद अथवा मण्डल के सृजन में जनप्रतिनिधियों की सहमति लेने का भी प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद को जन भावनाओं के अनुसार पूर्ववत् आगरा मण्डल का भाग बने रहने देने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसीलों, जिलों एवं मण्डलों के सृजन हेतु राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 27-02-1989 द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है एवं समिति के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये गये हैं।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से विकास खण्डों, थानों एवं परगनों आदि को ध्यान में रखते हुए तथा जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर विचारोपरान्त संस्तुति भेजी जाती है।

तहसील-सादाबाद को पुनः आगरा मण्डल का भाग बनाये जाने का प्रकरण उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशुओं की संख्या के आधार पर पशु चिकित्सालय खोलने के मानक

151-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पशुओं की संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोलने का मानक है ? क्या पशुओं की बढ़ती बीमारियों को देखते हुए मानकों को घटाकर न्याय पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

प्रदेश में 15,000 पशुओं की संख्या पर एक पशु चिकित्सालय खोलने का मानक है।

वर्तमान में नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक एवं मानव संसाधन सीमित होने के कारण।

प्रदेश में गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों हेतु शादी अनुदान में बढ़ोत्तरी की मांग

152-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंहगाई को देखते हुए गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों हेतु शादी अनुदान में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने की प्रदेश सरकार की कार्य योजना

153-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार की क्या कोई कार्य योजना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश की औद्योगिक विकास दर क्या है तथा औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

वर्ष 2006-07 में उ0 प्र0 विनिर्माण की वृद्धि गत वर्ष की अपेक्षा 6.9 प्रतिशत रही है। औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिये निम्न योजनाएं संचालित हैं :-

1. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 है।
2. औद्योगिकीकरण की दृष्टि से अवस्थापना परियोजनाओं के त्वरित विकास, मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किये जाने, वृहद परियोजनाओं को बढ़ावा देने एवं इनके समुचित अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक पृथक विभाग "अवस्थापना विकास विभाग" का गठन किया गया है साथ ही अवस्थापना के विकास के लिये पांच अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राथमिकतायें भी निर्धारित की हैं यथा-कृषकों का सशक्तीकरण, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, नगरीय पुनरुत्थान, उत्कृष्ट परिवहन व्यवस्था एवं विश्व स्तरीय सड़क।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र ऊन व थानाभवन में लम्बित आवेदन-पत्रों की जांच

154-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र ऊन व थानाभवन में कितने व्यक्तियों को जुलाई, 2007 से जुलाई, 2008 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ दिये गये हैं व कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ? इनके लम्बित होने का क्या कारण है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास क्षेत्र ऊन व थानाभवन के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जुलाई, 2007 से जुलाई, 2008 तक कुल 261 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है तथा 38 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

लम्बित आवेदन-पत्रों की जांच तहसील स्तर से की जा रही है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन सुधार हेतु विभाग प्रयत्नशील

155-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (यू0पी0टी0यू0) द्वारा संचालित परीक्षाओं के त्रुटि पूर्ण मूल्यांकन के कारण स्कुटनी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है ? यदि हां, तो क्या परीक्षा परिणाम की विश्वसनीयता को बनाये रखने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी नहीं। प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर सम सेमेस्टर वर्ष 2006-07 में कुल 6521 तथा सम सेमेस्टर वर्ष 2007-2008 में कुल 4295 उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटनी की गयी। इस प्रकार स्कूटनी के लिये आवेदित उत्तर पुस्तिका की संख्या में 48 प्रतिशत की कमी हुई और अंकों के आधार पर परिवर्तित हुई उत्तर पुस्तिकाओं में 56 प्रतिशत की कमी हुई है।

उक्त के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी विभाग इस सम्बन्ध में सतत् प्रयत्नशील है

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड शमसाबाद में कथित रूप से नकली खाद की शिकायत

156-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या कृषि मंत्री के संज्ञान में है कि फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद में नकली खाद का व्यापार चल रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 2007-08 में फतेहाबाद क्षेत्र में नकली खाद के मामलों में कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

156 फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड शमसाबाद व फतेहाबाद में अभी तक नकली खाद के व्यापार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रासंगिक नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2007-2008 में फतेहाबाद क्षेत्र से खाद के लिये गये नमूने मानक स्तर के पाये गये। किसी भी नमूने में नकली खाद होने की पुष्टि नहीं हुई। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु शासन की नीति

157-श्री सतीश महाना

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त नीति के अन्तर्गत विगत वर्ष 2007 एवं वर्ष 2008 माह अक्टूबर तक कितने नये उद्योग स्थापित हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रदेश में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 प्रचलित है। इसके अतिरिक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति भी प्रचलित है जिसके अन्तर्गत त्वरित औद्योगिक विकास हेतु अवस्थापना व अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण सृजित कर उद्योगों की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश में वर्ष 2007 से 2008 के माह अक्टूबर तक 10 नये वृहद उद्योग तथा 49164 नये सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पशु सेवा केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

158-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पशु सेवा केन्द्र डी श्रेणी के चिकित्सालयों में क्या डाक्टर, चिकित्साधिकारियों व अन्य स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमी को पूरा करने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 2 'डी' श्रेणी पशु औषधालय एवं 10 पशु सेवा केन्द्र स्थापित हैं। प्रत्येक 'डी' श्रेणी पशु औषधालय में एक पशुधन प्रसार अधिकारी एवं एक ड्रेसर कुल दो कर्मचारियों का स्टाफ स्वीकृत है। वर्तमान में दोनों 'डी' श्रेणी पशु औषधालयों पर एक-एक पशुधन प्रसार अधिकारी तथा एक-एक ड्रेसर कार्यरत है। पशु सेवा केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र पर 1 पशुधन प्रसार अधिकारी पदस्थ रहता है। विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थापित 10 पशु सेवा केन्द्रों में से 4 केन्द्रों पर स्टाफ पदस्थ है। रिक्त केन्द्रों पर 6 पशुधन प्रसार अधिकारियों के स्टाफ की कमी है।

वर्तमान में विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारियों के 629 चयनित अभ्यर्थियों का 02 वर्षीय प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही स्टाफ की कमी यथाशीघ्र पूरी की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में आलू एवं आंवला पर आधारित उद्योग लगाने की मांग

159-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-प्रतापगढ़ में आलू एवं आंवला पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी नहीं। सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा स्वयं जनपद-प्रतापगढ़ में आलू एवं आंवला पर आधारित कोई उद्योग लगाने की योजना नहीं है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादकों/निवेशकों को इकाई/उद्योग लगाने के लिये विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में गरीब, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु दिये गये अनुदान का विवरण

160-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में गरीब एवं पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और कितनों को स्वीकृति दी गयी ? क्या सभी पात्र लाभार्थियों को शादी अनुदान देने की कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में पुत्रियों की शादी हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र एवं स्वीकृत आवेदन-पत्रों का वर्गवार विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	वर्ग	प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत आवेदन-पत्र
2007-08	अनुसूचित जाति	258	114
	पिछड़ी जाति	15	10
	सामान्य वर्ग	111	35
	अल्पसंख्यक वर्ग	18	--
2008-09	अनुसूचित जाति	333	70
	पिछड़ी जाति	214	47
	सामान्य वर्ग	65	39
	अल्पसंख्यक वर्ग	52	20

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1517/26-2-2007-100(2)/07, दि0 19-7-2007 द्वारा यह दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि इस योजना के अन्तर्गत कोई भी पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम द्वारा बजट प्राविधान के अनुसार शादी अनुदान हेतु आवेदन-पत्रों को गठित समिति द्वारा चयन कर लाभान्वित किया जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा योजनान्तर्गत बजट में उपलब्ध धनराशि को जनपदों की अल्पसंख्यक जनसंख्या के समानुपात में आवंटित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में तालाब, रिजर्व लैण्ड तथा ग्राम सभा की भूमि पर राजस्व अधिनियम की धारा-33/34 के अन्तर्गत कथित रूप में बनाये गये खाते

161-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16-7-05 से 3-12-07 के मध्य कितने तालाब रिजर्व लैण्ड तथा ग्राम सभा की भूमि पर राजस्व अधिनियम की धारा 33/34 के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों के पक्ष में खाते बनाये गये हैं ? क्या इस अनियमित कार्य के दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उप जिलाधिकारी, पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16-7-05 से 3-12-07 के मध्य तालाब रिजर्व लैण्ड तथा ग्राम सभा की भूमि पर राजस्व अधिनियम की धारा 33/34 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में खाते नहीं बनाये गये हैं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु पायलट प्रोजेक्ट योजना

162-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश में दहलन का उत्पादन निरन्तर गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या दलहन का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी, हां।

वर्ष 2007-08 में दलहन उत्पादन बढ़ाने [illegible] राज्य सेक्टर से वित्त पोषित) योजना प्रदेश के 32 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित की गयी है तथा योजना की आवश्यकता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2008-09 में यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में मानक के अनुसार तालाबों की खुदाई

163-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ब्लाक बेवर में वर्तमान में तालाब मानक के अनुसार नहीं खुदाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दुबारा तालाब खुदाई कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-मैनपुरी के ब्लाक बेवर में वर्तमान में तालाब मानक के अनुसार ही खुदवाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव में चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही

164-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के तहसील कार्यालय भोगांव में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने चतुर्थ श्रेणी व कितने लिपिकों की जगह रिक्त है ? क्या सरकार उक्त रिक्त स्थानों पर तैनाती करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मैनपुरी के तहसील कार्यालय भोगांव में चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत कुल पद 75 के सापेक्ष 35 पद रिक्त हैं। लिपिक वर्ग में 14 पद के सापेक्ष 01 पद रिक्त है जो प्रोन्नति का पद है।

चतुर्थ श्रेणी के रिक्त स्थानों पर भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। लिपिक वर्ग के रिक्त पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। कार्यवाही पूर्ण होने पर रिक्त पद पर तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सुधा पत्नी स्व0 श्री यज्ञ नारायन तिवारी ग्राम पड़रीकला, ब्लाक बिछिया, जनपद उन्नाव को विधवा पेंशन की उपलब्ध सुविधा

165-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम पड़रीकला, ब्लाक बिछिया निवासी सुधा पत्नी स्व0 यज्ञ नारायन तिवारी ने विधवा पेंशन लाभ हेतु खण्ड विकास अधिकारी उन्नाव को वर्ष 2006 में आवेदन किया था और उक्त आवेदन खण्ड विकास अधिकारी, बिछिया द्वारा पत्रांक संख्या-2209 दिनांक 6-7-07 को जिला प्रोबेशन अधिकारी उन्नाव को भेजा गया ? यदि हां, तो विधवा पेंशन लाभार्थी को उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

166-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने हेतु दीक्षित अवार्ड समिति की बैठकों की संख्या

167-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा-विवाद सुलझाने हेतु दीक्षित अवार्ड समिति के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के बीच अब तक कितनी बैठकें हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विवाद में विगत पांच (5) वर्षों में जनपद-मुजफ्फरनगर के कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या शासन द्वारा उनके परिवार को कोई सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उ0 प्र0-हरियाणा सीमा-विवाद सुलझाने हेतु दीक्षित अवार्ड के संदर्भ में दोनों राज्यों के विभिन्न स्तरीय अधिकारियों के मध्य विभिन्न स्थलों पर लगभग 70 बैठकें हो चुकी हैं।

इस अवधि में उक्त विवाद में जनपद मुजफ्फरनगर के किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में न्यायालय के निर्देश के अनुसार तालाबों एवं झीलों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने हेतु विधिक कार्यवाही

168-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पानी के प्राकृतिक स्रोतों को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी जनपद-मुजफ्फरनगर की सभी तहसीलों में तालाबों और झीलों पर से अतिक्रमण हटाने का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर तालाबों और झीलों पर से अतिक्रमण हटाने का शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आधार वर्ष खतौनी में अंकित तालाबों, पोखरों, झीलों, कुओं एवं वाटर रिजरवायर का सत्यापन कराने के उपरान्त जनपद में कुल 9312 तालाब आधार वर्ष खतौनी में अंकित हैं, जिनका रकबा 5024.241 हे0 है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अभियान के दौरान सत्यापन उपरान्त 14448 व्यक्तियों द्वारा क्षेत्रफल 526.359 हे0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया, जिनमें से 1249 तालाबों, झीलों एवं वाटर रिजरवायर आदि से क्षेत्रफल 187.0993 हे0 भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करा दिया गया है। शेष 13199 व्यक्तियों क्षेत्रफल 339.266 हे0 भूमि पर पक्की आबादी व पुराने मकान एवं ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत होने के कारण कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका है।

पुरानी आबादी एवं पक्के मकानों पर से अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली, खतौली व सदर में कृषि योग्य भूमि का उप जिलाधिकारी द्वारा कथित पट्टा

169-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील शामली, कैराना, खतौली व सदर में जुलाई, 2005 से जुलाई, 2008 तक कृषि योग्य भूमि के पट्टे स्वतः (सुमोटो) उप जिलाधिकारियों द्वारा किन-किन ग्राम सभाओं में स्वीकृत किये गये हैं ? उनका विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली, कैराना, खतौली व सदर में वर्ष 2005 से जुलाई, 2008 तक उप जिलाधिकारियों द्वारा किसी भी तहसील में कृषि योग्य भूमि के पट्टे स्वप्रेरणा (सुमोटो) से किसी भी ग्राम सभा में स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बरनावा के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया की समय-सीमा

170-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बरनावा के ग्राम रुछाड़ तथा ग्राम मवीकला जनपद-बागपत में चकबन्दी कार्य विगत कितने वर्षों से चल रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त गांवों में चकबन्दी कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उपरोक्त गांवों में चकबन्दी कार्य में हो रही देरी में लिप्त कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम रन्छाड़ तथा मवीकला, तहसील-बड़ौत, जनपद बागपत में वर्ष 1981 से चकबन्दी कार्य चल रहा है।

ग्राम रन्छाड़ का चकबन्दी कार्य मार्च, 2011 तक तथा ग्राम-मवीकला का चकबन्दी कार्य जुलाई, 2009 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

ग्राम रन्छाड़ में चक अपीलों की सुनवाई के समय सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के आदेश दिनांक 22-5-1995 द्वारा ग्राम की चकबन्दी प्रक्रियाएं चक निर्माण कार्य से पुनः करने हेतु प्रत्यावर्तित (रिमाण्ड) किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी योजित हुई निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-22251/2000 में पारित आदेश दिनांक 11-05-2000 के द्वारा उक्त ग्राम का विनिमय अनुपात पुनः निर्धारित करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बागपत द्वारा पुनः विनिमय अनुपात निर्धारित किया गया तथा सम्प्रति चकबन्दी कार्य प्रगति जो दिनांक 31 मार्च, 2011 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

ग्राम-मुवीकला में धारा-20 का प्रकाशन दिनांक 18-02-1994 को किया गया। चक आपत्तियों की सुनवाई के समय कृषकों के मध्य आपसी रंजिश तथा दलबन्दी के कारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा पुनः चक निर्माण हेतु सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर दिनांक 28-5-1995 को प्रत्यावर्तित किया गया। विलम्ब के लिये तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री अजय कुमार को दण्डित किया जा चुका है। वर्तमान में कब्जा परिवर्तन कर अन्तिम अभिलेख तैयार किये जा रहे है। जुलाई, 2009 तक चकबन्दी कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की "गंगा हाइवे एक्सप्रेस योजना" के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि

171-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की "गंगा हाइ-वे एक्सप्रेस योजना" को लागू करने पर प्रदेश के किसानों की कितनी हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जायेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि इस परियोजना का औचित्य क्या है तथा इससे प्रदेश को क्या लाभ होगा ?

मुख्य मंत्री-

ग्रेटर नोएडा से वाया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे परियोजना के निर्माण हेतु लगभग 15700 हेक्टेयर व लैण्ड पार्सल के विकास हेतु लगभग 12281 हेक्टेयर भूमि अर्जित किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना का औचित्य तथा इससे प्रदेश को होने वाले लाभ का विवरण निम्नवत् है :-

- यह एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त प्रदेश की पश्चिमी सीमा व पूर्वी सीमा को जोड़ने वाली प्रवेश नियंत्रित 08 लेन एक्सप्रेस-वे परियोजना है।
- एक्सप्रेस-वे पर वाहन द्रुत गति से चल सकेंगे, जिसके फलस्वरूप ईंधन उपयोग, यात्रा-समय व वाहन संचालन व्यय में कमी आयेगी।
- एक्सप्रेस-वे निर्माण से स्थानीय युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण व रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध होंगे।
- स्थानीय कृषि हस्तशिल्प, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
- पर्यटन व तीर्थ-स्थलों का विकास होगा।
- कृषि उत्पादों के परिवहन, शोधन व विपणन में गतिशीलता आयेगी तथा कृषकों के उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेंगे।
- एक्सप्रेस वे के प्रवेश नियंत्रित होने के फलस्वरूप मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।
- नये उद्योगों व व्यवसायिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति।
- फलों, सब्जियों व दुग्ध उत्पादों का त्वरित परिवहन होगा।
- प्रदेश के दूरस्थ स्थानों व मण्डियों से कृषि उत्पादों व अन्य सामानों को कम समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व समीपवर्ती राज्यों में पहुंचाया जा सकेगा।

- जन सामान्य के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार।
- बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ प्रतिवर्ष फसलों की क्षति व जनहानि में उल्लेखनीय कमी आयेगी।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

जनपद बरेली में सहकारी कताई मिल बहेड़ी के मजदूरों व कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान जमा कराने सम्बन्धी कार्यवाही

172-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में सहकारी कताई मिल बहेड़ी के मजदूरों व कर्मचारियों की भविष्य निधि की वेतन से कटौती की गई धनराशि मिल प्रबन्धन द्वारा सरकारी कोष में जमा नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार घोटालों की जांच कराकर भविष्य निधि मजदूरों को वापस दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

माह फरवरी, 1996 तक बहेड़ी मिल के कर्मियों का भविष्य निधि अंशदान सरकारी कोष में जमा किया गया है। शेष अवधि की धनराशि का भुगतान मिल द्वारा न किये जाने की दशा में वसूली प्रमाण-पत्र 7-4-2005 को जारी किया गया, जो मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

बरेली मिल के कार्मिकों के भविष्य निधि अंशदान को जमा करने सम्बन्धी कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित स्थगन आदेश समाप्त होने तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका अन्तिम रूप से निस्तारित होने के पश्चात् सम्भव हो सकेगी।

12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

औरैय्या में अधिशासी अभियन्ता श्री मनोज गुप्ता की हत्या विषयक नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि नियम 311 के अन्तर्गत हमारे साथियों की तरफ से और हमारे समर्थन से मनोज गुप्ता की हत्या के मामले में सूचना दी गई है। उस सम्बन्ध में श्री कमलेश पाठक एवं अन्य लोगों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मामले अभियोजित किये गये हैं। मैं चाहता हूं कि सारे नियमों को स्थगित करते हुए हमें नियम 311 में बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना की महत्ता को देखते हुए, उसकी ग्राह्यता पर सुनने के लिये चयनित भी कर लिया है। इस पर मैंने अभी पहले व्यवस्था भी दी थी। मैं आपका इसमें सहयोग भी चाहता हूं। निधन के निर्देश के बाद इस पर आपको सुन लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री ओम प्रकाश गुप्ता, राम दुलारे, प्रताप सिंह किशन लाल दिलेर, महमूद हसन खां, राम लाल वर्मा, जगदीश अवस्थी, औसान सिंह, राम कृष्ण उपाध्याय, राम जनम, विजय कुमार त्रिपाठी, राम शरण दास, रमा शंकर कौशिक, श्रीमती कान्ति सिंह विसेन, श्री विपन बिहारी तिवारी, चौधरी मुनव्वर हसन, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री धर्मराज सिंह, श्री काली चरण टण्डन, श्री निसार अहमद अंसारी तथा डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब मैं निधन की सूचनाओं को लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ओम प्रकाश गुप्ता का 24 अगस्त, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री ओम प्रकाश गुप्ता का जन्म जुलाई, 1932 में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 तथा साहित्य विशारद की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री ओम प्रकाश गुप्ता वर्ष 1974 में निर्वाचित क्षेत्र निगोही, जिला शाहजहांपुर से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री ओम प्रकाश गुप्ता अपने क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। श्री ओम प्रकाश गुप्ता के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम दुलारे का 1 सितम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री राम दुलारे का जन्म 28 जून, 1928 को ग्राम लल्ला खेरा, पोस्ट अतरहर, जिला रायबरेली में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम दुलारे वर्ष 1967, 1969, 1974 तथा 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बछरावां (अ0जा0), जिला रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम दुलारे कई शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष एवं कोआपरेटिव बैंक के निदेशक रहे थे। वे जिला परिषद्, रायबरेली के अध्यक्ष तथा परिगणित जाति संघ के सदस्य भी रहे थे। वे दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। श्री राम दुलारे के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह का 4 सितम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री प्रताप सिंह का जन्म 2 जनवरी, 1953 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री प्रताप सिंह वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा, तत्कालीन जिला मुरादाबाद (वर्तमान जिला ज्योतिबा फूले नगर) से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य भी थे। श्री प्रताप सिंह श्रीराम मन्दिर निर्माण हेतु कार सेवा के लिये आहूत आन्दोलन में एक दिन अयोध्या कारागार में धारा-144 के उल्लंघन में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1988 से 1990 तक उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के मण्डल संयोजक रहे थे। पिछड़े व शोषित वर्ग के उत्थान के कार्यों, समाज सुधार एवं सेवा कार्य में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन प्रिय था। श्री प्रताप सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री किशन लाल दिलेर का 4 सितम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री किशन लाल दिलेर का जन्म 1 जनवरी, 1931 को ग्राम दौरऊ, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री किशन लाल दिलेर सर्वप्रथम वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र कोइल, जिला अलीगढ़ से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र कोल (अ0जा0), जिला अलीगढ़ से जनता पार्टी तथा वर्ष 1985, 1991 एवं 1993 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री किशन लाल दिलेर आपातकाल के दौरान 12 माह तक आरा जेल में बन्दी रहे थे। उन्होंने वर्ष 1967 के बाद से सभी राज्य या राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप कई बार गिरफ्तारी दी और जेल गये। वे वर्ष 1990 से 1994 तक भारतीय जनता पार्टी, अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मंच के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। उन्होंने "अपने घर की खबर" नामक पुस्तक लिखी है। उनकी सार्वजनिक कार्यों में विशेष रुचि थी तथा खेती एवं पशुपालन उनको प्रिय था। श्री किशन लाल दिलेर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महमूद हसन खां का 10 सितम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 101 वर्ष के थे। श्री महमूद हसन खां वर्ष 1957, 1962 तथा 1969 में निर्वाचन क्षेत्र सम्भल, जिला मुरादाबाद से क्रमशः स्वतंत्र प्रगतिशील विधान मंडलीय दल, रिपब्लिकन पार्टी तथा भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री महमूद हसन खां एक योग्य तथा कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वे वर्ष 1953 में नगर पालिका परिषद सम्भल के चेयरमैन रहे थे।

श्री महमूद हसन खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम लाल वर्मा का 11 सितम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री राम लाल वर्मा का जन्म 24 जुलाई, 1937 को हुआ था उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम0ए0 तथा एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम लाल वर्मा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र बेनीगंज (अ0जा0), जिला हरदोई से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम लाल वर्मा मानस उत्थान परिषद तथा भारतीय वाहन वर्कर्स यूनियन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संरक्षक एवं भारतीय शोषित कल्याण संघ, उत्तर प्रदेश के मुख्य संरक्षक के पद पर आसीन रहे थे। राजनीति एवं वकालत में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री राम लाल वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगदीश अवस्थी का 21 सितम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री जगदीश अवस्थी का जन्म 23 मार्च, 1923 को ग्राम सिठमरा, जिला कानपुर में हुआ था। उन्होंने एम0 ए0 की शिक्षा ग्रहण की थीं श्री जगदीश अवस्थी वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र चौबेपुर तत्कालीन जिला कानपुर (वर्तमान जिला कानपुर देहात) से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे दूसरी एवं आठवीं लोक सभा के सदस्य भी थे। श्री जगदीश अवस्थी माध्यमिक शिक्षक संघ, कानपुर शाखा, सलाहकार समिति, आई0 टी0 आई0, कानपुर, प्रबन्ध समिति, माकनपुर हायर सेकेन्डरी स्कूल, कानपुर देहात तथा जिला सहकारी बैंक, कानपुर के चेयरमैन रहे थे। वे अखिल भारतीय समाजवादी दल के संसदीय दल के सचिव भी रहे थे। वे सहकारी दुग्ध बोर्ड, कानपुर तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य भी रहे थे। सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा शिक्षा एवं कृषि सम्बन्धी कार्यों से भी उनको प्रेम था।

श्री जगदीश अवस्थी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री औसान सिंह का 3 अक्टूबर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री औसान सिंह का जन्म 11 जनवरी, 1940 को ग्राम हसनपुर तत्कालीन जिला फर्रुखाबाद (वर्तमान जिला कन्नौज) में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री औसान सिह वर्ष 1977 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र विधूना, तत्कालीन जिला इटावा (वर्तमान जिला औरैया) से क्रमशः जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री औसान सिंह वर्ष 1975 में डी0आई0आर0 में इटावा कारागार में बन्दी रहे थे। वे जनता माध्यमिक विद्यालय, हसनपुर के प्रबन्धक रहे थे। वे जिला अपराध निरोधक समिति तथा जिला पिछड़ा वर्ग संघ के उपाध्यक्ष भी रहे थे। कृषि कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा जन-सेवा प्रिय थी।

श्री औसान सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम कृष्ण उपाध्याय का 10 अक्टूबर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री राम कृष्ण उपाध्याय का जन्म 10 दिसम्बर, 1928 को जौनपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक एवं बी0आई0एम0एस0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम कृष्ण उपाध्याय वर्ष 1977 तथा 1980 में निर्वाचन क्षेत्र बरसठी, जिला जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम कृष्ण उपाध्याय वर्ष 1942 में 3 दिन की अवधि के लिये ज्ञानपुर कारावास में बन्दी रह चुके थे। व श्री विनोबा आदर्श विद्या मंदिर, जौनपुर के संस्थापक, विकास खण्ड रामपुर के ब्लाक प्रमुख, जिला सहकारी बैंक जौनुपर के संचालक तथा उत्तर प्रदेश पी0सी0सी0 के सदस्य रहे थे। वे सहकारी समिति के निदेशक तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। समाज सेवा और राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री राम कृष्ण उपाध्याय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम जनम का 26 अक्टूबर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री राम जनम का जन्म 26 अक्टूबर, 1939 को हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम जनम वर्ष 1977 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी, जिला आजमगढ़ से क्रमशः जनता पार्टी तथा लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम जनम ग्राम वार्लीपुर, जिला आजमगढ़ के प्रधान तथा क्षेत्र समिति आजमगढ़ के ब्लाक प्रमुख रह चुके थे। वे जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके थे। कृषि एवं खेल में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री राम जनम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विजय कुमार त्रिपाठी का 14 नवम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री विजय कुमार त्रिपाठी का जन्म 19 फरवरी, 1925 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी श्री विजय कुमार त्रिपाठी वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र निगोहां, जिला लखनऊ से तथा वर्ष 1967, 1969, 1974, 1980 तथा 1991 में निर्वाचन क्षेत्र सरोजनीनगर, जिला लखनऊ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री विजय कुमार त्रिपाठी श्री चन्द्र भानु गुप्त मंत्रिमण्डल, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रिमण्डल तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। वे ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति, लखनऊ के अध्यक्ष तथा जिला सहकारी विकास संघ, लखनऊ के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, मोहनलालगंज के प्रबन्ध संचालक का पद भी सुशोभित किया था। वे अनेक विद्यालयों की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि थी। भारत-चीन तथा भारत-पाक युद्ध के समय उन्होंने अपना सम्पूर्ण वेतन सुरक्षा कोष में दे दिया था।

श्री विजय कुमार त्रिपाठी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम शरण दास का 20/21 नवम्बर, 2008 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री राम शरण दास का जन्म 3 जुलाई, 1927 को ग्राम अलाउद्दीनपुर, जिला सहारनपुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम शरण दास वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र नकुड़, जिला सहारनपुर से लोकदल तथा वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र सरसावां, जिला सहारनपुर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे चौथी बार 06 मई, 2006 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री राम शरण दास ने वर्ष 1942 में विद्यार्थी आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी एवं श्री जय प्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी तथा पार्टी से सम्बन्धित सभी आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल गये एवं अनेक बार जुर्माना भरा वे श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमण्डल में दिनांक 5-12-1989 से 24-6-1991 तक सदस्य रहे थे। वे विधान परिषद् की आश्वासन समिति तथा वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के सभापति रहे थे। वे राज्य योजना आयोग के वर्ष 2003 से 2007 तक उपाध्यक्ष रहे थे। वे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने अनेक अन्य महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया था। समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री राम शरण दास के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रमा शंकर कौशिक का 29 नवम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे।

श्री रमा शंकर कौशिक का जन्म 2 अप्रैल, 1931 को गजरौला, जिला मुरादाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रमा शंकर कौशिक वर्ष 1977 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र हसनपुर, तत्कालीन जिला मुरादाबाद (वर्तमान जिला ज्योतिबा फुले नगर) से क्रमशः जनता पार्टी तथा भारतीय कांग्रेस (जे0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1990 से 1996 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य थे। वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री रमा शंकर कौशिक विद्यार्थी आन्दोलन में दो बार समाजवादी आन्दोलनों में तथा इमरजेन्सी के दौरान मुरादाबाद, लखनऊ एवं अलीगढ़ की जेलों में बन्दी रहे थे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमण्डल, श्री बनारसी दास मंत्रिमण्डल तथा श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। वे विधान परिषद् के नेता सदन तथा नेता विरोधी दल भी रहे थे। वे 1985-86 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे थे। उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विकास के लिये कार्य किया था। साहित्य, इतिहास का अध्ययन एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री रमा शंकर कौशिक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती कान्ती सिंह विसेन का 5 दिसम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष की थीं। श्रीमती कान्ती सिंह विसेन का जन्म 15 अक्टूबर, 1942 को निघासन, जिला खीरी में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती कान्ती सिंह विसेन वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र लखीमपुर, जिला खीरी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती कान्ती सिंह विसेन श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कारागार लखीमपुर खीरी में दिसम्बर, 1979 में लगभग एक सप्ताह तक बन्दी रही थीं। वे कांग्रेस (आई0) दल की जिला महिला शाखा की अध्यक्षा रही थीं। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा संगीत उन्हें प्रिय था। श्रीमती कान्ती सिंह विसेन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विपिन बिहारी तिवारी का 7 दिसम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री विपिन बिहारी का जन्म 1918 में ग्राम नबीनगर, जिला सीतापुर में हुआ था। उन्होंने बी0 ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विपिन बिहारी तिवारी वर्ष 1962 तथा 1967 में निर्वाचन क्षेत्र लहरपुर, जिला सीतापुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री विपिन बिहारी तिवारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जुझारू कार्यकर्ता एवं प्रचारक रहे थे तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवा भारती संस्था के माध्यम से कानपुर की मलिन बस्तियों में कार्य किया गया था। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रसारण मंत्री, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्था विश्व संवाद केन्द्र के संस्थापक सदस्य व प्रदेश

प्रबन्ध निदेशक रहे थे। वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे थे। वे खेमकल विद्यालय, लहरपुर के संस्थापक तथा भारतीय विद्यालय मंगलगंज, औरंगाबाद, जिला खीरी के प्राचार्य रहे थे। अध्ययन तथा अध्यापन में उनकी रुचि थी।

श्री विपिन बिहारी तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं सांसद चौधरी मुनव्वर हसन का 10 दिसम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 44 वर्ष के थे। चौधरी मुनव्वर हसन का जन्म 15 मई, 1964 को कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। चौधरी मुनव्वर हसन वर्ष 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र कैराना, जिला मुजफ्फरनगर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे ग्यारहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे। चौधरी मुनव्वर हसन एक निष्ठावान एवं समर्पित कार्यकर्ता थे। जन सेवा तथा सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष करने में उनकी विशेष रुचि थी। साहित्य एवं राजनीति पुस्तकों का अध्ययन उन्हें प्रिय था। चौधरी मुनव्वर हसन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कुंवर श्रीपाल सिंह का 18 दिसम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। कुंवर श्रीपाल सिंह का जन्म 29 जुलाई, 1918 को सिंगरामऊ, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने विशारद, हिन्दी भूषण तथा साहित्याचार्य की शिक्षा ग्रहण की थी। कुंवर श्रीपाल सिंह वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र शाहगंज, जिला जौनपुर से स्वतंत्र प्रगतिशील विधान मण्डल दल से, वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र रारी, जिला जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र चांदा, जिला सुल्तापुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। कुंवर श्रीपाल सिंह वर्ष 1935 से 1942 तक राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे थे। उन्होंने गांधी आश्रम सिंगरामऊ, जिला जौनपुर में कार्य किया था। वे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने वर्ष 1940 में मसूरी में आयोजित दंगल में रूमानिया के हैवीवेट चैम्पियन जार्ज कान्सटिनटाइन को परास्त किया था। संगीत, कृषि एवं शिक्षा में उनकी रुचि थी। कुंवर श्रीपाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विश्राम सिंह यादव का 26 दिसम्बर, 2008 को निधन हो गया। वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री विश्राम सिंह यादव का जन्म 16 जनवरी, 1939 को ग्राम इकनौरा, जिला हरदोई में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 तथा एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी श्री विश्राम सिंह यादव वर्ष 1993 तथा वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र बिलग्राम, जिला हरदोई से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री विश्राम सिंह यादव राजनीतिक आन्दोलनों में हरदोई, लखनऊ, उन्नाव एवं दिल्ली के कारागारों में अनेक धाराओं के अन्तर्गत लगभग एक वर्ष तक बन्दी रहे। वे डा0 राम मनोहर लोहिया शिक्षा समिति, डा0 भीमराव अम्बेडकर शिक्षा समिति, नरपति कमला जन कल्याण समिति और विकास महिला सेवा समिति के अध्यक्ष एवं डा0 आर0 एम0 एल0 इण्टर कालेज के प्रबन्धक रहे थे। वे कई अन्य

सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा राजनीति पर चर्चा करना उन्हें प्रिय था। श्री विश्राम सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मगज सिंह का 20 दिसम्बर, 2008 को निधन हो गया वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री धर्मगज सिंह का जन्म 7 जुलाई, 1927 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री धर्मगज सिंह वर्ष 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तथा 1977 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र हरदोई, जिला हरदोई से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे पांचवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री धर्मगज सिंह जिला कांग्रेस कमेटी, हरदोई के महामंत्री रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे थे। वे डी0सी0डी0एफ0, हरदोई, सहकारी संघ, हरदोई, जिला गन्ना कमेटी, हरदोई तथा न्याय पंचायत, बहेर, हरदोई के अध्यक्ष रहे थे। जन सेवा तथा वाद-विवाद में भाग लेने में उनकी रुचि थी। श्री धर्मगज सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कालीचरण टण्डन का 31 दिसम्बर, 2008 को निधन हो गया वे लगभग 100 वर्ष के थे। श्री कालीचरण टण्डन का जन्म 1 नवम्बर, 1908 को हुआ था। उन्होंने डायमण्ड जुबली इण्टर कालेज, कन्नौज से शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कालीचरण टण्डन वर्ष 1946 में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र-ग्रामीण से जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण) से तथा वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज (उत्तर), तत्कालीन जिला फर्रुखाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कालीचरण टण्डन ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये थे। उन्होंने वर्ष 1955 में कन्नौज विकास संघ की स्थापना करके इस क्षेत्र के विकास को गति दी थी। वे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा अन्तरिम जिला परिषद् एवं जिला परिषद् के निर्वाचित अध्यक्ष रहे थे। वे तहसील कांग्रेस कमेटी, कन्नौज के मंत्री, अध्यक्ष तथा प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कांग्रेस दल के सचेतक भी रहे थे। उनको दिनांक 25 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। श्री कालीचरण टण्डन के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री निसार अहमद अन्सारी का 24 जनवरी, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री निसार अहमद अन्सारी का जन्म 31 मार्च, 1925 को हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री निसार अहमद अन्सारी वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र टांडा, तत्कालीन जिला फैजाबाद (वर्तमान जिला अम्बेडकर नगर) से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री निसार अहमद अन्सारी कोमी हायर सेकेन्डरी स्कूल, टाण्डा के प्रबन्धक, अखिल भारतीय मोमिन कान्फ्रेन्स, नई दिल्ली के सदस्य तथा कांग्रेस बुनकर सेल तथा उत्तर प्रदेश के संयोजक सदस्य रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, फैजाबाद के उपाध्यक्ष भी रहे थे। वे श्री वीर

बहादुर सिंह मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। जनहित के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा उद्योग धन्धों में वे दिलचस्पी लेते थे। श्री निसार अहमद अन्सारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डॉ0 सुरेन्द्र पाल वर्मा का 26 जनवरी, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। डॉ0 सुरेन्द्र पाल वर्मा का जन्म 15 मार्च, 1952 को ग्राम नन्दवारा, जिला बांदा में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0 तथा बी0ए0एम0एस0 की शिक्षा ग्रहण की थी। डॉ0 सुरेन्द्र पाल वर्मा वर्ष 1977, 1985 तथा 1989 में निर्वाचन क्षेत्र नरैनी, जिला बांदा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर तथा इसी निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। डॉ0 सुरेन्द्र पाल वर्मा वर्ष 1981 में धारा 144, 107 एवं 116 के अन्तर्गत 22 दिन केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बन्दी रहे थे। वे छात्र संघ राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज अतर्रा, बांदा तथा उत्तर प्रदेश छात्र महासंघ राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेज के अध्यक्ष एवं आदर्श इंगलिश मीडियम स्कूल, अतर्रा, बांदा के प्रबन्धक रहे थे। वे श्री मुलायम सिंह यादव तथा सुश्री मायावती मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। चिकित्सा, खेलकूद, कृषि, राजनीति तथा समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। डॉ0 सुरेन्द्र पाल वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

अब हम सब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया)

औरैय्या के अधिशासी अभियन्ता श्री मनोज गुप्ता की हत्या विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित सूचना

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं कि एक महत्वपूर्ण और गम्भीर घटना पर मुझे बोलने का अवसर दिया। 23/24 दिसम्बर, 2008 की रात में मनोज कुमार गुप्ता, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी0डब्लू0डी0 की हत्या की गयी। हत्या करने वाले, बहुजन समाज पार्टी और सत्तापक्ष के विधायक थे और उनके साथ कई अपराधी भी थे। अध्यक्ष जी, आपको आश्चर्य और दुःख होगा कि हत्या करके सीधे थाने में उनकी लाश को ले गये थानेदार के समक्ष रख दिया। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की जबकि गिरफ्तार कर सकते थे। अगर गिरफ्तारी हो जाती तो वहां की जनता को और समाजवादी पार्टी को आन्दोलन या प्रदर्शन या बन्द का कोई आह्वान नहीं करना था और अध्यक्ष महोदय, इतना रोष था कि जनता स्वयं सड़कों पर निकल आयी थी। लेकिन अफसोस यह है कि भुक्तभोगी हम भी हैं शायद आप भी रहे हैं। ऐसी घटना जब होती है तो पुलिस अपने बचाव में कहीं आगजनी, कहीं मोटर साइकिल जलाने लगती है। हमने यह इसी लखनऊ के अन्दर देखा है और मुल्जिम शिव पाल सिंह, श्याम किशोर यादव को बना दिया गया। जबकि शांति के लिये गये थे और यह जानना चाह रहे थे कि क्यों आन्दोलन हो रहा है और ये दोनों लोग एक दूसरे मामले में पुलिस लाइन में गिरफ्तार थे

वहां से छूट कर गये थे इसी बात को लेकर मुस्लिम संगठन सिम्मी का सदस्य कहकर इनके खिलाफ चार्ज शीट भी लगी थी कि यह सिम्मी का सदस्य है और सिम्मी का सदस्य बनाया। एक महत्वपूर्ण डाक्टर मुस्लिम बनाया था। मोटर साइकिल खुद पुलिस ने जला दी थी ऐसे कितने उदाहरण दें केवल इटावा में 1968 में पुलिस ने गोली चलाकर चार कम्युनिष्ट पार्टी और हमारे समर्थकों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद थाने के पीछे से नाली बह रही थी उसमें से कैसे आग पहुंच गई आग लगी नहीं आग लगा दी और हम लोगों को 84 लोगों को 6 महीने जेल में रखा। इतनी अच्छी परम्पराएं थीं कि कांग्रेस पार्टी के लोक सभा के सदस्य और हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शंकर तिवारी ने हम लोगों की जमानत कराई। इतनी गम्भीर धाराएं आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि कमलेश पाठक जो दो बार विधान सभा के सदस्य और एक बार विधान परिषद् के सदस्य रह चुके हैं वरिष्ठ नेता और राज्य स्तरीय समिति के हमारी पार्टी के सचिव हैं उनको और संतोष पाठक उनके भाई जिला पंचायत के सदस्य रामू पाठक और तीन लोगों को गैंगस्टर एक्ट में तथा राम बाबू यादव, गजवीर सिंह यादव, बबलू यादव, राजू सक्सेना, उपेन्द्र यादव, संजीव शुक्ला को रासुका मे बन्द कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि 29 दिसम्बर को हम मिलाई करने गए तो हमारे मिलाई करने के तत्काल बाद सरकार के आदेश द्वारा उनको इटावा जेल से पीलीभीत जेल भेज दिया गया केवल हम मिलाई करने गये थे इस कारण हत्या का विरोध मैं समझता हूं कि इस सदन में ऐसा कौन है जो नहीं करेगा आप भी हत्या का विरोध कर रहे होंगे। लेकिन विरोध करने पर श्री कमलेश पाठक पर रासुका, जिला पंचायत के सदस्य राम बाबू यादव पर रासुका, गैंगस्टर, गुण्डा एक्ट, संतोष पाठक, राम बाबू पाठक क्या गुण्डा है उनका परिवार गुण्डा है यह औरैया में कोई नहीं कह सकता है। व्यापारी का बेटा होने के कारण दिबियापुर से फफूंद तक के सारे व्यापारियों ने बन्द रखा यह सही है कि व्यापारियों के बन्द में समाजवादी पार्टी व कई अन्य समाजसेवी संगठन शामिल थे। जो नाम बताये है 36 लोगों को गिरफ्तार किया जब उनसे मिलाई करने गये तो नवीं कक्षा के छात्र, फर्स्ट इयर के छात्र बी0 ए0 प्रथम वर्ष के छात्र जो कालेज जा रहे थे, कालेज से लौट रहे थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया यह गहरी साजिश है। जनता को और व्यापारियों को सड़कों पर क्यों निकलना पड़ा। 10 लाख से 5 लाख कैसे कम किया। अध्यक्ष महोदय, हम उनके घर गये थे पूरे सड़क के किनारे भीड़ खड़ी थी इतना सीधा परिवार जिस कमरे में बैठे थे अध्यक्ष महोदय, वह आपके चेम्बर से ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था उनकी पत्नी किस तरह से जिन्दा बच पाई। उसने छूट करके पिटते हुए पति को बाथरूम में बन्द किया। उनकी मां और उनकी पत्नी उनका एक बच्चा बैंगलोर में किसी तरह से छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। साधारण परिवार और ऐसा लगता था गरीब परिवार उनके कपड़े देखकर। उनका छोटा सा मकान है। केवल एक छोटा सा कमरा है। केवल ईमानदारी का यही परिणाम था। उनसे कह दिया कि 10 लाख रुपये दो। पांच लाख वह किसी तरह से दे चुके थे। अब जाने मुख्य मंत्री को देना भी था कि नहीं था। वह कुख्यात अपराधी स्वयं हैं, स्टेशन पर गुण्डई करते हुए पकड़ा गया है। प्लेटफार्म पर जेबकतरों को लगा देता था। अब कितना हम बतायें। जहां तक उनके पिताजी का सवाल है, एक अच्छे इंसान हैं लेकिन और मैं। कहना नहीं चाहता परिवार के और कौन लोग चले गये हत्या में शामिल। और फिर आप यह देखेंगे कि इतने 39 लोगों को मुजरिम बनाना, छात्रों को मुजरिम बनाना, कमलेश पाठक, उनके दो भाइयों को

मुजरिम बनाना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राम बाबू को मुजरिम, गम्भीर धाराओं में लगाकर के बनाना यह सरकार की तरफ से हस्तक्षेप नहीं है ? और यह मै। कह सकता हूं कि सरकार के बिना, इतने महत्वपूर्ण नेताओं के खिलाफ जो जिला पंचायत के मेम्बर हों, विभिन्न कई पदाधिकारियों, व्यापारियों के बेटे हों, उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। 36-36 लोगों को एक साथ छापों मारकर के गिरफ्तार किया जाता है। बच्चे, और जो शायद 18 साल के भी न हुए हों नवीं क्लास के, सेकेन्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के बी0ए0 में पढ़ने वाले छात्र, इनका क्या कसूर था। और जितने भी गिरफ्तार किये गये उनका कोई कसूर नहीं है, हो सकता है कि नारे लगा दिये हों और पुलिस की साजिश स्वंय कहीं आग लगाना, कहीं दफ्तर में तोड़-फोड़ करना और सब समाजवादी पार्टी को कहना। यह हम तो भोग चुके हैं जेल में। हमको भी 6 महीने रहना पड़ा था बाद में जमानत किसी तरह से हुई थी। बकेवर कांड हुआ था, चार लोग को गोली से मार दिया और उसके बाद बता दिया थाने में आग लगी। थाने मे कहीं आग भी नहीं लगी थी, नाली में आग कैसे पहुंची ? पेट्रोल से पहुंची हो या मिट्टी के तेल से पहुंची होगी नाली मे। तो हम एक नहीं कई ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जब पुलिस हमेशा पेशबंदी करके अपने को बचाने के लिये गम्भीर धाराएं लगाती है, इसलिये हमारी मांग है कि तत्काल केवल दरोगा के खिलाफ कार्यवाही नहीं, यहां के चाहे डिप्टी एस0पी0 हों या एस0पी0 हों इनके बिना गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? और क्यों नहीं की गई, सरकार को बताना चाहिये। और सरकार ने क्यों बचाया ? यह सरकार बताये। ऐसे इतने उदाहरण है कि हम सामान्य नहीं जाना चाहते हैं। एक उच्च जाति के औरैया जनपद में आज 25-26 दिन हो गये तथा कक्षा ग्यारह की लड़की और एक कक्षा बारह की लड़की आज तक पता नहीं और मुख्य मंत्री जी, मैं जाति पाति पर विश्वास नहीं करता लेकिन उनकी जातिके लड़के लेकर चले गये। अभी तक वापस नहीं आये। समझे रामवीर उपाध्याय, उच्च जाति का कौन हो सकता है ? (हंसी) हां हंसना नहीं ऐसे। कोई हंसने की बात नहीं है, गम्भीर बात है। आप लखनऊ में पढ़ रहे है एक महिला के साथ आज भी छेड़-छाड़ हो गई। यह ऐवरेज है कि 6 से लेकर 10 लड़कियों/महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ राज्य मे हो रही है और जिसमें आप चाहेंगे तो हम सूची पेश कर देंगे। जिसमें बहुजन समाज पार्टी के ही लोग हैं ज्यादा। इस दलके कहीं कोई नहीं है। पूरा का पूरा विपक्ष है। (हंसी) कोई छेड़-छाड़ में नहीं है। अब देखिये सब हंस रहे। इतने संवेदनहीन है। इतनी सम्वेदनहीन यह सरकार है, इसी से साबित हो रहा है कि मिनिस्टर तक हंस रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। इसलिये हमारी आपसे मांग है कि तत्काल कमलेश पाठक, रामबाबू, सन्तोष और रामू जो उनके परिवार के दो भाई सगे हैं। रामबाबू पार्टी के अध्यक्ष हैं और अन्य जो हैं। हम बताना चाहते हैं रामूका कितने लोगों पर है। कमलेश पाठक, संतोष पाठक, रामू पाठक पर गैंगस्टर, रामबाबू यादव राजवीर सिंह यादव, बबलू यादव, राजू सक्सेना, उपेन्द्र यादव संजीव शुक्ला आदि इतने नाम दिए गए पर गैंगस्टर गुण्डा और गुण्डा ऐक्ट भी है इतनी गम्भीर धाराओं में बन्द करना, मैं कह सकता हूं कि सरकार की अनुमति के बिना नहीं है, मुख्य मंत्री की बिना अनुमति के नहीं है। उसका कारण है कमलेश पाठक को बहुजन समाज पार्टी में बहुत कोशिश की गई लाने की। पांच लाख रुपया मांगा एक टिकट का, कहा दे जाइए और हमारी पार्टी में आ जाइए, कौन नहीं जानता है आप भी जानते होंगे। मुझे पता

है कहां यह बातें होती थीं इसलिए हम आपसे इस गम्भीर सवाल पर चर्चा चाहते हैं और हमारी मांग है कि जितने 36 और कमलेश पाठक और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो कार्यवाही की गई उसे तत्काल वापस लिया जाए और जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने फर्जी केस लगाए हैं, लोकतंत्र में अधिकार है विरोध करने का, नारे लगाने का इसके अलावा काम क्या किया। जितनी भी आगजनी बताई गई और तोड़-फोड़ मचाई गई वह सब पुलिस ने की और साजिश करके इन लोगों को गम्भीर धाराओं में बन्द किया, बहाना करके थाने में लाया गया। उसमें कोई कार्यवाही भी नहीं की, न एस0पी0 ने और न वहां के अधिकारियों ने। क्या यह अ ध नहीं है एस0पी0 का ? क्या वहां का डिप्टी एस0पी0 अपराधी नहीं है ? क्या वहां और अधिकारी दोषी नहीं हैं ? इतनी गम्भीर घटना होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की, जब जनता सड़कों पर आई है तब कार्यवाही की है। अगर इस तरह से कहीं कोई नुकसान हो जाता है तो श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, नाली को साफ करने में थोड़ी बहुत बदबू आएगी ही, नाली को इतना गन्दा किया ही क्यों, ऐसा मौका दिया क्यों, अगर उसी समय गिरफ्तार कर लेते तो जनता आन्दोलन क्यों करती। आज यह स्थिति सदन में क्यों होती यह पूरी सरकार मान्यवर, अपराधी है अपराधियों को संरक्षण है। उस दिन हुकुम सिंह जी ने कहा था, आज बता दो कौन अपराधी है उधर जितने लोग हैं अध्यक्ष महोदय आप भी जानते हैं इसका कारण है अपराधियों को इतना संरक्षण देना, संसदीय कार्य मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री जी को इस बहस में होना चाहिए था। यह मामूली बात नहीं है एक अधिकारी की हत्या हो, एक ईमानदार अधिकारी की हत्या हो, सदन में चर्चा हो और मुख्य मंत्री जी गायब, यह संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है ? यह अपराधियों को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है ? मेरा खुला आरोप है कि सरकार के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं और सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है उनके इशारे पर ही यह दबाने की कोशिश की जा रही है और जब विरोध करेंगे तो हमारी जबान को बन्द करेंगे, आरोप लगायेंगे, कभी भी समाजवादी पार्टी के विरोध पर, प्रदर्शन पर आप प्रतिबन्द नहीं लगा सकते हो। यह आप जान गए हैं कि यह लोग ऐसे बैठे हैं जो इमरजेंसी झेल चुके हैं। आप क्या हैं हम बार-बार कहते हैं समय कभी एकसा नहीं रहता है। इस कुर्सी पर तीन बार हम भी बैठ चुके हैं। हम तो यहां भी बैठे हैं वहां भी बैठे हैं आप तो वहां भी नहीं होंगे, न यहां होंगे। यहां होते तो कुछ भी हो सकते थे। इसलिए बचाव क्यों करते हो, आप स्वीकार कीजिए। छिपाने की क्या बात है आप स्वीकार कीजिए, जो कुछ बो चुके हैं, आपको चाहिए कि आप सदन में माफी मांगें।

(किसी मा0 सदस्य के कुछ कहने पर)

हमें सब पता है वह कहां की रहने वाली हैं बदनामी होगी। नाम नहीं लेंगे, न उनके पिता का नाम लेंगे न उनकी जाति का नाम लेंगे। लेकिन आज एक नई लड़की, आप कहेंगे तो सूची सदन में पेश कर देंगे। क्या-क्या हो रहा है। यहां और अलीगढ़ में, क्या आत्म हत्या नहीं की। सी0एम0ओ0 ने कह दिया कि इतना दीजिए नहीं तो बर्खास्त कर दूंगा। रात में वह सोचता रहा कि इतना कर्जा ले लेंगे तो परिवार का क्या होगा और उसने आत्महत्या कर ली। वहां से आपके भाई चुनाव भी लड़ चुके हैं, अलीगढ़ से। आपको तत्काल कार्यवाही कराना चाहिए था। क्या इसमें आपका संरक्षण नहीं है, मंत्रियों का संरक्षण नहीं है ? मेरा सीधा आरोप है कि अपराध की जिम्मेदार सरकार है और सबसे ज्यादा मुख्य मंत्री हैं। हम लोग ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, एक

बार ऐसा मौका आया, मैंने आदेश दे दिया कि शिवपाल को गिरफ्तार कीजिए। प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों ने कहा कि वहां तो शिवपाल से कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार हमारी यूथ का एक अध्यक्ष, आपको पता होगा, डी0एफ0ओ0 पैसा नहीं दे रहा था, चले गये, कुछ भी नहीं किया, उसके बाद रिपोर्ट लिखा दी कि धमकी दे रहे थे। मैंने तत्काल उसको जेल भेज दिया। एक को ही नहीं, कई को जेल भेजा है। हमारे बस्ती वाले विधायक बैठे होंगे, एक सदस्य रामकरन आर्य थे, किसी दूसरे कार्यकर्ता ने आसमानी फायरिंग किया और दूसरी तरफ किसी तरह मौत हो गयी, उसके बाद वह लखनऊ आ रहे थे, क्या किसी की हिम्मत थी कि गिरफ्तार कर लेता ? मैं हैदराबाद में था, मैंने कहा कि यदि हमारे विधायक की गलती है तो गिरफ्तार कर लो, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसलिए यदि अन्याय है तो हम अन्याय का विरोध करेंगे, सत्य का साथ देंगे, यह हमारा लिखा हुआ है और आप तो हमारे साथ रह भी चुके हैं कि क्या है समाजवादी और क्या है, समाजवाद ? इसलिए हमारी अपील है कि तत्काल सारे मुकदमें जो गलत तरीके से लगाये गये हैं, उनको वापस लिया जाए और जिन्होंने यह सारे गलत मुकदमें लिखे हैं, धाराएं लगायी हैं, गिरफ्तारी से लेकर, गैंगेस्टर एक्ट तथा और जो गम्भीर धाराएं संतोष पाठक और रामू पाठक आदि पर लगायी गई हैं, उन सभी को रिहा किया जाए और जिन्होंने गलत तरीके से इतने गम्भीर केस में उनको जेल भेजा गया है, धाराएं लगायी गयी है, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देख रहे हैं धाराएं क्या-क्या हैं, धारा-487/ए, अण्डर सेक्शन-145, 147, 148, 149, 307, 332, 335, 336 तथा 353 आई0पी0सी0 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट और फिर उसके बाद गैंगेस्टर तथा रासुका। जिनके बारे में मैंने बताया, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, यह तो न्यायालय की मेहरबानी थी कि 136 लोगों की तत्काल जमानत हो गई। एक अधिकारी की हत्या हुई और उस हत्या में यदि छात्रों ने विरोध भी किया हो तो क्या उनको जेल भेजा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अपराधियों को सजा देने के बजाय, अपराध करने वालों का विरोध करने वालों को सजा दी जा रही है। इस सरकार में। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप हस्तक्षेप करके यह सारे मुकदमें वापस कराइये। कमलेश पाठक, रामबाबू पाठक जो हैं, हमें मिलाई करने का अधिकार है और मेरे जैसे लोग मिलाई करने जाते हैं और साथ में 4-5 और लीडर थे, एम0एल0ए0, एम0एल0सी0 और एक्स एम0एल0ए0 थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, ये 5-7 लोग मिलाई करने चले गये। मान्यवर, यह 5-6-7 लोग मिलाई करने के लिए चले गये। उसके बाद तत्काल छापा मारा गया और उनको इटावा से पीलीभीत ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ऐसा अत्याचार ऐसा जुल्म करेंगे। आप कहीं भी भेज दो। आप समझते हो कि कमलेश पाठक झुकने वाला है। मैं समझता हूं कि कमलेश पाठक झुकने वाला नहीं है। वह झुकने वाला नहीं है। आपको उसका संघर्ष पता नहीं है। कहां-कहां और कैसे संघर्ष किया है। परवाह नहीं है। इसलिए वह पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है। जेल में रहकर चुनाव लड़ेगा। अगर जेल में रहकर लड़ेगा तो आपके सामने नतीजा आ जाएगा। जनता भी जानती है हिन्दुस्तान की। अब बेचारा शब्द लग गया है। अब आप उसको रोक नहीं सकते चाहे जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे। इसलिए उम्मीदवार घोषित है बिल्हौर, कानपुर से तो अध्यक्ष महोदय आप हस्तक्षेप कीजिए और सारे मुकदमें वापस करने और कमलेश पाठक और उसके साथियों को रिहा करने का और जो लोग फरार हैं, बेचारे दुखी हैं, तत्काल उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने का आदेश दिया जाये। मान्यवर, जब छापा मारा गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्वयं चले जाएंगे। दफा हैं वह हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद इतने सारे केस हैं। उच्च

न्यायालय के आदेशों के खिलाफ भी आपने यह सब कार्यवाही की है। मैं फिर दोहराता हूं कि मंत्रिमण्डल या कैबिनेट के कोई भी हों, मुख्य मंत्री के निर्देश के बिना ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा मुख्य मंत्री नहीं कि जिसको पता न चलता हो कि असलियत क्या है। असलियत का पता चला होगा। मान्यवर, दो लड़कियां हैं एक कक्षा 11 की और एक कक्षा 12 की है। उच्च जाति की लड़कियां हैं। 25-26 दिन से गायब हैं और जो ले गये उनका पता है लेकिन कहने की उसके पिता की हिम्मत नहीं है। रपट नहीं लिखाई गयी। कई दिन हो गये और शायद अब भी न लिखी हो। लेकिन वहां के लोगों से कल और परसों मेरी बातचीत हुयी। आज यह हालत है कि लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है और अपराधियों को संरक्षण के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुयी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सारे नियमों को विलम्बित करते हुए बहस जारी रखने की कृपा करेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे और आप इन सारे केसों में यहां कह सकते हैं कि मैं सहमत हूं और सरकार इनके खिलाफ कार्यवाही न करे। ऐसा हुआ है। दिल्ली में संसद में हमारे मामले में ऐसा हुआ है। दोनों सदनों ने कहा है, श्री भैरो सिंह शेखावत जी थे, उन्होंने कहा कि मैंने भी विवेकाधीन कोष से दिया है और एक महाराष्ट्र के शिवसेना के मुख्य मंत्री रह चुके थे उन्होंने भी कहा कि मैंने भी विवेकाधीन दिया है और मुलायम सिंह पर 139 केस एक रात में एक घण्टे के अन्दर। ऐसी नजीर वहां पर दी गयी है और सभापति ने भी और यहां स्पीकर महोदय ने भी सीधी रूलिंग दे दी थी और उसीका परिणाम है कि आज उसी सदन की कृपा से बचा हुआ हूं। हमारे खिलाफ यह सरकार कोई कार्यवाही न कर सकी। मैं लोक सभा का सदस्य था, मैंने कहा कि मैं तत्काल चला जाऊंगा मुझे 4-5 मिनट दे दें। मैं खुद बोला और 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोला तो अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी-ऐसी परम्पराएं हैं जहां मामलों में संरक्षण विपक्ष को आप ही दे सकते हैं। मैं समाजवादी रहा हूं। अन्याय का विरोध करना, सच का साथ देना, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, अगर किसी ने कह दिया यहां पर, हमने लाख-लाख और दो-दो लाख रुपया दिया और यहीं पर आदेश कर दिया कि कोई भी इनके खिलाफ कार्यवाही न की जाय, इसी सदन के अन्दर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष के थे वह। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों को संरक्षण दीजिए और निर्दोष लोगों को बचाइये और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दीजिए, धन्यवाद।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण घटना पर हमको बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें सदन के समक्ष रखी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, मैं उस पर बल देता हूं। मान्यवर, 23/24 दिसम्बर, 2008 की रात को जो औरैया में एक बहुत गम्भीर घटना घटी मान्यवर, दो गाड़ियों में सत्ता पक्ष के विधायक और उनके साथी, गुप्ता अधिशासी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 के निवास पर पहुंचे, रात को उनका दरवाजा खटखटाया, दरवाजा न खुलने पर दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद उनको खींच कर पहले उन्हीं के घर में मारा गया और मारने के बाद फिर वहां ले जाया गया, उसके बाद उनको बिजली का करेन्ट लगाया गया फिर मारा गया और मारने के बाद दिबियापुर थाने में उनको मरणासन्न अवस्था में डाल दिया गया। जब उनको वहां से अस्पताल ले जाया जा रहा था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, तब उनकी रास्ते में मौत हो गई। यह एक बहुत गम्भीर घटना है मान्यवर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह कहती है कि मनोज गुप्ता की हत्या उनके जो सिर पर प्रहार हुआ था जिस डण्डे से उससे फ्रैक्चर हुआ, उससे वह कोमा में गये और मरने का कारण वही सिर पर गम्भीर चोट बताई गयी। मान्यवर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हुआ कि उनके शरीर पर पांच स्थानों पर करन्ट दिया गया। मान्यवर, उसके बाद मुल्जिम को रिमाण्ड पर लिया गया। मुल्जिम जो विधायक हैं सत्ता पक्ष का उनको जब रिमाण्ड पर लिया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनका थाने से सम्पर्क था और मनोज गुप्ता जो कि वहां पर छः महीने से तैनात था न वह कभी उनसे मिलने आया और न ही उन्होंने कभी इसको ओब्लाईज किया। मान्यवर, इन्हीं की पुलिस है और पुलिस ने बाकायदा सी0डी0 में जिस वक्त मुल्जिम को रिमाण्ड पर लिया था, उस वक्त यह बयान दर्ज किया गया इसलिए वह सारे साक्ष्य मान्यवर, सत्ता पक्ष के पास मौजूद हैं। मान्यवर, यह भी कहा गया कि 50 से 75 हजार रुपया दूसरे इन्जीनियर देते थे, जब से यह आया है इसने एक पैसा भी नहीं दिया है। मान्यवर, उनके परिवार वालों ने इस बात का आरोप भी लगाया है कि उनकी हत्या चन्दा की वजह से हुई थी। चन्दा न देने की वजह से हुई थी। मान्यवर, एक बात और प्रकाश में आई, इस घटना से पहले एक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो औरैया के हैं, उनको अपमानित करने उनको प्रताड़ित करने और उनको मारने तक का भी आरोप उनके ऊपर था, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, चौथी बात जो थानाध्यक्ष के सम्बन्ध में है, यह थानाध्यक्ष इतने प्रभावी हैं कि तीसरी बार उस थाने में तैनात किये गये। पहली बार 02 मई, 2008 को एक पुलिस अधीक्षक औरैया में तैनात होते हैं और उन्होंने दिबियापुर के इस थानाध्यक्ष को हटाया, इस थानाध्यक्ष को हटाने के तीन-चार घण्टे के बाद उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा और चार दिन के बाद इन एस0पी0 महोदय का ट्रांसफर हो गया। इसके बाद मान्यवर, दूसरे एस0 पी0 आये उन्होंने भी एक महीने के बाद जो स्थिति देखी। मान्यवर, इन्हीं थानाध्यक्ष को टी0 आई0 बना दिया। लेकिन उनके टी0 आई0 होने के कुछ ही समय के बाद उन्हीं एस0 पी0 साहब को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और, फिर कुछ दिन के बाद उस एस0 पी0 साहब को वह जिला छोड़ना पड़ा। 5 जुलाई, 2008 को, जो वर्तमान एस0 पी0 हैं, घटना के समय वह गये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। आप देखें एक थानेदार को समुचित शासनादेशों के बावजूद बार-बार उसी थाने में तैनात करना शासन की कौन सी मंशा को दर्शाता है जिसके अन्तर्गत यह घटना घटी है। मान्यवर, औरैया में हुई इस घटना के बाद औरैया में, लखनऊ में, लखीमपुर में और अन्य जगहों पर हजारों-हजार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। मान्यवर, हमारा कहना यह है कि अगर घटना के तुरन्त बाद ही इस पर कार्यवाही हो जाती और घटना के तत्काल बाद मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता तो शायद यह स्थिति न आती।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि मृतक मनोज गुप्ता जी के परिवारजनों ने यह मांग की थी कि इसकी सी0 बी0 आई0 इन्कवायरी करायी जाये। यही नहीं केन्द्र सरकार के गृह राज्य

मंत्री जी का बयान भी आया था कि हम किसी भी जांच की सिफारिश को तत्काल स्वीकार कर लेंगे। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि घटना के बाद वर्तमान सरकार के एक वरिष्ट अधिकारी का भी दूसरे दिन बयान आया था कि जिस एजेन्सी से यह चाहेंगे उस एजेन्सी से हम जांच करा देंगे। मान्यवर, सी0 बी0 आई0 से जांच की मांग पर हम बल देते हैं। मान्यवर, जब तक वह जांच नहीं होगी तब तक घटना के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश नहीं पड़ पायेगा और न ही सब चीजों का खुलासा हो पायेगा। यह जांच का विषय है कि हत्या किस वजह से हुई है चन्दा वसूलने की बात किस वजह से हुई है। किसने उन्हें इन्डीकेट किया कि चंदा वसूल करें। और चन्दा वसूल कर कहां जाता है इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक कौन-कौन लोग शामिल हैं। यह सारी चीजें उसमें स्पष्ट हो जायेंगी। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो शासन का तौर-तरीका है वह व्यवस्था के ऊपर प्रश्नचिन्ह पैदा करता है। काली सफारी गाड़ी बिना नम्बर प्लेट के वहां चल रही थी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप चर्चा तो नहीं करा रहे हैं, ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही थी उसकी एक भी बात को मैं दुहरा नहीं रहा हूं। उससे अलग हटकर बोल रहा हूं। और ग्राह्यता पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी पर महत्वपूर्ण लोगों का चलना व्यवस्था के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगाता है। उसी तरह से एक ही थानेदार को एक ही थाने पर लगातार तीन-तीन बार तैनात किया जाना यह शासनादेशों का स्पष्टतया उल्लंघन है। मान्यवर, जिस प्रकार से तमाम बातों को जन्म दिन को लेकर कहा जाता है अगर सी0 बी0 आई0 से जांच करायी जायेगी तो उसमें सारी बातों का खुलासा हो जायेगा। इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। मैं पुनः सी0 बी0 आई0 की इन्कवायरी पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस ज्वलंत प्रश्न पर चर्चा के लिए ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस तरह से आपने नियमानुसार और परम्परानुसार आज कार्यवाही की है। अन्यथा सरकार की यह मंशा थी कि ग्राह्यता पर भी कोई बात सामने न आने पाये पता नहीं क्यों इस बात को लेकर सरकार के मन में डर है भय है उनके मन में, कोई राज खुल जाने का डर है।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां तक कह दिया कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सबसे पहले किसी ज्वलंत प्रश्न पर सुना गया हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मेरे पास इस विधान सभा की कार्यवाही है। 1 मार्च, 1988 को आप जिस पीठ पर विराजमान है इस पर श्री नियाज हसन साहब बैठे थे। मान्यवर, यह विधान सभा की कार्यवाही का सातवां अंक है, पृष्ठ है 65, मान्यवर, नेता विरोधी दल के रूप में सत्यपाल यादव जी थे, नेता लोकदल के रूप में आदरणीय मुलायम सिंह जी जो नेता सदन रहे हैं, नेता विरोधी दल हैं आज उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि क्या 311 के अन्तर्गत चर्चा शुरू में प्रारम्भ हो सकती है। मैं सिर्फ तत्कालीन अध्यक्ष श्री नियाज हसन साहब का लिखा हुआ कथन पढ़ देना चाहता हूं जिससे सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन जाय, सदन के संज्ञान में आ जाय। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं इस पर कोई व्यवस्था नहीं चाहता सिर्फ एक सत्यता को सदन में ला देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी ने कहा मान्यवर, नियम-311 के अन्तर्गत आपने नियमों को निलम्बित करके नियम-56 की इजाजत मांगी है (व्यवधान) माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी नियमों को निलम्बित कर 56 को लेने को कहा है। यहां तो 56 मांगा भी गया है अब सुनिये उन्होंने क्या कहा है "तो मैंने आप दोनों की बात को सुना, मैं नियमों को निलम्बित करता हूं"। मान्यवर, निलम्बन सिर्फ 311 में होता है नियम-56 और 51 में नहीं होता है। नियमों का निलम्बन सिर्फ 311 में होता है। यह लाइन आपके संज्ञान में मैं फिर ला देता हूं तो मैंने आप दोनों को सुना, मैं नियमों को निलम्बित करता हूं आप अपनी बात कहें और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को कहने की इजाजत दे दी तो मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी कभी बोला करें अगर तो थोड़ा बहुत तथ्यों का ज्ञान ले लिया करें वैसे वह बहुत ज्ञानी हैं मैं उनके ज्ञान का आदर करता हूं उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि एक बात सदन में आई थी इसलिए मैं उसे सत्यतापूर्वक और एक-एक शब्द जो कार्यवाही का हिस्सा था पढ़ देना उचित समझा जिससे भविष्य में जब मंत्री जी यह बोलने लगे कि 311 का कभी कोई ज्ञान नहीं है तो कम से कम यह कह दें कि हां एक बार आदरणीय नियाज हसन साहब ने किया था और यह हो चुका है अब हो कि न हो, अलग बात है। मान्यवर, यह घटना शर्मनाक सिर्फ विरोध पक्ष के लिए नहीं है। यह घटना सबसे ज्यादा शर्मनाक, दुखद और अगर जरा भी शर्म-हया हो तो सरकार के माथे पर कलंक का दाग है। मान्यवर, ऐसी घटनाएं तो बहुत सुनी थी कि कोई गुस्से में आ जाय और गुस्से में आने के बाद हत्या कर दे, गोली चला दे वह भी कानून के विरुद्ध है उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन शायद मैं अपने राजनीतिक जीवन में यह पहली बार सुन रहा हूं कि एक विधायक स्वयं नेतृत्व करके जाय सत्तारूढ़ दल का, एक अधिशासी अभियन्ता जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है पी0डब्लू0डी0 का उसके सरकारी आवास पर जाय सूना घर भी नहीं है, पत्नी घर में मौजूद है, चपरासी घर में मौजूद है उनके सामने बलपूर्वक रोती बिलखती पत्नी को कमरे में बन्द कर दे और बन्द करने के बाद उसे ले जाय। सारी रात मारता रहे पीटता रहे, किस तरह का मैं समझता हूं किस तरह की विकृत मानसिकता है मान्यवर, कि हत्या तो कर ही रहे हो लेकिन तड़पा-तड़पा कर मारने वाला इंसान वही होता है जिसे इंसान कहने में भी शर्म आती है हैवान हो सकता है इंसान नहीं हो सकता। रात भर तड़फा कर आप मारते रहे, करेन्ट लगाते रहे उसे कहां सोया था निजाम आपका कहां थी आपकी सरकार और यह कहां हो रहा है दिबियापुर में जो भारत सरकार का इस देश का सबसे बड़ा उपक्रम है गेल का। क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहां हम उपक्रम नहीं चला सकते यहां अराजकता है। सबसे बड़ा तो

उसने उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक का दाग लगाया है और यहां औद्योगिक वातावरण को समाप्त करने की कोशिश की है और उसका सहयोगी कौन है मान्यवर, कभी तो चिन्तन करिये। उसका सहयोगी है। आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष। यानि सत्ता और संगठन दोनों ओर से इस तरह से उनको छूट मिली हुई है कि एक जनपद के अधिकारी को रात भर पीटते रहे, मारते रहे, करेन्ट लगाते रहे। मान्यवर, मैं मानता हूं कि इससे वीभत्स, शर्मनाक कोई कांड नहीं हो सकता। सरकार को इसमें कोई सफाई नहीं देनी चाहिए। खड़े होकर सिर्फ सिर झुकाकर पूरे प्रदेश से माफी अगर आप मांग लेंगे तो मैं समझूंगा कि शायद आप ईमानदारी से इसमें न्याय कर सकेंगे। लेकिन आप कहते हैं और कहेंगे कह चुके हैं कि इनमें जितनी हमारी सरकार ने कार्यवाही की है, उतनी कोई दूसरी नहीं कर सकती। कार्यवाही तो होनी ही थी, आपकी मजबूरी थी लेकिन आपने कार्यवाही की नहीं। मैं एक बात जानना चाहता हूं भारतीय दण्ड संहिता, इंडियन पेनेल कोड का कोई कानून, कोई नियम आप बता दें कि एक हत्यारा, एक लगभग मर चुके आदमी को लेकर थाने में जाये और आप उसे डिटेन न करें, क्या यह लापरवाही और नियमों के विरुद्ध नहीं है। लगभग मरणासन्न आदमी को वह ले जाता है थाने में और थाने में उसे जब छोड़ता है तो आप उसे कैसे थाने से जाने की इजाजत देते हैं, जब तक आपकी तफ्तीश पूरी नहीं होती। यह तो आपको एक्सप्लेन करना है कि उसकी यह हालत किसने की, कहां हुयी और कैसे हुयी। तो यहां पर आपकी सरकार ने कार्यवाही नहीं की। दूसरा फौजदारी का एक सामान्य सा नैसर्गिक सिद्धान्त है कि जब कोई घटना होती है तो उसका कोई मोटिव अवश्य होता है और बिना किसी मोटिव के किसी भी घटना को साबित नहीं किया जा सकता। मान्यवर, इसमें आप और आपकी सरकार कठघरे में इसलिये खड़ी है कि आप आज की तारीख में भी उस मोटिव को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिये कि अगर वह मोटिव सामने आ जायेगा तो एक तरफ उस हत्यारे का चेहरा होगा और दूसरी तरफ सरकार का काला चेहरा सामने आ जायेगा, दोनों सामने आ जायेंगे इसलिये आप मोटिव को सामने आने नहीं दे रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि मोटिव क्या है, यह आपकी जिम्मेदारी है आप मना करें कि यह मोटिव नहीं है लेकिन सच्चाई को कब तक रोकोगे ? चंदा वसूली तो हो ही रही थी, 5 लाख तो मिल ही चुका था अगर विधायक जी नाराज थे तो वह संगठन के आपके जिलाध्यक्ष आखिर कौन सी वसूली उससे कर रहे थे, किस बात की वसूली कर रहे थे, यही तो डर रहे हो आप। आप नहीं चाहते हो कि यह मोटिव सामने आये और इस मोटिव को हम देश के सामने लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसकी जांच सी0बी0आई0 से कराइये। जिस दिन सी0बी0आई0 की जांच हो जायेगी, उस दिन आपकी सरकार कठघरे में नजर आयेगी। पता लग जायेगा कि इस उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपकी जानकारी में न हो। आप कह सकते हो कि हमारी जानकारी में नहीं है। आप यह भी कह सकते हो कि मुख्य मंत्री की जानकारी में न हो। लेकिन यह कहने वाले न आप कोई हो और न यह कहने वाला मैं कोई हूं। इस मामले की तो निष्पक्ष जांच कोई एजेन्सी कर ले। दूसरी मेरी राय है कि आपके नेतृत्व में, मैं किसी और नेतृत्व की बात नहीं कह रहा हूं, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को ले लें, इनकी संख्या ज्यादा कर दें और विरोध पक्ष के सदस्यों को ले लें और आइये चले, दिबियापुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक सर्वदलीय समिति यहां से चली चले और वहां के रहने वालों से पूछ लिया जाय और सर्वदलीय समिति यहां आकर सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

कर दे। चीख-चीख कर एक-एक सबूत कहेगा कि यहां जंगलराज चल रहा है, यहां कानून का राज नहीं चल रहा है। मान्यवर, मैं इसलिये कहना चाहता हूं और सर्वदलीय समिति की जांच पर बल देता हूं, सी0बी0आई0 की जांच पर बल देता हूं कि सच्चाई सामने आये तो शायद आपकी ही मदद हो जाये। बहुत सी जगहों पर यह चल रहा है। मान्यवर, यह तो हांडी का एक दाना था सच पूछिये तो मान्यवर, आज पूरी हांडी में चंदा वसूली आज का फैशन बन गया है फितरत बन गयी है और उन पर हर तरह का दबाव डाला जा रहा है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप कहते हो कि हमने कार्यवाही की। आपने उस शेखर तिवारी पर एन0एस0ए0 लगाया और कमलेश पाठक पर भी एन0एस0ए0 लगा दिया, दोनों को बराबर कर दिया। एक हत्यारा है दूसरा उस हत्या का विरोध करने के लिये उग्र प्रदर्शन कर सकता है, छोटे लड़कों को आपने निरपराध कर लिया तो कौन सी कार्यवाही आपने उस पर ज्यादा की और इन पर कम की। आप यह एन0एस0ए0 क्यों लगा रहे हो कमलेश पाठक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इसलिये कि आप भय उत्पन्न कर देना चाहते हो कि कोई गवाही गुजरने न पाये, इतना डर हो इसका विरोध करने वालों को कि कोई बात सामने न आने पाये। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि गलती जहां भी हो, प्वाइंट-आउट हो जानी चाहिये। आप करें हमारी और हम आपकी करें, इसीलिये तो इस सदन में बैठे हैं। अगर आप जवाब दीजियेगा तो एक मेरी बात का जवाब दे दीजियेगा जो मेरी जिज्ञासा भी है, आप जैसे विद्वान संसदीय कार्य मंत्री जी से, कि वह कौन सा पारस पत्थर है आपके पास कि जब इधर रहता है तो अपराधी रहता है और जब उधर चला जाता है तो विधान सभा और संसद का टिकट पक्का हो जाता है। वह पारस पत्थर आपको किस शपथ के दौरान प्राप्त हुआ है। कितनी योग्य तपस्या आपने की है कि वह बसपा की धरोहर बन गयी है जरा यह मुझे बता दीजिये। मैं देख रहा हूं कि तमाम जब इधर रहते हैं तो उन्हें आप अपराधी कहते हो जेल में होने की बात कहते हो, जहां अगर उन्होंने आपको वोट दिया, जहां उन्होंने थोड़ा सा मतदान किया तो जेल भी उनका ट्रांसफर हो जाता है और उनके ऊपर लगने वाले मुकदमें भी खत्म हो जाते हैं और आप सम्मानित लोक सभा के सदस्य के रूप में उनको मान देते हैं।

मान्यवर, यह सीधे-सीधे भय पैदा करने और डराने का कार्य कोई गुण्डा अपराधी नहीं कर रहा है बल्कि आपकी सरकार कर रही है वर्मा जी, मत कीजिये, रोज वहां नहीं बैठेंगे कभी इधर भी आयेंगे। मुलायम सिंह जी तो कहते हैं कि यहां भी आप नहीं आयेंगे लेकिन चलिये मैं कहता हूं कि आप यहां आ जायेंगे, तब बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा इसलिए बहुत परम्पराएं न डालिये बल्कि ईमानदारी से सरकार को चलाइये। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए और कमलेश पाठक को शेखर तिवारी के बराबर मत रखिये। अब पाठक या तिवारी से नाराजगी आपको है तो यह अलग बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह मेरे जनपद का मामला है वहां के सांसद इत्तिफाक से यादव हैं। क्या कारण है कि चुनिन्दा जगहों पर हमला होता है आपका, सब जगह पर नहीं होता है ? मैं सिर्फ यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस घटना की सच्चाई को सामने लाने के लिये आप इस घटना की सी0बी0आई0 से जांच करायें वरना संसदीय कार्य मंत्री जी आप नेता विरोधी दल, सारे दलों के नेताओं और कुछ सदस्यों को ले

करके चलिये, वहां पर हम देखें कि आखिर क्या हुआ था और उसकी रिपोर्ट इस सदन में रख दें।

* श्री कौकब हमीद खां-

मा0 अध्यक्ष जी, 23 तारीख को मनोज गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, औरैया के घर में शेखर तिवारी जो कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं वह बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं को ले करके घुस गये। मान्यवर, वह वहां पर उनकी रोती-बिलखती बीवी को बन्द कर देते हैं और उनको उठा लेते हैं। उसके बाद इतना पीटते हैं कि वह आदमी बेहोश हो जाता है करेन्ट भी लगाते हैं। मान्यवर, यह सोचने की बात है कि अनेक प्रकरण इस विधान सभा में आये हैं कि हत्या हो गई, गोली मार दी गयी लेकिन मान्यवर, मैं दावे से कह सकता हूं कि इतना गम्भीर, इतना घटिया प्रकरण इस विधान सभा में नहीं आया कि आदमी को उसकी बीवी के सामने मार रहे हैं और वह भी इसलिए क्योंकि वह पैसा नहीं दे रहा है, करेन्ट लगा रहे हैं, उठा करके उसे ले जाते हो, वहीं थाने में देते हो, थाने वाला तुम्हारा स्वागत करता है, तुम वहां से चले जाते हो और वह वहीं मर जाता है। मान्यवर, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म देख रहे हों अंग्रेजों के जमाने की जिसमें अंग्रेज इस तरह के आतंक हिन्दुस्तानियों पर किया करते थे लेकिन मान्यवर, इन्होंने इनको भी पीछे छोड़ दिया। आज सरकार अपना सीना ठोंककर कहती है कि हमने सजा दे तो दी है, हमने न्याय करा तो दिया अरे ! न्याय न करते तो और क्या करते ? मान्यवर, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 32 घाव उसके जिस्म के ऊपर हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करेन्ट लगाने का भी संकेत मिला है। आखिर मान्यवर, यह बात इस सदन के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके के लिए भी, जो बैठे हैं, जो आयेंगे, जो सुन रहे हैं, उन सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह बनती जा रही है। मान्यवर, उसका जवाब चाहिए जनता को इस बात का जवाब चाहिए कि क्या जो आदमी जो इंजीनियर या व्यक्तिगत आदमी अगर पैसे नहीं देगा, चन्दे के लिए नहीं देगा तो क्या उसकी हत्या हुआ करेगी ? तो हम सबको डर जाना चाहिए कि बदमाश पैदा हो गये हैं, अब यह मारा करेंगे और जनता मरती रहेगी। अरे ! पैसे तो दे दिये थे, पांच लाख दे दिये थे और क्या चाहिए क्या उसका खून पीते, क्या करते पांच लाख दे दिये थे पांच और चाहिए थे, पन्द्रह और चाहिए थे तो अब मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह बात सदन में तय हो जानी चाहिए कि क्या अब सदन में चंदा वसूल करने के लिए ही हम बैठा करेंगे तो उनका मातम मनाया करेंगे जो चंदा न देने की वजह से मर जायेंगे या मार दिये जायेंगे। आखिर आज यह तय हो जाये कि आखिर यह कब तक लेंगे और हम कब तक देंगे और हमारा मातम कब तक मनेगा ? मान्यवर, यह तय तभी होगा जब आप इसकी जांच सी0बी0आई0 को देंगे। अभी आपने तीन-चार जांचें सी0बी0आई0 को भेजी है तो इसकी क्यों नहीं भेजते हैं ?

(सत्ता पक्ष से आवाज आयी कि सी0बी0आई0 पर भरोसा नहीं है)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी0बी0आई0 पर भरोसा नहीं है तो अभी 3-4 मामले भारत सरकार को क्यों भेजे गये ? यह बात तय करवाईये, यह बात तय हो जानी चाहिए कि कब तक चन्दा होगा, कब तक लोग मरेंगे ? धन्यवाद, जय हिन्द !

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, कोई चर्चा नहीं हो रही है, आपके नेताजी इस पर बोल चुके हैं।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना है, उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं सूचना की ग्राह्यता पर दो बात कहना चाह रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं उसके बाद क्या रह गया है ? नेता प्रतिपक्ष से भी ज्यादा काबिल अपने को समझते हैं तो अलग बात है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नोटिस है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दो मिनट में कहेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठ जाएं। दो मिनट में अपनी बात रख दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अत्यन्त संक्षेप में और सिर्फ ग्राह्यता पर अपनी बात कहनी है। मैं अपनी नोटिस के परे बिल्कुल नहीं जाऊंगा और न ही कोई लम्बा भाषण इस पर देने का सवाल है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व कौकब हमीद जी ने इस घटना का विस्तार से उल्लेख करते हुए जिन बातों को कहा है वह बातें पर्याप्त थीं कि अब तक उसके जवाब के लिए कोई दूसरी सूरत होनी चाहिए थी लेकिन यह रूटीन है इसलिए अपनी ग्राह्यता पर बल देना चाहता हूं हमने अपनी सूचना में यह बात लिखी है कि इन्जीनियर मनोज गुप्ता की हत्या इन कारणों से की गयी कि [× × ×] पूरे प्रदेश में जारी थी।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये और विरोध करने लगे कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अपनी नोटिस पढ़ रहा हूं और यह मेरी नोटिस में लिखा है और मैं उस पर बल देता हूं। मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री कु0 मायावती कहती हैं कि [× × ×] हो गयी इसलिए श्रीमन्....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये और विरोध करने लगे [× × ×] जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अपनी नोटिस पढ़ रहा हूं। मेरी नोटिस में लिखा है और मैं उस पर बल देता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री कु0 मायावती कहती हैं कि [उनकी हत्या से चन्दा वसूली दोगुनी] हो गयी इसलिये श्रीमन्.....

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्य अध्यक्ष असान पर खड़े हो गये तथा विरोध करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह अपराधियों और दलालों की पार्टी है। इस सरकार में इनके अपराधी प्रवृत्ति पर रोक लग गयी है, अब वसूली नहीं हो पा रही है। एक नहीं अनेक घटनायें इनके समय में हुई हैं जब अपराधियों को पूरी तरह से प्रश्रय देने का काम इनकी सरकार में किया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन लें। यह आक्षेप नहीं है। यह ग्राह्यता यह है कि ....

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर श्री अम्बिका चौधरी की बात का विरोध करते रहे।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन है कोई भी आरोप तथ्य के अनुसार ही लगाया जा सकता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन है कोई भी आरोप तथ्य के अनुसार ही लगाया जा सकता है अगर इस तरह से मनगढ़न्त आरोप लगाये जायेंगे तो न तो यह संसदीय परम्परा है और न ही आपको इसकी इजाजत दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम मांग करते हैं कि माननीया मुख्य मंत्री जी से बेहतर इस मुद्दे पर बताने के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता, उनके जन्म-दिन पर चन्दा वसूली के लिए निर्देश जारी हुए थे या नहीं हुये थे ?

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लालजी वर्मा-

ये वसूली करने वाले लोग हैं जो हमेशा वसूली करते रहते हैं। हमारी सरकार ने तो इनकी वसूली पर रोक लगायी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

एक अच्छे माहौल में नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी अब उस माहौल को खराब कर रहे हैं। जो आक्षेपात्मक बातें हैं उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। चौधरी साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं इस तरह का माहौल न बनायें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जब सदन व्यवस्थित नहीं है तो कैसे अपनी बात रखें। अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बना दी जाए अगर चन्दा मांगने की बात सच न हो तो मैं नेता विरोधी दल से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

अध्यक्ष महोदय, हमने मूक होकर उनके सारे आरोपों को सुनने का काम किया है अगर कोई संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन करेगा तो उसको इजाजत आपके द्वारा नहीं दी जानी चाहिये।

(इसी मध्य विपक्ष के अनेक सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान जारी)

इनको यही कष्ट है कि इनके द्वारा की जाने वाली वसूली पर रोक लगी है इसलिये इनको कष्ट हो रहा है। अनेकों घटनायें हुई हैं जब इन्होंने अपराधियों को पूरी तरह से प्रश्रय देने का काम किया। जिस घटना का उल्लेख नेता प्रतिपक्ष ने किया है जैसे ही इस घटना के बारे में सरकार को पता चला तुरन्त श्री शेखर तिवारी को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की कार्यवाही करने का काम किया गया व मुकदमा अ0अ0सं0 299/08 धारा 323, 342, 457, 364 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। जैसे ही यह पता चला कि मनोज गुप्ता की मृत्यु अपहरणकर्ताओं द्वारा उन्हें पहुंचाई गई चोट से हो गई है तो तत्काल धारा 302 भा0दं0वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेंट ऐक्ट व यू0पी0 गैंगेस्टर अधिनियम की वृद्धि अभियोग में की गई। श्रीमती गुप्ता की रिपोर्ट में केवल 2 अपहरणकर्ताओं भाटिया एवं त्यागी के नाम आये थे परन्तु विवेचना में अभियुक्त शेखर तिवारी, मनोज अवस्थी, राम बाबू लोधी एवं विनय तिवारी के नाम भी प्रकाश में आये। इन चारों अभियुक्तों को दिनांक 24-12-08 को गिरफ्तार कर दिनांक 25-12-08 को जेल भेजा जा चुका है। इतना ही नहीं दोषी थानाध्यक्ष को बर्खास्त करने एवं उसको मुल्जिम बनाने की कार्यवाही की गई साक्ष्य मिटाने की दोषी पाये जाने पर विधायक शेखर तिवारी की पत्नी के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सरकार की नहीं सुनेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

श्रीमती शशी गुप्ता पत्नी स्व0 मनोज कुमार गुप्ता एवं प्रतीश प्रान्जल पुत्र स्व0 मनोज कुमार गुप्ता ने स्वेच्छा से प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-1-09 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश को

सूचित किया है कि वे जांच में अभी तक की गई पुलिस कार्यवाही से पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस मामले में सी0बी0आई0 जांच की आवश्यकता नहीं है। स्व0 श्री मनोज गुप्ता की पत्नी एवं उनके पुत्र को सुरक्षा हेतु एक-एक गनर एवं उनके आवास पर पुलिस गार्द तैनात कर दी गई है। इनके समय में मेरे क्षेत्र में इनके मंत्री एवं उनके दामाद ने एक इंजीनियर को दौड़ा-दौड़ा करके पीटने का काम किया था। भला तुम पिटते रहो। हम तुम्हारे साथ हैं। यानि इस तरह से और आज तक उसमें गिरफ्तारी करने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, राजू पाल हमारी पार्टी का विधायक था, आज उनकी पत्नी बहिन पूजा पाल विधवा हो गई हैं। इस कम उम्र में विधवा हो गई हैं। मान्यवर, उनकी जिस तरह से पुलिस के संरक्षण में हत्या करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने करने का काम किया था। मान्यवर, मदरसों में मदरसों लड़कियों के साथ अपहरण करके और उनके साथ बलात्कार करने का काम किया। यह बात माननीय मुलायम सिंह यादव विपक्ष के नेता भूल गये हैं। उस समय कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(माननीय सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे)

श्री लालजी वर्मा-

इसी तरह से फिरोजाबाद में इनकी पार्टी के एक एम0एल0ए0 ने जो इनका रिश्तेदार है, नेता प्रतिपक्ष का, एस0पी0 को पीटने की कार्यवाही की गई और उसमें कोई गिरफ्तारी करने का काम इन्होंने नहीं किया। मान्यवर, आज जिस तरह से हमारी सरकार ने जो कहा था कि कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही कानून के आधार पर की जायेगी। चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे वो जिस भी पार्टी का व्यक्ति हो। चाहे वह मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, यह करके दिखाने का काम अगर किसी नेता ने भारत वर्ष में शुरू किया है तो बहिन मायावती जी ने करने का काम किया है।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाकर अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक श्री कमलेश पाठक की बात किया है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 24 तारीख को गिरफ्तारी हो गई थी। मान्यवर, 24 तारीख को मनोज गुप्ता की हत्या में शेखर तिवारी की गिरफ्तारी हो गई और 25 तारीख को जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद कमलेश पाठक जी और समाजवादी पार्टी के लोग औरैया में जो तोड़-फोड़ करके, जो थाने को जला कर नंगा नाच करने का काम किया था उसमें उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, निश्चित तौर पर की गई है, इसलिये कि हमने कहा है कि कोई व्यक्ति उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पार्टी के आधार पर, उसकी शख्शियत के आधार पर उसकी पहचान नहीं होगी, बल्कि उसके किये गये कार्यों के आधार पर उसके खिलाफ कार्यवाही करने का काम किया जायेगा। हमने इसको करके दिखाने का काम किया है। मान्यवर, निश्चित तौर पर जहां तक प्रमोद तिवारी जी ने बड़े चन्दे का जिक्र किया है, मान्यवर, आज इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में हाशिये में है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये। हो गया, बहुत ज्यादा कर लिया। नेता प्रतिपक्ष जी बुला लें, इन लोगों को।

श्री लालजी वर्मा-

4-5 हजार वोट इनकी पार्टी को मिलता है। उसके बाद भी चुनाव के उम्मीदवारों से बात की। हमने एक उम्मीदवार से पूछा भाई होगी फिर क्यों टिकट की लाइन में दौड़ रहे हो। उसने कहा टिकट मिलेगा और 25 लाख रुपये मिलेगा। 5 लाख खर्च होगा, 20 लाख बच जायेगा। मैं प्रमोद तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि 25 लाख रुपया जो उम्मीदवार को देते हैं वह चन्दा से नहीं लेते तो कहां से लाते हैं। इसका जवाब देने का काम करें। जो लोग स्वयं चाहे वह पूंजीपतियों से हो, व्यापारियों से हो, चन्दा लेने का कम करते है। वसूली करने का काम करते हैं, आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारी पार्टी का आज किसी भी पूंजीपति, किसी भी अपराधी, किसी भी अराजक तत्व से चन्दा लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। हम अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेकर पार्टी को चलाने का काम करते हैं। किसी अपराधी, किसी अधिकारी, किसी माफिया से चन्दा लेने का काम नहीं करते हैं। इसलिये मान्यवर, यह सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि कार्य-स्थगन के रूप में जो इन्होंने रखा है यह कार्य-स्थगन के रूप में नहीं आता। आज महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होना है, मैं आपसे चाहूंगा कि उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर मिलेगा, इसलिये चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिये इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

(सदस्यों के श्री अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान जी, उदयराज जी, यह क्या तमाशा बना रखा है, यह ठीक नहीं है। आप चले उधर। मैंने नेता प्रतिपक्ष जी को सुना, मैंने भारतीय जनता पार्टी को सुना, लोक दल को सुना, कांग्रेस को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2009 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुईं। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में नजूल, राजकीय आस्थान, नगर निगम व ए0डी0ए0 की भूमि पर स्थित सभी मलिन बस्ती वासियों एवं सागर पेशा वासियों को वास्तविक आय के अनुसार सर्वजनहिताय मलिन बस्ती (स्लम एरिया) मालिकाना योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है।

(दूसरी सूचना पर डा0 पी0के0 राय का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

तीसरी सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत में लोक निर्माण विभाग द्वारा डी0वाई0 रोड बरार से छपरौली वाया सूप, मुकनदपुर मार्ग में अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का वर्तमान बाजारी भाव से मुआवजा देने के सम्बन्ध में है।

(चौथी सूचना पर डा0 रफी अहमद उस्मानी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र की नगरीय सीमा में अविकसित कालोनियों के विद्युतीकरण हेतु धन उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर के यमुना तटीय क्षेत्रों में सितम्बर, 2008 में यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम वासियों को क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा देने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी के अस्सी मुहल्ले में लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पर प्रेरणादायी स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रतापगढ़ की पट्टी क्षेत्रान्तर्गत फेज 3, 4, 5 में निर्मित सभी सड़कों की क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के दक्षिण गर्रा फाटक या बरेली मोड़ के पास एक बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

(दसवीं सूचना पर श्री अनूप सण्डा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

(ग्यारहवीं सूचना पर श्री आरिफ अनवर हाशमी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

(बारहवीं सूचना पर श्री सर्वेश कुमार सिंह का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

(तेरहवीं सूचना पर श्री जोखू लाल यादव का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

(चौदहवीं सूचना पर श्री राम किशुन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के तरवां विकास खण्ड अन्तर्गत जुआं सम्पर्क मार्ग, लोनी नदी पर पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री इरफान सोलंकी, डा0 अनिल चौधरी, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री सुखलाल, श्री अशोक कंसल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री जावेद अंसारी, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री राधेश्याम जायसवाल, डा0 कौशल किशोर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री लालजी यादव की सूचनायें अस्वीकार की गईं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

इलाहाबाद में नजूल, राजकीय आस्थान, नगर निगम व ए0डी0ए0 की भूमि पर स्थित सभी मलिन बस्ती वासियों एवं सागर पेशा वासियों को वास्तविक आय के अनुसार सर्व जन हिताय मलिन बस्ती (स्लम एरिया) मालिकाना योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[इलाहाबाद में सर्वजन हिताय मलिन बस्ती (स्लम एरिया) मालिकाना योजना के मनमाने एवं भेदभाव पूर्ण क्रियान्वयन से यह योजना अल्पजन हो गई है। इलाहाबाद में 282 मलिन बस्तियां तथा नजूल भूमि पर पुश्तैनी रूप से बसे हजारों कमजोर वर्ग के सागर पेशावासी हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मई, 1987 को स्थाई पुनर्वासन का आदेश दिया है। वर्तमान में 42 बस्तियों के केवल 163 लाभार्थी चयनित हुए हैं जबकि इस वर्ग के लगभग डेढ़ लाख लोग हैं। शासन वर्तमान बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के वास्तविक पात्रों का सर्वेक्षण अभी नहीं करा सका है। ऐसी स्थिति में यह आधार बेईमानी है। मातादीन का पुरा, फाफामऊ गांव, डोमनी मऊ फाफामऊ, पूरा गड़रिया, शंकर घाट, दशाश्वमेध घाट दारागंज, बक्शी बांध दारागंज, संजय नगर अल्लापुर, पूरा पड़ाइन दारागंज, मिण्टोपार्क कीटगंज, कच्चा बांध एलनगंज, ललित नगर, बदलापुर अहिराना, नया गांव, काली स्थान एवं बत्तीस चैथम्स लाइन आदि इसमें शामिल नहीं किये गये हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का संज्ञान आकर्षित करते हुए नजूल, राजकीय अस्थान, नगर निगम व ए0डी0ए0 की भूमि पर स्थित सभी मलिन बस्तीवासियों एवं सागर पेशावासियों को वास्तविक आय के अनुसार इस योजना का लाभ देने की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत में लोक निर्माण विभाग द्वारा डी0 वाई0 रोड बरार से छपरौली वाया सूप मुकन्दपुर मार्ग में अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का वर्तमान बाजारी भाव से मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय तोमर-

[जनपद बागपत में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 35-40 वर्ष पूर्व डी0वाई0 रोड बराल से छपरौली वाया सूप, मुकन्दपुर मार्ग का निर्माण किया गया था। इस मार्ग के निर्माण में किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था परन्तु तब से आज तक अनेकों बार किसानों द्वारा उक्त अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे हेतु सम्बन्धित कार्यालयों एवं जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ व बागपत में सम्पर्क करने तथा धरने प्रदर्शनों के उपरान्त भी अभी तक किसानों को सड़क निर्माण में ली गई सरकार द्वारा भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाया है।

अतः किसानों को वर्तमान बाजारी भाव से डी0वाई0 रोड बराल से छपरौली वाया सूप, मुकन्दपुर मार्ग में अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र की नगरीय सीमा में अविकसित कालोनियों के विद्युतीकरण हेतु धन उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के नगरीय सीमा में अविकसित कालोनियों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मैंने सदन में कई बार विभिन्न नियमों के माध्यम से इस विषय को उठाया है परन्तु शासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। लखनऊ मध्यम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आलमनगर रेलवे क्रासिंग के पास सहादतगंज वार्ड में स्थित सोनापुरम्, शीला गार्डेन, कनक सिटी मुन्नी विहार, बृज विहार आदि में विद्युतीकरण न होने के कारण जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में विद्युतीकरण में आवश्यक धन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को शासन द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण विद्युतीकरण का कार्य नहीं सम्पन्न हो पा रहा है। विद्युत नगरीय वितरण खण्ड राजाजीपुरम् मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 तालकटोरा पावर हाउस लेसा लखनऊ ने एक योजना बनाई है जिसमें लगभग 60 लाख रुपये की आवश्यकता है यदि सरकार इस धन को उपलब्ध करा दे तो उपरोक्त क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को उनकी समस्या का समाधान मिल जायेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त कालोनियों में धन उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के यमुना तटीय क्षेत्रों में सितम्बर, 2008 में यमुना नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामवासियों को क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद मुजफ्फरनगर के यमुना तटीय क्षेत्रों में दिनांक 14 सितम्बर, 2008 को यमुना नदी से आई बाढ़ के कारण गन्ने एवं धान की फसलों को बहुत क्षति पहुंची थी।

ग्राम बलहेड़ा, चौतरा, कलरी, फतेहपुर, खीवजपुरा, बिडोली सातादे, शीतलगढ़ी, मंगलौरा, भडी कोरीयान, भडी मुस्लिम आदि गांवों में बाढ़ से सबसे अधिक क्षति पहुंची थी। इस क्षेत्र की लगभग 70 प्रतिशत फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। जिस कारण ग्रामवासियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है व भुखमरी के कगार पर पहुंच गये है।

फसलों की क्षतिपूर्ति के लिये शासन द्वारा मुआवजा दिया जाना अति आवश्यक हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी के अस्सी मुहल्ले में लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पर प्रेरणादायी स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के अस्सी क्षेत्र में हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उनके जन्म स्थली पर एक भव्य प्रेरणादायी स्मारक का निर्माण कराये जाने की काशी वासियों तथा अनेक संस्थाओं द्वारा मांग की जाती रही है। उक्त स्थल जो एक खंडहर के रूप में विद्यमान है पर प्रति वर्ष उनकी स्मृति में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किये जाते हैं। उल्लेखनीय होगा कि पूर्ववती केन्द्र सरकार द्वारा सन् 2002 में स्मारक निर्माण हेतु 90 लाख रुपया प्रदान किया था, लेकिन अत्यन्त दुख का विषय है कि स्मारक निर्माण की दिशा में शासन और प्रशासन द्वारा कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे जन मानस में इस उपेक्षा के प्रति क्षोभ व्याप्त है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वाराणसी में लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर एक भव्य और प्रेरणादायी स्मारक का निर्माण कराये जाने एवं सम्बन्धित मा0 मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रतापगढ़ की पट्टी क्षेत्रान्तर्गत फेज 3, 4, 5 में निर्मित सभी सड़कों की क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में फेज-3, 4, 5 के अन्तर्गत बनाई गई सभी सड़कों की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है और लेपन सतह तथा पटरी भी जगह-जगह टूट गई। जबकि योजना के अन्तर्गत गठित अनुबन्ध में पांच वर्षों तक ठेकेदार द्वारा मरम्मत का कार्य कराया जाना बाध्यकारी है। परन्तु विभागीय लापरवाही के कारण जनहित में बनी सड़कों की मरम्मत मानक के अनुरूप न कराकर राजकीय धन के दुरुपयोग में मदद की गई है। साथ ही फेज-6 की स्वीकृत सड़कें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। फेज-7 के अन्तर्गत पैकेज हेतु प्रस्तावित मार्गों का आगणन गठित करने में विलम्ब किया गया है और फेज-8 एवं 9 में नये कार्यों के प्रस्ताव एवं आगणन गठित करने की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी जिससे जनहित प्रभावित हो रहा है।

फेज 3, 4, 5 में बनाई गई सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत तथा फेज-6 के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने एवं अन्य अपेक्षित अनुरोध के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध निर्देश दिया जाना जनहित में आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं]

शाहजहांपुर के दक्षिण गर्रा फाटक या बरेली मोड़ के पास एक बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[शाहजहांपुर में स्टेशन के पास एक बस अड्डा पुराना है जिसके द्वारा पूरे जनपद तथा बाहर जाने वाली बस सेवा से काफी असुविधा होती है। यह बस अड्डा शहर के उत्तरी पश्चिमी कोने पर होने के कारण मोहम्मदी रोड/पुवायां रोड के लिये सेवायें ठीक से दे सकता है परन्तु सीतापुर रोड, फर्रुखाबाद रोड, बरेली रोड के लिये पूरा शहर पार करके यहां पर आना पड़ता है जिससे समय की बरबादी होती है साथ ही असुविधा भी होती है। यदि शाहजहांपुर दक्षिणी कोने पर गर्रा फाटक या बरेली मोड़ के पास एक बड़ा बस अड्डा बन जावे तो फर्रुखाबाद, बरेली, सीतापुर जाने वाले यात्रियों के आवागमन में सुविधा होगी, उनको ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर जनहित में शाहजहांपुर के दक्षिण गर्रा फाटक या बरेली मोड़ के पास एक बस अड्डा बनाये जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के तरवां विकास खण्ड अन्तर्गत जुआं सम्पर्क मार्ग, लोनी नदी पर पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[महोदय, आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जुआं, विकास खण्ड तरवां, जुआं सम्पर्क मार्ग, लोनी नदी पर पुल निर्माण कार्य कराना अति आवश्यक है जो जनहित में आवश्यक है पुल न बनने के कारण जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनता में काफी आक्रोश है।

अतः लोकमहत्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माण कार्य कराने की कृपा करें।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)

एजेण्डे की कार्यसूची के दूसरे विषय ले लें। सारी सूचनाओं को निरस्त करके मान्यवर, दूसरे विषय ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 फरवरी, 2009 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी की है। आप कुछ कहना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(शोर)

दूसरी सूचना डा0 अनिल चौधरी की तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की, चौथी सूचना डा0 रफी अहमद उस्मानी की है। पांचवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है, छठीं सूचना श्री कुबेर सिंह जी की है। सभी सूचनायें नियम 300 की निरस्त की जाती हैं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित सूचनायें

श्री लालजी वर्मा-

श्रीमन्, नियम-311 के अन्तर्गत जो सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनको नियम-56 में परिवर्तित किया गया है उनको भी निरस्त कर दें। सभी सूचनायें निरस्त कर दें।

(घोर व्यवधान के मध्य, मा0 सदस्य नारे लगा रहे थे)

श्री अध्यक्ष-

सभी सूचनायें निरस्त की जाती हैं।

(घोर व्यवधान)

गृह पुलिस अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1998 छः/पु-2-2008-1100 (139)-2008, दिनांक 2 दिसम्बर, 2008*

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1998 छः/पु-2-2008-1100 (139)-2008, दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री मदन चौहान को सदन से बाहर जाने के निर्देश

(सदन में घोर व्यवधान के मध्य श्री मदन चौहान द्वारा कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़ने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान मैं आपको इंगित करता हूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आपने इंगित किया मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनको पूरे सत्र के लिये निष्कासित कर दिया जाए।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मदन चौहान को इंगित किये जाने पर उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-299 (1) के अन्तर्गत आज के अधिवेशन की शेष अवधि के लिए अनुपस्थित समझा गया)

---

* छपी नहीं गई।

राज्य लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट दिनांक 30 अक्टूबर, 2008*

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से राज्य लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 को परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा-11 (2) के प्रावधानों के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (3) में दी गई व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन**

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (3) में दी गई व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 1995-96 तथा वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदनों को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-752/30-2008-135-89, दिनांक 31 मार्च, 2008*

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-752/30-2008-135-89, दिनांक 31 मार्च, 2008 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री लवकुश, भू0पू0 परिचालक, शाहजहांपुर डिपो को समस्त देयों का भुगतान तथा सेवा में बहाल किये जाने की सुनवाई के उपरान्त की संस्तुति दिनांक 21 नवम्बर, 2007 का अनुपालन न किये जाने विषयक उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रकरण

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ द्वारा श्री लवकुश, भू0पू0 परिचालक, शाहजहांपुर डिपो को समस्त देयों का भुगतान करते हुए सेवा में बहाल किये

---

* छापा नहीं गया।

** छापा नहीं गया।

जाने में सुनवाई के उपरान्त की संस्तुति दिनांक 21 नवम्बर, 2007 का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 9 (2) में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरण को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखों एवं सम्परीक्षा के वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 के प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश रोड ट्रान्सपोर्ट ऐक्ट, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) में दी गई व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखों एवं सम्परीक्षा के वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 के प्रतिवेदनों को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63 (5) (ए) में दी गई व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखे†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (3) में दी गई व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखे को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त वित्त लेखे वर्ष 2007-08, उ0प्र0 सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2007-2008 उ0प्र0 सरकार††

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त वित्त लेखे वर्ष 2007-08, उ0प्र0 सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2007-2008 उ0 प्र0 सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151 (2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापा नहीं गया।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) 31 मार्च, 2007**

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषकीय सहायता (मध्याह्न भोजन) उ0प्र0 सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151 (2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 में कुछ नहीं है।

आज की कार्य सूची की मद संख्या-16 से 30 तक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

सभापति, लोक लेखा समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(डा0 पी0 के0 राय, सभापति, लोक लेखा समिति वेल में थे और उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये)

सभापति, लोक लेखा समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसलिये मैं मद संख्या-16 से 30 तक स्थगित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-31 में कुछ नहीं है। मद संख्या-32-33 में भी कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्ध विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

** छापा नहीं गया।

† दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009[††]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009[†††]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009[†]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[†] दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[††] दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[†††] दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 ††

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12-02-2009 को नियम-311 में प्राप्त 7 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना (1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री संजीव दरियावादी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री पंकज मलिक, श्री माधव पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री राम सेवक की, (2) श्री अम्बिका चौधरी, श्री अनूप सण्डा, श्री सनातन पाण्डेय की, (3) श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री इमरान मसूद, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री जोखूलाल यादव की, (4) श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की, (5) श्री कौकब हमीद, डा0 अजय तोमर, श्रीमती विमलेश सिंह की, (6) डा0 कौशल किशोर की, (7) श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्रीमती अमिता सिंह की प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना (1) श्री उदयराज यादव की, (2) श्री चौ0 सतपाल सिंह, श्री जोखूलाल यादव की, (3) श्री मदन चौहान की, (4) श्री आरिफ अनवर हाशमी की, (5) डा0 राजेन्द्र सिंह की, (6) श्री अनिल चौधरी की प्रदेश के किसानों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है।

---

†† दिनांक 19 मार्च, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद में बढ़ रहे अपराध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री राम किशुन की उत्तर प्रदेश, बिहार सीमा पर स्थित चेक पोस्ट नौबतपुर पर अवैध ढंग से की जा रही वसूली के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना (1) श्री राघव लखनपाल शर्मा की, (2) श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर के प्रमुख उद्योगपति के पुत्र के अपहरण एवं हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है।

इन सभी माननीय सदस्यों की नियम-56 की सूचनायें अग्राह्य की जाती हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री राम किशुन,

2-डा0 आर0 ए0 उस्मानी,

3-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,

4-डा0 आर0ए0 उस्मानी,

5-श्री अब्दुल वारिस खां,

6-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

7-श्री जावेद अंसारी,

8-श्री अमरमणि त्रिपाठी तथा

9-श्री अनूप सण्डा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 10 फरवरी, 2009 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

माननीय अध्यक्ष जी, आजाद भारत के इतिहास में बहन मायावती जी के नेतृत्व में जैसी शानदार सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है उसकी मिसाल पूरे भारत में नहीं है। मान्यवर, एक से बढ़कर एक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। ऊपर से जंगल राज समाप्त कर कानून के राज की स्थापना की गई है। जाहिर है कि बहन जी की सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरी सरकार है। चन्द हताश लोगों के मेज पर चढ़कर गला फाड़ कर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल सकती है। हकीकत तो यह भी है कि प्रदेश की महान जनता ने जिन्हें उनकी नाकामी, असफलता और पाप का घड़ा भर जाने के कारण पहले ही कुर्सी से उतार दिया है वे बेचारे अब मेज पर चढ़कर झेंप मिटा रहे हैं। अरे ऊपर उठना है तो अपनी छोटी सोच से ऊपर उठो। अपने स्वार्थों और लोभ को त्यागो और स्वीकार करो कि बहिन जी ने पिछली सरकार के कुशासन को समाप्त कर एक सुशासन स्थापित किया है।

सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार बहन कु0 मायावती जी की सरकार गरीबों, किसानों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों के उत्थान को कृत संकल्पित है।

आतंकवादी हमलों जैसी घटनाओं से निपटने के लिये एन0एस0एस0 कमाण्डो की तरह 2 हजार कमाण्डों बल प्रदेश में तैयार करने का निश्चय किया है।

बालिकाओं के शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के लिये सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना शुरू किया गया है। जिसमें कक्षा 11 में पढ़ने वाली निर्धन बालिकाओं को 15 हजार रू0 तथा साइकिल दी जायेगी तथा 12वीं कक्षा में पहुंचने पर 10 हजार रू0 की दूसरी किश्त भी दी जायेगी।

गरीबों को नगरों में निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के लिये मान्यवर, श्री कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना लागू की गई है।

बालिकाओं के घटते अनुपात, भ्रूण हत्या रोकने तथा लड़कियों को सम्मानजनक तथा आत्मनिर्भर बनाने तथा लड़कियों के जन्म को समाज में बोझ न मानने के उद्देश्य से 15 जनवरी, 2009 से मुख्यमंत्री गरीब बालिका आशीर्वाद योजना लागू की है।

ऐसे तो आपके सामने बैठे दल सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में जाने जाते हैं। लोकतंत्र में इनका स्थान भी बदलता रहता है परन्तु जो नहीं बदलना चाहिये वह भी बदल गया है।

राज्यपाल के लिये जैसी शब्दावली प्रयोग की जा रही है उससे क्या पता चलता है ? राजनीतिक मतभेद के लिये आरोप-प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के बीच लगते हैं लेकिन स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला कोई राजनीतिक दल अथवा नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग राज्यपाल के लिये नहीं कर सकता। खैर जिसकी जैसी सोच वैसा ही उद्गार।

एक हताश और निराश राजनीतिक दल से और क्या उम्मीद की जा सकती है वैसे यह नौबत आई क्यों इसे भी समझना होगा।

अपने काले अध्याय और काले इतिहास को मिटाने के लिये यह दल उस पार्टी की शरण में गया जिसने इनके एक कारपोरेट नेता को जो सरकार के गठन के समय बिन बुलाये मेहमान बनकर पहुंच गये थे, को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाया था। वैसे भी कुर्सी प्लास्टिक की हो या लोहे की इन्हें तो कुर्सी चाहिये और कुर्सी न मिले तो कम से कम सौदा तो पटना ही चाहिये। फिलहाल इनके साथ तो थोड़ी बहुत हमदर्दी तो होनी चाहिये क्योंकि इनकी हालत आजकल कुछ ऐसी हो गयी है कि **'खुदा ही मिला न वि-साले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। न कुर्सी मिली, न सौदा पटा।**

मान्यवर, मैं जानता हूं कि इनका तौर तरीका और सोचने का अंदाज इतना संकुचित है और ये अपनी आदत से मजबूर हैं लिहाजा ये कभी सच नहीं बोल सकते। जैसे लोकतंत्र के चार खम्भे होते हैं वैसे ही इनकी राजनीति के भी चार आधारभूत तत्व हैं। इनकी राजनीति छल, प्रपंच, कपट और झूठ के खम्भों पर टिकी है और इसे समझना मुश्किल नहीं। इसलिये इनके साथियों को तो यह अच्छी तरह समझ आ रहा है और अब तक इनके **दो दर्जन सांसद, विधायक बहन जी की "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" की नीति से प्रभावित होकर हमारे दल में आ चुके हैं और अन्य कई प्रतीक्षारत हैं।**

सदन में कुछ अन्य दल भी हैं जिनको सिर्फ इसलिये बहन जी की सफलतम सरकार का विरोध करना है क्योंकि वह विपक्ष में हैं लेकिन इन्हें शायद यह भी याद नहीं रहा कि विपक्ष से अपेक्षा सकारात्मक विरोध की होती है न कि नकारात्मक। निरन्तर सिकुड़ता जा रहा एक दल जिसके विधायक उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उसने तो भेदभाव की सारी सीमाएं तोड़ दीं। **कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बार-बार मांगे जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश के विकास के लिये पैकेज नहीं दिया** अन्यथा बहन जी की सरकार ने विकास का पहिया और तेजी से चला दिया होता। सूखे से प्रभावित बुन्देलखण्ड के लिये भी इनका दिल नहीं पसीजा अलबत्ता गरीबों का मजाक बनाने और घड़ियाली आंसू बहाने से कभी नहीं चूकते।

आज तो विपरीत राजनैतिक सोच के लोगों द्वारा बहन मायावती जी के बढ़ते प्रभाव से घबड़ाकर नापाक गठबंधन करके उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि "चोर-चोर मौसेरे भाई" होने की कोशिश में हैं और इसकी वजह यह है कि दोनों ही इस हकीकत से घबरा गये हैं कि बहन जी अब प्रधान मंत्री के रूप में दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरायेंगी। वैसे देखने की बात यह होगी कि चोर-चोर मौसेरे भाई के बीच पहले **चुनावी सीटों का समझौता होगा या पहले सौदा पटता है।**

मान्यवर, जब-जब चुनाव आता है तो भा0ज0पा0 को भगवान राम की याद आने लगती है। धार्मिक उन्माद के जरिये सत्ता हासिल करने के मन्सूबे को बहन मायावती जी की सरकार पूरे नहीं होने देगी। वे दूसरे लोग थे जिनके साथ मिलकर गिराने और बचाने का खेल खेला गया। बहन मायावती जी प्रदेश में किसी को भी धार्मिक उन्माद के सहारे सत्ता प्राप्ति के सपने को चकनाचूर कर देंगी। आज भा0ज0पा0 अपने एक नेता के विलाप में गाना गा रही है।

"बाबुल की दुआयें लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले।।

भा0ज0पा0 की याद कभी न आवे, जा तुझे, नये दोस्त के यहां इतना प्यार मिले"।।

बाबरी मस्जिद को गिराने का दावा करने वाले और बचाने वाले आज एक ही साथ खड़े हैं। हकीकत तो यह है मान्यवर कि बहन मायावती जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबड़ाकर यह विपरीत राजनैतिक सोच के लोग डर के मारे एक ही पेड़ की डाल पर जा बैठे हैं। मान्यवर, सामने की सीट पर नेता प्रतिपक्ष के बगल में बैठने वाले अपने भाई आजकल दुखी हैं। समाचार-पत्रों में उनके कुछ बयान पढ़ने को मिले। वर्षों से जिनके बगल में आजम भाई बैठते रहे अब उनके दिल में वह व्यक्ति बैठ गया है जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने बाबरी मस्जिद को गिराने के लिये जिम्मेदार ठहराते हुये एक दिन की सजा तक देने का काम किया था। ऐसे हालत में लोगों के दिलों पर क्या गुजर रही है। इसको समझा जा सकता है। ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ लोगों के सब्र को अजमाया जा रहा है।

आज समाजवादी पार्टी जब कानून व्यवस्था पर कोई बात करती है तो ऐसा लगता है **जैसे नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।** मान्यवर, कानून को तार-तार करके जंगल राज बना देने वाले लोग अब कानून व्यवस्था की बात करते हैं अपनी सरकार में सी0ओ0 को जीप के बोनट

पर उल्टा लटकाकर घुमाने वाले लोग आज कानून व्यवस्था की बात करते हैं। **सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद।**

समाजवाद की जब परिभाषा दी गयी थी तब शायद किसी ने सोचा न होगा कि एक दिन ऐसा भी आयेगा जब घुनिंदा उद्योगपतियों, बॉलीवुड की अभिनेत्रियों और बालाओं, मुन्ना भाइयों को समाजवाद का चोला पहना दिया जायेगा। महोत्सवों में कैसे सपा0 सरकार के दौरान इनकी पार्टी के सांसद की चंद मिनट की भूख-प्यास की थाप के लिये गरीब जनता का लाखों रुपया न्योछावर कर दिया गया जिसे प्रदेश की गरीब जनता भूली नहीं है।

उच्च शिक्षा के लिये अनुदान राशि का सारा धन सैफई में अपने परिवार के मैनेजमेन्ट वाले कालेज को किस तरह से दिया गया इसे आपने अच्छी तरह देखा है।

मान्यवर, समाज के ऐसे पहलुओं से निजात दिलाकर प्रदेश की कर्मठ बहन मायावती जी के हाथों में देकर प्रदेश की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर बहन जी की सरकार अक्षरशः खरी उतरी है। अतः मैं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि बहन जी की सरकार का विरोध करने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे और वह लोग सरकार द्वारा किये जा रहे महान कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकारें। अभी भी देर नहीं हुई है, अपने को ठीक कीजिए और बदलाइये देर से आये लेकिन दुरुस्त आये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें। मदन चौहान जी, रात में नींद नहीं आयेगी, ज्यादा भाषण कर रहे हो। मदन चौहान इतने तेज कहां जा रहे हो ? इतने तेज मत जाओ, हाथ-पैर में कहीं चोट आ जायेगी, अभी लम्बी उमर है। अभी इतनी उमर में इतना मत छटको, भटको, तुम्हारे नेता सामने बैठे हैं।

राम सागर अकेला जी, आप प्रस्ताव का समर्थन रखें।

श्री राम सागर अकेला-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह) जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठें। इस पर चर्चा जारी रहेगी। अब मैं नियम-51 की सूचनायें ले रहा हूं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 12-02-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डे की प्रदेश में जिला पंचायत अधिकारी के पद पर नियम विरुद्ध तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरों की मजदूरी शासनादेश के अन्तर्गत न दिये जाने एवं उनका उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु

स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना डा0 आर0पी0 उस्मानी की लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ में बाल विकास पुष्टाहार द्वारा दी जा रही बच्चों की पंजीरी की बोरियों की तस्करी किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी, बेरापुर, सदर से निकलने वाले जिला मार्ग को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत में जर्जर विद्युत तारों के कारण किसानों को विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रतापगढ़ स्थित मनरेगा में कार्यरत तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सेवक व मेटों की हजारों की संख्या में निष्कासन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की प्रदेश में बालिका इण्टर कालेजों के सेन्टर में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज स्थित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2 द्वारा किये जा रहे कार्यों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना श्री रमेश कुमार मिश्र की जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र में अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम चौसनाजदीद में विस्थापितों के निर्मित मकानों को तुड़वाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली स्थित नारायणपुर पम्प कैनाल में लगे ट्रान्सफार्मर को खराब ओ0 सी0 बी0 को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर से मुख्यालय तहसील अतरौला सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई, उनके नाम निम्न हैं :-

श्री संजय कपूर, श्री चौधरी सत्यपाल सिंह, श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अनिल चौधरी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री पंकज मलिक, डा0 पी0के0 राय, श्री इरफान सोलंकी, श्री लालजी यादव, श्री अनूप सण्डा, श्री जोखूलाल यादव, श्री जावेद अंसारी, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री इमरान मसूद, श्री मदन भइया, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री माधव पासवान, डा0 कौशल किशोर, श्री राधे श्याम जायसवाल, श्री मन्ना चौहान, श्री भोला पासवान, श्री सुरेश कुमार खन्ना और श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 02 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 12 फरवरी, 2009

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

[देखिये अता0प्र0सं0-45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर]

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली के अन्तर्गत दिनांक 1-1-2006 से 31-3-2008 तक निम्न व्यक्तियों को मत्स्य पालन का पट्टा उप जिलाधिकारी, महोदय, शामली द्वारा स्वीकृत किया गया है।

क्रमांक	आवंटी का नाम/पिता का नाम	आवंटित तालाब का विवरण		
		ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1	नफीस पुत्र शरीफ निवासी दिटौली	दिटौली	627/2	0.728
2	अतीश कुमार पुत्र पद्म सिंह निवासी सोन्टा	सोन्टा	554	0.364
			586	0.430
3	हरेन्द्र कुमार पुत्र यशपाल सिंह निवासी पीरखेड़ा	पीरखेड़ा	573	1.085
4	संजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी भनेडा उड़दा	भनेडा उड़दा	379	0.297
5	सतपाल पुत्र शम्भू निवासी नोजली	नोजली	2310	1.619
6	मीर सिंह पुत्र जंगली निवासी हिरनवाडा	हिरनवाडा	323	0.932
7	कुलदीप पुत्र जगपाल निवासी बुलेडी जमालपुर	बुलेडी जमालपुर	431	1.654
8	कुन्ती पत्नी निर्मल निवासी सिलावर	सिलावर	513	1.004
9	वीर सिंह पुत्र निर्मल सिलावर	बहावडी	583	0.507
10	रमेश चन्द पुत्र खिलारी निवासी कुडाना	कुडाना	2346/1	0.507
			2346/2	
			2346/3	
			2244/1	
			2347	
11	धर्मवीर पुत्र ओम प्रकाश निवासी जमालपुर नगली	गोहरपुर	159	0.236
12	हरा सिंह पुत्र ओम सिंह निवासी राझड	राझड	716के 373	0.533
				0.756
13	विजयपाल सिंह पुत्र राम सिंह निवासी चन्देनामाल	चन्देनामाल	410 जीएच	0.441
			625 केएच	0.615

1	2	3	4	5
14	राजेन्द्र सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह निवासी लाक	लाक	3029/3	0.594
15	जयदेव सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी लाक	लाक	2210/3	0.225
16	सत्यपाल पुत्र खजान निवासी भाजू	भाजू	1255	1.225
17	पीतम सिंह पुत्र बुधू निवासी सोहजनी उमरपुर	सोहजनी उमरपुर	98	0.512
18	रमेश पुत्र प्रकाश निवासी पलेटी	पलेटी	334जी	0.554
19	नानक पुत्र सुखवीर निवासी पठानपुरा	पठानपुरा मजरा सहारा	549	0.574
20	इन्द्रपाल पुत्र समेरा निवासी लाक	लाक	3506/7	0.550
			707	1.536
21	महेन्द्रपाल पुत्र सरजीत निवासी उमरपुर	उमरपुर	758	0.819
22	महेन्द्र पुत्र फूल्ला निवासी अम्बेहटा याकूबपुर	अम्बेहटा याकूबपुर	343	1.050
23	महेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी जमालपुर भिक्की	भिक्की तेह	105	0.522
24	मनजू सिंह पुत्र चुन्नी निवासी ब्रह्मखेड़ा	ब्रह्मखेड़ा	210	0.560
25	रणवीर सिंह पुत्र मंगतू निवासी झाल	झाल	580	0.410
26	शोयल पुत्र रणवीर सिंह निवासी अब्दुल्लापुर उर्फ मोर मजरा	गोमदान जलालपुर	305	1.131

ह0/-

तहसीलदार,

भामली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

[देखिये अता0प्र0सं0-91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर]

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-91 का संलग्नक :

राज्य सेक्टर की योजना-"जेट्रोफा की खेती को प्रोत्साहन" वर्ष 2007-08 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह मार्च, 2008

क्र0सं0	जनपद का नाम	गोष्ठियों की संख्या		लाभार्थी संख्या	वित्तीय प्रगति (लाख रु0 में)	
		लक्ष्य (सं0)	क्रमिक पूर्ति		आवंटित धनराशि	क्रमिक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	अलीगढ़	5	5	250	2.50	2.50
2	हाथरस	5	5	250	2.50	2.50
3	मथुरा	7	7	350	3.50	3.50
4	आगरा	6	6	300	3.00	3.00
5	फिरोजाबाद	4	4	200	2.00	2.00
6	एटा	4	4	200	2.00	2.00
7	मैनपुरी	4	4	200	2.00	2.00
8	खीरी	5	5	250	2.50	2.50
9	हरदोई	6	6	300	3.00	3.00
10	उन्नाव	5	5	250	2.50	2.50
11	कन्नौज	4	4	200	2.00	2.00
12	इटावा	4	4	200	2.00	2.00
13	औरैया	3	3	150	1.50	1.50
14	कानपुर देहात	5	5	250	2.50	2.50
15	कानपुर नगर	5	5	250	2.50	2.50
16	जालौन	4	4	200	2.00	2.00
17	झांसी	6	6	300	3.00	3.00
18	ललितपुर	4	4	200	2.00	2.00
19	हमीरपुर	5	5	250	2.50	2.50
20	महोबा	4	4	200	2.00	2.00
21	बांदा	3	3	150	1.50	1.50

1	2	3	4	5	6	7
22	चित्रकूट	4	4	200	2.00	2.00
23	फतेहपुर	4	4	200	2.00	2.00
24	प्रतापगढ़	4	4	200	2.00	2.00
25	कौशाम्बी	3	3	150	1.50	1.50
26	बलिया	6	6	300	3.00	3.00
27	चन्दौली	3	3	150	1.50	1.50
28	मिर्जापुर	4	4	200	2.00	2.00
29	सोनभद्र	4	4	200	2.00	2.00
30	गाजीपुर	5	5	250	2.50	2.50
	योग	135	135	6750	67.50	67.50

चन्द्रिका प्रसाद तिवारी,

निदेशक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ग)

[देखिये अता0प्र0सं0-115 का उत्तर पीछे पृष्ट 70 पर]

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 में फार्म की बिक्री से हुयी आय का विवरण

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् में प्रश्नगत वर्षों में फार्मों की छपाई, बिक्री से प्राप्त धनराशि व मदवार व्यय व बचत तथा जमा धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

प्रवेश फार्मों की छपाई	वर्ष 2005-06 संख्या	वर्ष 2006-07 संख्या	वर्ष 2007-08 संख्या
1-(1) सामान्य	173000	206000	273000
(2) एस0सी0/एस0टी0	58000	69000	87000
कुल	231000	275000	360000

1	प्रवेश फार्मों की बिक्री से प्राप्त धनराशि	रुपये 48081508	रुपये 58996677	रुपये 93214847
2	वर्षवार व्यय की धनराशि (मदवार विवरण संलग्न)	28123019	32065046	45155592
3	अवशेष धनराशि	19958489	26931631	48059255

कुल बचत रु0-94949375

4-अवशेष धनराशि दिनांक 31-3-2008 को राष्ट्रीय कृत बैंकों के चालू खातों में रु0 22062363/-तथा रु0 72883418/-की धनराशि कुल एफ0डी0आर0/एस0डी0आर0 में विनियोजित थी। नगद रु0 3594/-कार्यालय में उपलब्ध थे।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ के वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 का मदवार व्यय विवरण

क्र0सं0	व्यय की मानक/आवर्तक मद	2005-06	2006-07	2007-08
1	वेतन	4771393	5030192	5142892
2	अन्य भत्ते	49533	20341	
3	यात्रा भत्ता व्यय	738711	760389	1015099
4	कार्यालय व्यय	643305	636215	929510
5	गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल आदि की खरीदें	1296886	2004664	1998868
6	भवन अनुरक्षण/कर	328962	824879	247099
7	छात्र/कर्मचारी कल्याण व्यय	166088	452908	6758508
8	विज्ञापन व्यय	1161769	1278348	917553
9	मानदेय	204200	229500	215600
10	आडिट फीस	356318	367445	491761
11	अतिथि सत्कार व्यय	245452	187305	168996
12	परीक्षा व्यय मुद्रण व्यय सहित	15506107	18260757	25437119
13	हुलाई भाड़ा	17238	33183	80873
14	टेलीफोन व्यय	473106	413413	391715
15	पेंशनरी अंशदान, ग्रेच्युटी, ई0पी0एफ0 अंशदान	343925	344280	347847
16	मशीन साज-सज्जा, उपकरण का क्रय	1820026	1221227	1012152
	योग :	**28123019**	**32065046**	**45155592**

पी0एस0यू0पी0-एल0 18 विधान सभा (42)-13-5-2009-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।